

# **SARVA SHIKSHA ABHIYAN**

## **UTTARAKHAND**

### **REPORT ON APPRAISAL OF ANNUAL WORKPLAN AND BUDGET FOR 2009-10**

**In respect of: Almora, Bageshwar, Chamoli, Champawat, Dehradun,  
Haridwar, Uttarkashi, Pauri, Pitoragarh, Rudrapayag, Tehri, U.S.  
Nagar, Nainital and state Component**



# **SARVA SHIKSHA ABHIYAN**

## **UTTARAKHAND**


### **REPORT ON APPRAISAL OF ANNUAL WORK PLAN & BUDGET FOR 2009-10**

NUEPA DC



D13422

**In respect of: Almora, Bageshwar, Chamoli, Champawat,  
Dehradun, Haridwar, Uttarkashi, Pauri, Pithoragarh, Rudrapur,  
Tehri, U.S. Nagar, Nainital and State Component**



**SARVA SHIKSHA ABHIYAN**

**(S.S.A.)**

*(A Programme For Universal Elementary Education)*

**P E R S P E C T I V E P L A N**

**(2001 - 2007)**

**District - Tehri Garhwal**

*Sarva Shiksha Abhiyan (SSA),  
Tehri Garhwal, New Tehri, Uttaranchal*

**सर्व शिक्षा अभियान टिहरी गढ़वाल**  
**Sarva Shiksha Abhiyan, Tehri Garhwal.**  
*(A Programme For Universal Elementary Education)*

# P e r s p e c t i v e P l a n

## (2001 - 2007)

### अनुक्रमणिका

अध्याय	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
एक	जनपद टिहरी गढ़वाल-परिचय	१	१२
दो	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	१३	३२
तीन	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम- उद्देश्य एवं प्रमुख गतिविधियाँ	३३	४६
चार	योजना निर्माण-प्रक्रिया	४७	५५
पांच	आवश्यकताएँ एवं रणनीतियाँ	५६	८६
छः	विशिष्ट वर्ग/समूह	८७	९०
सात	सामुदायिक सहभागिता	९१	९२
आठ	शोध, मूल्यांकन एवं अनुभवण	९३	९४
नौ	ई०एम०आई०एच०	९५	
दश	निर्माण कार्य	९६	९७
ग्यारह	परियोजना प्रबंधन	९८	१०७
बारह	कार्ययोजना एवं बजट	१०८	
	बजट तालिकाएँ एवं संलग्नक		

# अध्याय – एक

## जनपद टिहरी गढ़वाल – परिचय

### १. ऐतिहासिक परिदृश्य (Historical Profile)

महा-हिमालय में कुमांचल, नेपाल, केदार, जालन्धर एवं कश्मीर पाँच खण्ड हैं। इन पाँच प्रमुख खण्डों में से केदार खण्ड उत्तरी अक्षांस 31.8 तथा देशान्तर 80.6 के मध्य स्थित है। इस खण्ड की वामावर्त यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री धामों की यात्रा मार्गों में भागीरथी, भिलंगना के संगम पर अवस्थित टिहरी (गणेश-प्रयाग) की प्रसिद्धि अपनी पावनता और दिव्यता के लिए अति प्राचीन काल से है। उत्तरांचल के गढ़वाल वाले भाग में सन् 688 में कनकपाल चांदपुर गढ़ के महाराज बने। 14 वीं सदी तक इस क्षेत्र में 52 गढ़ थे जहाँ से कत्यूरी राजाओं ने अपना-अपना राज-काज चलाया। 15 वीं सदी में अजयपाल बड़े प्रतापी राजा हुए, उन्होंने सारे गढ़ों को अपने राज्य में मिला कर गढ़वाल राजवंश की नींव डाली। तभी से इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा। प्रारम्भ में उन्होंने देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया कुछ समय बाद उसे श्रीनगर स्थानन्तरित कर दिया। गोरखों के गढ़वाल आक्रमण के पश्चात तत्कालीन राजा के साथ हुई संधि के अनुसार सन् 1815 में अंग्रेजों ने टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को प्रदान की व शेष गढ़वाल अपने अधीन कर लिया गयी। इसे टिहरी रियासत के भाग से भी जाना जाता है। इस पर पंचर वंश के शासकों का आधिपत्य रहा है। जनक्रान्ति के फलस्वरूप 1 अगस्त सन् 1949 ई0 को इसे संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में सम्मिलित किया गया।

### २. भौगोलिक परिदृश्य (Geographical Profile)

#### क. स्थिति एवं विस्तार

टिहरी नवगठित उत्तरांचल राज्य का एक मुख्य जनपद है। यह जनपद 30°-3'-10"से 30°-52'-41" उत्तरी अक्षांस तथा 78°-8'-45"से 79°-2'-45" पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जनपद के उत्तर में उत्तरकाशी दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल पूर्व में रुद्रप्रयाग तथा पश्चिम में उत्तरांचल की अंतरिम राजधानी देहरादून स्थित है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 3796 वर्ग कि०मी० है। टिहरी गढ़वाल गगनचुम्बी चोटियों, पहाड़ी ढलानों, बुग्यालों, तालों और घाटियों का सुरम्य क्षेत्र है। भागीरथी, भिलंगना और गंगा प्रमुख नदियां हैं जिनमें जलकूर, बालगंगा, धर्मगंगा, हेंवल आदि सहायक नदियां समाहित होती हैं। वर्तमान में एशिया का सर्वाधिक ऊँचा (360.5 मी.) बाँध बनाया जा रहा है। जिसके कारण ऐतिहासिक टिहरी नगर जलमग्न हो जायेगा। इसके स्थान पर बाँध के निकट नया टिहरी नगर बसाया गया है जो कि जनपद का मुख्यालय है। जनपद की अधिकांश भाग पहाड़ी है।

## ख. जलवायु

जनपद की जलवायु इसके असमान उच्चावचन समुद्र तल से ऊंचाई एवं इसके क्षेत्रफल से प्रभावित होती है। ऊंचे पहाड़ी भागों में अत्यधिक ठंड एवं घाटी वाले भागों में उष्ण जलवायु पाई जाती है। जनपद में वर्ष भर 60 सेमी. से 250 सेमी. तक वर्षा होती है। जनपद में सामान्यतः तीन मौसम हैं—

1. जाड़ा—मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक (जो स्थानीय बोली में 'हयूंद' के नाम से जाना जाता है)।
2. गर्मी—मध्य फरवरी से मध्य जून तक (जो स्थानीय बोली में रुड़ी नाम से जाना जाता है)।
3. बर्षा—मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक (जो स्थानीय बोली में बसकाल के नाम से जाना जाता है)।

क्र०	स्थान	समतल उंचाई	वार्षिक वर्षा (से०मी०)
1	टिहरी	640	80
2	देवप्रयाग	460	70
3	नरेंद्रनगर	1080	318
4	कीर्तिनगर	600	90
5	प्रतापनगर	2011	242

स्रोत— जिला सांख्यिकी हस्त पुस्तिका 1996

### ३—जनपद का सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य (Social & Cultural Profile)

यहाँ की अधिकांश (93.48 प्रतिशत) जनसंख्या गांव में निवास करती है। यहां के निवासियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि राज्य के अन्य जनपदों के समान है। जौनपुर विकास खण्ड की संस्कृति पर देहरादून के जनजाति क्षेत्र जौनसार से प्रभावित है। यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। देश के कोने-कोने से पावन धामों की यात्रा के लिए आये लोगों को यहां की पर्वत श्रेणियों, नदियों, सिद्धपीठ और प्राकृतिक सौन्दर्य ने अभिभूत कर दिया और उनमें से कुछ लोग यहीं बस गये, कुछ साधनारत हो गये। यहाँ पर बहुसंख्या हिन्दू धर्मावलम्बियों की है। अल्प रूप में मुसलमान, सिक्ख, इसाई, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हैं।

संयुक्त परिवार प्रथा मुख्य रूप से प्रचलित है किन्तु वर्तमान भौतिक परिवेश से प्रभावित होकर एकल परिवार व्यवस्था भी विकसित होने लगी है। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें महिलाओं को अपेक्षाकृत कम अवसर प्रदान किये जाते हैं। मेलों, उत्सवों एवं विवाह आदि सांस्कृतिक पर्वों पर ढोल, दमाऊ, हुड़का, रणसिंगा, सिणई आदि वाद्ययंत्रों की थाप पर लोग पाण्डव, थड्या, चौफुला, झुमेलो, डोल आदि में लोक नृत्यों के माध्यम से अपने उल्लास एवं आनन्द की अभिव्यक्ति करते हैं। यातायात तथा संचार साधनों एवं शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ यहां का सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश आधुनिकता की ओर अग्रसर है।



जनपद में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ग्रामीण क्षेत्रों में गढवाली (पहाड़ी) बोली बोली जाती है। यहाँ का मुख्य पहनावा महिलाओं द्वारा धोती-खारुज, सलवार-कुर्ता के साथ-साथ घाघरा व चोली एवं पुरुषों द्वारा कुर्ता-पजामा, पैंट-शर्ट या धोती-कुर्ता पहना जाता है।

## ४-जनपद का आर्थिक परिदृश्य (Economical Profile) क-व्यावसायिक संरचना

जनपद की आर्थिकी का मुख्य आधार कृषि है। कृषि के साथ-साथ बागवानी व पशुपालन भी एक व्यवसाय है। जनपद की कुल कार्यशील जनसंख्या का 77.92 प्रतिशत कृषि कार्यों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। कृषि मजदूर के रूप में 1.01 प्रतिशत व अन्य प्राथमिक-व्यवसायों में 2.80 प्रतिशत जनसंख्या लगी है।

क्र०स०	वर्ग	कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत
1	कृषि कार्य	77.92
2	कृषि मजदूर	1.01
3	अन्य प्राथमिक व्यवसाय	2.80
4	खनन एवं उद्योग	0.05
5	निर्माण	4.20
6	व्यापार व वाणिज्य	2.82
7	परिवहन एवं संचार	1.10
8	अन्य	10.10

स्रोत- जिला सांख्यिकी हस्त पुस्तिका 1996

## ख-भूमि उपयोग

जनपद का बहुत बड़ा भाग वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। कुल क्षेत्र के 69.52 प्रतिशत भाग पर वन है। मात्र 12.76 प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है।

क्र०स०	वर्ग	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
1	वन	69.52
2	चारागाह	2.56
3	झाड़ियाँ	0.11
4	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	12.76
5	गैर कृषि कार्यों में	1.41
6	परती आदि	12.25
7	बंजर	1.39

स्रोत- जिला सांख्यिकी हस्त पुस्तिका 1996

## ग-जनपद में कृषि

कृषि जनपद का मुख्य व्यवसाय है। खरीफ व रबी यहाँ की प्रमुख फसल है। चावल, गेहूँ, मंडुवा, झंगोरा व जौ मुख्य खाद्य फसल है। आलू, मक्की, तंबाकू भी यहाँ पर उगाया जाता है। कुल कृषि क्षेत्र का 19.47 प्रतिशत भाग ही सिंचित है। दलहन में उड़द, मसूर, चना, मटर व तोर जबकि तिलहन फसलों में सरसों, तिल व सोयाबीन मुख्य फसल है।

## ५. उपलब्ध संसाधन (Resource)

### क- प्राकृतिक संसाधन

#### १. वनाधारित संसाधन

प्रचुर मात्रा में जलाऊ लकड़ी, पशुचारा, इमारती लकड़ी, वनौषधि-पादप उपलब्ध है। जनपद का 69.52 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है। यहाँ पर साल, हल्दू, खैर, शीशम, बांस से लेकर पाइन, देवदार, बांज, बुरास, खर्सू, मौरु से लेकर घास के भाग सम्मिलित है। ऊँचाई के अनुसार वनस्पति में विविधता पाई जाती है। अत्यधिक ऊँचाई वाले भागों में बुग्याल (छोटी नरम घास), काई मिलती है। वनों का उपयोग ईंधन एवं भवन निर्माण में किया जाता है।

क्र०स०	क्षेत्र	ऊँचाई	प्रमुख वृक्ष
1	उपोष्ण कटिबन्धीय पर्णपाती वन	1200 मी० से कम	साल, हल्दू, खैर, शीशम, बांस
2	समशीतोष्ण कटिबन्धीय वन	1200 - 1800 मी०	चीड़, देवदार, कैल आदि
3	उप-अल्पाइन	1800 - 3000 मी०	बांज, बुरास, खर्सू, मौरु, रिगाल आदि
4	अल्पाइन	3000 - 4500 मी०	बर्च, तिचेन, बुग्याल आदि

#### २. जलाधारित संसाधन

जनपद में कई छोटे-छोटे गाड हैं, जो बाद में बड़ी नदियों में मिल जाते हैं। अलकनन्दा, भागीरथी, भिलंगना, बालगंगा, यमुना आदि प्रमुख नदियां हैं। जनपद की नदियों के जल का उपयोग उनके गहरी घाटियों में बहने के कारण नहीं हो पाता है। भविष्य में नदियों पर छोटे-छोटे बांध बनाकर इनका उपयोग जलविद्युत सिंचाई एवं पेयजल के रूप में किया जा सकता है। वर्तमान में भागीरथी पर टिहरी जलविद्युत परियोजना निर्मित है। भविष्य में छोटे-बड़े बांध बनाकर जहाँ सिंचाई के लिए सुविधाओं का विकास किया जा सकता है वहीं विद्युत उत्पादित करके आकर्षक राजस्व जुटाया जा सकता है।

### ३. खानिज सम्पदा

जनपद के कई भागों में तांबा, शीशा, सोना, जस्ता, सल्फर के भंडार हैं जिनका सदुपयोग संचार तथा परिवहन साधनों के न होने से नहीं हो पा रहा है।

### खा- मानव निर्मित संसाधन

#### १-परिवहन व संचार सुविधाएं

जनपद सड़क यातायात से जुड़ा हुआ है। राभी विकास खण्ड मुख्यालय पक्की सड़कों से जुड़े हैं। 1994-95 में कुल सड़को की लम्बाई 1640 किमी० थी। जिसमें से 1576 किमी० मार्ग पक्का था। 1153 गाँव सड़को से जुड़े हैं। 1994-95 में 1273 किमी० सड़क लोक निर्माण विभाग व 268 किमी० डी.जी.बी.आर. के अन्तर्गत है। जनपद से दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिनमें से एक ऋषिकेश -गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग एवं दूसरा ऋषिकेश - बदीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है। जनपद में 1994-95 तक 287 डाकघर व 64 टेलीग्राफ आफिस थे। जनपद में सुदूर गाँवों तक दूरभाष की सुविधा उपलब्ध है।

#### २-विद्युत व्यवस्था

जनपद में 1994-95 में कुल 76 प्रतिशत गाँव विद्युतीकृत थे। परन्तु विद्युत व्यवस्था चुस्त-दुरस्त नहीं हैं। अधिकतर बिजली गायब ही रहती है। विद्युत आपूर्ति अनियमित व दोषपूर्ण है। जनपद में विद्युत का प्रमुख उपयोग घरेलू कार्यों हेतु किया जाता है।

#### ३-बैंकिंग व्यवस्था

जनपद में 40 राष्ट्रीयकृत बैंक 22 सहकारी व 23 ग्रामीण बैंक हैं।

#### ४-पेयजल योजना

जनपद में पेयजल व्यवस्था जल निगम व जल संस्थान द्वारा संचालित है। नगरीय क्षेत्रों से पेयजल व्यवस्था पाइप लाइन के माध्यम से की गई है। जनपद के अधिकतर गाँवों में पाइप लाइनें बिछा दी गयी हैं परन्तु पेयजल व्यवस्था सही नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परम्परागत तरीके से कई कि०मी० से पैदल चलकर सिर पर पानी लाना पड़ता है।

#### ५-उद्योग-घंठे

जनपद में उद्योग घंठों का विकास ना के बराबर हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में टोकरी बुनना, रस्सी बनाना, कंड़े बनाना, टाट-पट्टी बनाना आदि कुटीर उद्योगों का विकास बहुत छोटे स्तर पर हुआ है। जनपद के ढालवाला क्षेत्र में सरिया एवं एंगिल बनाने के उद्योगों का विकास हुआ है।

#### ६-चिकित्सालय

जनपद के प्रत्येक विकासखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है। परन्तु उनमें चिकित्सकों का अभाव है। इसके अतिरिक्त सुमन जिला चिकित्सालय नरेंद्रनगर एवं संयुक्त चिकित्सालय नई टिहरी हैं।

## ७ - प्रमुखा पर्यटन स्थल

जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में चंद्रवदनी, सुरकंडा देवी, कुजापुरी, सेम-मुखेम, खैट-पर्वत, थार्ता (बुढाकेदार), किलकिलेश्वर महादेव (चौरास), बेलेश्वर महादेव (भिलंगना), कोटेश्वर बांध महादेव (नरेन्द्रनगर) तपोवन, देवप्रयाग आदि प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल एवं धनोल्टी, घुत्तू, केम्टीफाल, सहस्रताल, महासरताल, पांवली कांठा, शिवपुरी, कौडियाल, नरेन्द्रनगर, चम्बा, खतलिंग ग्लेशियर, लोयल की शिवगुफा, टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।

## ६-जनपद का प्रशासनिक परिदृश्य (Administrative Profile)

टिहरी जनपद में पाँच तहसीले नरेन्द्रनगर, टिहरी, प्रतापनगर, देवप्रयाग व धनसाली तथा नौ विकासखंड (भिलंगना, चम्बा, देवप्रयाग, जाखणीधार, जौनपुर, कीर्तिनगर, नरेन्द्रनगर, प्रतापनगर व थौलधार) हैं। जनपद में कुल 76 न्याय पंचायतें हैं। सम्पूर्ण जनपद में कुल 762 ग्राम पंचायतें हैं। कुल गाँवों की संख्या 1847 है जिनमें से 14 वनग्राम, 1778 आबाद राजस्व ग्राम व 55 गैर आबाद राजस्व ग्राम हैं। जनपद में दो नगरपालिकाएँ (टिहरी व नरेन्द्रनगर) एवं 4 टाउन एरिया (मुनीकीरेती, देवप्रयाग, कीर्तिनगर व चम्बा) हैं।

क्र०स०	विवरण	संख्या
1	जनपद में तहसीलों की संख्या	5
2	जनपद में उपतहसीलों की संख्या	2
3	जनपद में विकास खंडों की संख्या	9
4	जनपद में नगरपालिकाओं की संख्या	2
5	जनपद में नगरपंचायतों की संख्या	4
6	जनपद में न्यायपंचायतों की संख्या	76
7	जनपद में ग्रामपंचायतों की संख्या	762
8	जनपद में गाँवों की संख्या	1847

स्रोत-जिला सांख्यिकी हस्त पुस्तिका 1996

### ब्लाकवार संख्या

क्र०	ब्लाक का नाम	न्याय पंचायत	ग्राम पंचायत	राज० ग्राम	बस्तियाँ	नगर क्षेत्र
1	भिलंगना	11	127	262	409	0
2	चम्बा	8	74	214	250	2
3	देवप्रयाग	10	89	258	321	1
4	जाखणीधार	7	76	149	199	0
5	जौनपुर	10	95	253	326	0
6	कीर्तिनगर	8	67	155	269	1
7	नरेन्द्रनगर	8	81	213	376	2
8	प्रतापनगर	8	83	118	161	0
9	थौलधार	6	70	173	197	0
योग		76	762	1795	2508	6

स्रोत-परिवार सर्वेक्षण 2002

## ७-जनपद की जनसंख्या का परिदृश्य ( Population Profile )

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद की कुल जनसंख्या 604608 है। जिसमें से 294842 पुरुष एवं 309766 महिलाएं हैं। कुल जनसंख्या का 51.23 प्रतिशत महिलाएं हैं। जनपद लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 1051 महिलाएं हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 16.15 है। जनपद में प्रति वर्ग कि०मी 148 व्यक्ति निवास करते हैं। आगे अंकित तालिका 7.1 में स्पष्ट है-

तालिका 7.1

### जनसंख्या-२००१

क्र०स०	विवरण	संख्या	
		1991	2001
1	जनपद की कुल जनसंख्या	520256	604608
क	पुरुष जनसंख्या	256315	294842
ख	महिला जनसंख्या	263941	309766
2	जनपद की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर	16.59	16.15
3	जनपद का लिंगानुपात ( 1000पुरुषों पर महिलाएं)-	1048	1051
4	जनपद में जनसंख्या का घनत्व/वर्ग किमी	128	148
5	जनपद की कुल साक्षरता	48.46%	67.04%
क	पुरुष साक्षरता	72.09%	85.62%
ख	महिला साक्षरता	26.31%	49.76%
			131072

स्रोत-जनगणना 1991 एवं 2001।

तालिका 7.2

### तुलनात्मक जनसंख्या-२००१

क्र०स०	विवरण	भारत	उत्तरांचल	टिहरी
1	कुल जनसंख्या	1027015247	8479562	604608
क	पुरुष जनसंख्या	531277078	4316401	294842
ख	महिला जनसंख्या	495738169	4163161	309766
2	जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर	21.34	19.20	16.15
3	लिंगानुपात ( 1000पुरुषों पर महिलाएं)-	933	964	1051
4	जनसंख्या का घनत्व/वर्ग किमी	324	159	148
5	कुल साक्षरता	65.38	72.28	67.04%
क	पुरुष साक्षरता		84.01	85.62%
ख	महिला साक्षरता		60.26	49.76%
				131072

स्रोत-जनगणना 2001।

**ब्लॉकवार जनसंख्या-१९९१**

विकास क्षेत्र	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
भिलंगना	42253	47535	90788	7462	8242	15704	8	1	09
चम्बा	24854	26834	51688	2312	2331	4643	85	29	114
देवप्रयाग	24072	27430	51502	3557	3613	7170	33	32	65
जाखणीधार	34360	31945	66305	4168	3910	8078	38	17	55
जौनपुर	25497	24840	50337	4845	4643	9888	56	255	311
कीर्तिनगर	20146	21334	41480	3102	3212	6314	—	—	—
नरेन्द्रनगर	35720	34312	70032	3815	3444	72659	5	0	00
प्रतापनगर	25458	27393	52851	3306	3334	6640	—	—	—
थौलधार	21909	22364	44273	3681	3603	7284	32	14	46
वनक्षेत्र	621	379	1000	—	—	—	—	—	—
योग	256315	263941	520256	36248	36332	72580	257	348	605

स्रोत-जनगणना 1991

**ब्लॉकवार जनसंख्या-२००१**

क्र०स०	विकास क्षेत्र	कुल जनसंख्या			प्रतिशत		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	भिलंगना	103002	0	103002	18.86	0	17.03
2	चम्बा	60441	32004	92445	11.07	54.73	15.29
3	देवप्रयाग	54224	1550	55774	09.93	02.65	09.22
4	जाखणीधार	52278	0	52278	09.57	0	08.65
5	जौनपुर	58862	0	58862	10.78	0	09.74
6	कीर्तिनगर	44425	1040	45465	08.13	01.78	07.52
7	नरेन्द्रनगर	61170	23881	85051	11.20	40.84	14.07
8	प्रतापनगर	59961	0	59961	10.98	0	09.92
9	थौलधार	51770	0	51770	09.48	0	08.56
	योग	546133	58475	604608	100.00	100.00	100.00

स्रोत-जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, टिहरी गढ़वाल 2001

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में 2001 की जनगणना के अनुसार भिलंगना विकासखण्ड में जनपद की सबसे अधिक जनसंख्या (17.03) निवास करती है। जबकि कीर्तिनगर विकास खण्ड में जनपद की सबसे कम जनसंख्या (7.52) निवास करती है।

**जनपद की अनुमानित जनसंख्या २००७ तक**

वर्ष	जनसंख्या		
	पुरुष	महिला	योग
2001	294842	309766	604608
2002	298999	314753	613753
2003	303215	319821	623036
2004	307490	324970	632460
2005	311826	330202	642028
2006	316223	335518	651741
2007	320682	340920	661602

## Projection Of Population

Formula-  $r = \{(P1/P0)^{1/n} - 1\} * 100$

Groth Rate I-Male 1.41%

Groth Rate II-Female 1.61%

Year	Total Population			Projection			Growth Rate		
	Males	Female	Total	Males	Female	Total	Males	Female	Total
2001	294842	309766	604608						
2002	298999	314753	613753	4157	4987	9145	1.4100	1.6100	1.49
2003	303215	319821	623036	4216	5068	9283	1.4100	1.6100	1.49
2004	307490	324970	632460	4275	5149	9424	1.4100	1.6100	1.49
2005	311826	330202	642028	4336	5232	9568	1.4100	1.6100	1.49
2006	316223	335518	651741	4397	5316	9713	1.4100	1.6100	1.49
2007	320682	340920	661602	4459	5402	9861	1.4100	1.6100	1.49

तालिका 7.4  
विकास क्षेत्रवार संकेतकांक - १९९१

क्र० स०	विकास क्षेत्र	जनसंख्या	अ०जा०जनसंख्या प्रतिशत	अ०जा०जा०जनसंख्या प्रतिशत	जनघनत्व	साक्षरता दर
1	भिलगना	90788	17.29	.009	49	30.54
2	चम्बा	51688	8.98	.22	116	45.93
3	देवप्रयाग	51502	13.92	.126	117	39.42
4	जाखणोधार	66305	12.18	.08	192	45.72
5	जौनपुर	50337	18.84	.617	104	30.83
6	कीर्तिनगर	41480	15.22	---	284	56.46
7	नरेन्द्रनगर	70032	10.36	.007	247	42.18
8	प्रतापनगर	52851	12.56	---	229	35.04
9	थौलधार	44273	16.45	.1	211	38.38
	वनक्षेत्र	1000	---	---	---	52.60
	योग	520256	13.95	0.116	128	48.46

स्रोत-जनगणना 1991

तालिका 7.5  
जनसंख्या - १९९१ एवं २००१

क्र० स०	विवरण	संख्या	
		1991	2001
1	जनपद की कुल जनसंख्या	520256	604608
क	पुरुष जनसंख्या	256315	294842
ख	महिला जनसंख्या	263941	309766
1	जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या	486361	546133
क	पुरुष जनसंख्या	234649	259078
ख	महिला जनसंख्या	251712	287055
1	जनपद की कुल शहरी जनसंख्या	32895	58475
क	पुरुष जनसंख्या	21045	35764
ख	महिला जनसंख्या	11850	22711
1	जनपद की कुल वनक्षेत्र जनसंख्या	1000	
क	पुरुष जनसंख्या	621	
ख	महिला जनसंख्या	379	

स्रोत-जनगणना 1991 एवं 2001

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की 93.48 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी वर्ष 2001 में घटकर 90.33 प्रतिशत हो गयी। जबकि शहरी क्षेत्र में यह 6.33 प्रतिशत से बढ़ कर 9.67 प्रतिशत हो गयी।



## ८-विविध विकास योजनाएँ

### क-समन्वित बाल विकास परियोजना (आई०सी०डी०एस०)

जनपद के 5 विकास खंडों जाखणीधार, जौनपुर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, चम्बा में समन्वित बाल विकास परियोजना संचालित है। विकास खंड भिलंगना के कुछ भाग में भी परियोजना संचालित है, वर्तमान में इस योजनान्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या 306 हैं। जिनमें से वर्ष 2000-01 में डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत 3 विकास खंडों में 98 आंगनवाड़ी केन्द्रों को ई०सी०सी०ई० केन्द्र के रूप में संचालित किया गया है। वर्ष 2001-2002 में 102 केन्द्रों का चयन इस योजना के अंतर्गत किया गया है। जोकि चम्बा, जाखणीधार, जौनपुर के सभी केन्द्र व भिलंगना कीर्तिनगर विकासखण्डों के कुछ क्षेत्रों में संचालित हैं।

### ख-मध्याह्न पोषाहार योजना (मीड डे मील)

जनपद के परिषदीय प्रा०वि० एवं रा०आ०वि० में 1 से 5 तक अध्ययनरत उन सभी छात्रों के लिए यह योजना संचालित है, जिनकी मासिक उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक रहती है। उन्हें इस योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र को प्रतिमाह 3 कि.ग्रा चावल वितरित किया जाता है।

### ग-छात्रवृत्ति योजना

जनपद के सभी विद्यालयों में अ०जा०, अ०जा०जा० व पि०जा० के सभी छात्रों के लिए समाजकल्याण विभाग एवं पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। प्रत्येक छात्र को प्राथमिक स्तर पर प्रतिमाह रू० 25.00 की दर से एक वर्ष की छात्रवृत्ति 300.00रू० मिलती है। जूनियर स्तर पर प्रतिमाह रू० 40.00 की दर से एक वर्ष की छात्रवृत्ति 480.00रू० मिलती है।

### घ-महिला समाख्या

जनपद टिहरी में महिला समाख्या के द्वारा महिलाओं के उत्थान के हेतु विविध कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं जो कि मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर आधारित है।

### ड.-आपरेशन ब्लैक बोर्ड

जनपद में वर्ष 1990-91 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत सभी प्राथमिक विद्यालय एवं 90 जूनियर हाईस्कूल इस योजना से लाभान्वित किये गये।

### च-उत्तर साक्षरता अभियान

जनपद में वर्तमान में 'भागीरथी ज्योति' सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता के उपरान्त जनपद में वर्तमान में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम संचालित हो रहा है।

## छ-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण

इसके तहत जे0आर0वाई0, एम0आर0वाई0, पी0एम0जी0वाई0 से भी विद्यालयों के निर्माण एवं नव निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

### ज-स्वास्थ्य विभाग

वर्तमान में जनपद में डी0पी0ई0पी0 योजनांतर्गत विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। सत्र 2000-01 में 58154 छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जिसमें से 19901 में छात्रों को विद्यालय में ही उपचार दिया गया। इसके साथ-साथ विकलांग परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

### झ-यूनिसेफ (सी०ई०पी०)

जनपद में यूनिसेफ के द्वारा चाइल्ड रन्यारमेंट प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत विद्यालयों में जल एवं स्वच्छता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके द्वारा विद्यालयों में रैनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण, शौचालय निर्माण एवं बच्चों की स्वच्छता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। साथ ही साथ विद्यालयों को फरट-एंड-बाक्स एवं स्वच्छता किट भी दिए जा रहे हैं। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु ए0एन0एम0 का प्रशिक्षण भी इसके अन्तर्गत किया जा रहा है।

## अध्याय - दो जनपद का शैक्षणिक परिदृश्य ( Educational Profile )

### १-साक्षरता (Literacy)

साक्षरता का विकास से सीधा संबंध होता है। जनपद में 1991 में साक्षरता का प्रतिशत 48.46 है। जो 2001 में बढ़कर 67.04 हो गया। 2001 में जहाँ जनपद की पुरुष साक्षरता 85.62 प्रतिशत है वहीं दूसरी ओर महिला साक्षरता दर इसकी आधी 49.76 प्रतिशत है।

वर्ष	साक्षरता		
	पुरुष	महिला	योग
1991	72.09	26.31	48.46
2001	85.62	49.76	67.04

स्रोत - जनगणना 2001

वर्ष	कुल जनसंख्या			कुल साक्षर जनसंख्या		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
2001	294842	309766	604608	209806	131072	340878

स्रोत - जनगणना 2001

### विकास क्षेत्रवार संकेतकांक - १९९१

क्र० स०	विकास क्षेत्र	जनसंख्या	अ०जा० जनसंख्या प्रतिशत	अ०ज०जा० जनसंख्या प्रतिशत	जन घनत्व	साक्षरता दर
1	भिलंगना	90788	17.29	.009	49	30.54
2	चम्बा	51688	8.98	.22	116	45.93
3	देवप्रयाग	51502	13.92	.126	117	39.42
4	जाखणीधार	66305	12.18	.08	192	45.72
5	जौनपुर	50337	18.84	.617	104	30.83
6	कीर्तिनगर	41480	15.22	---	284	56.46
7	नरेन्द्रनगर	70032	10.36	.007	247	42.18
8	प्रतापनगर	52851	12.56	---	229	35.04
9	थौलधार	44273	16.45	.1	211	38.38
	वनक्षेत्र	1000	---	---	---	52.60
	योग	520256	13.95	0.116	128	48.46

स्रोत-जनगणना 1991

विकास खंडवार साक्षरता—1991

क्र०	विकाराखंड	कुल साक्षर जनसंख्या			कुल साक्षर प्रतिशत		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	भिलगना	20831	6896	27727	48.16	14.51	30.54
2	चम्बा	15748	7994	23742	63.36	29.79	45.93
3	देवप्रयाग	13727	6574	20301	57.02	23.97	39.42
4	जाखणीधार	21567	8746	30313	62.76	27.33	45.72
5	जौनपुर	12510	3003	15518	49.06	12.12	30.83
6	कौतिनगर	14789	8631	23420	73.41	40.47	56.46
7	नरेंद्रनगर	21346	8193	29539	54.56	23.67	42.18
8	प्रतापनगर	15109	3411	18520	59.35	12.45	35.04
9	थौलधार	12637	4356	16993	57.68	19.48	38.38
10	वन क्षेत्र	378	148	526	60.87	46.39	52.60

स्रोत — जनगणना 1991

## २ - रियासत काल और वर्तमान में शैक्षणिक व्यवस्था

समन्तशाही शासन व्यवस्था एवं विषम भौगोलिक स्थिति के कारण लोगों का शैक्षिक विकास अवरुद्ध रहा है। महाराजा भवानी शाह के समय (1859-71) जनपद में प्रथम संस्कृत पाठशाला खुली जो जनपद का पहला शैक्षणिक संस्थान था। महाराजा प्रतापशाह ने सन् 1875 में टिहरी में प्रताप हाईस्कूल खोला। 1901 में कुल 2.2 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर थी। 1907 में कुल प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 5 थी। वहीं 1880-81 में इनकी संख्या मात्र तीन थी। जो 1935 में 260 हो गई। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ।

क.स.	विवरण	वर्तमान स्थिति	रियासतकाल में
1	प्राथमिक विद्यालय	1265	300
2	जू0हाईस्कूल	303	41
3	हाईस्कूल	65	4
4	इण्टर कालेज	112	1
5	नवोदय विद्यालय	1	—
6	केन्द्रीय विद्यालय	1	—
7	महाविद्यालय	9	0
8	प्रावधिक संस्था	1	—
9	औद्योगिक संस्थान	6	—

### ब्लॉकवार विद्यालय २००१-२००२

वि०ख०	प्राथमिक विद्यालय			रा० आ०वि०	उ०प्रा०विद्यालय		हा० स्कूल	इ० का०
	परिषदीय	मा०प्र०	विद्याकेन्द्र		परि०	मा०प्र०		
भिलंगना	209	24	45	8	52	13	12	20
चम्बा	121	37	20	5	27	12	10	17
देवप्रयाग	134	23	18	4	29	10	06	12
जाखणीधार	122	22	18	1	32	06	04	09
जौनपुर	166	17	24	3	42	04	06	08
कीर्तिनगर	122	20	16	3	24	05	06	13
नरेन्द्रनगर	145	21	23	4	38	09	08	14
प्रतापनगर	129	10	13	1	31	03	08	07
थौलधार	117	18	24	3	28	01	06	10
<b>योग</b>	<b>1265</b>	<b>192</b>	<b>201</b>	<b>32</b>	<b>303</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>110</b>

स्रोत-बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2001-2002।

३- जनापद में शैक्षणिक संस्थाओं की वर्तमान स्थिति  
( Educational Institute In District )

क्र०सं०	विद्यालय	प्रकार	कक्षाएं	संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	परिषदीय	1-5	1265
		मान्यताप्राप्त	1-5	192
		विद्याकेन्द्र	1-2	201
		वैकल्पिक शिक्षा केंद्र	1-5	14
2	आदर्श विद्यालय	राजकीय	1-5	10
		राजकीय	6-8	17
3	जूनीयर हाईस्कूल	परिषदीय	6-8	303
		मान्यताप्राप्त(वित्तसहित)	6-8	12
		मान्यताप्राप्त(वित्तविहीन)	6-8	51
4	हाईस्कूल	राजकीय	6-10	42
		मान्यताप्राप्त(वित्तसहित)	6-10	5
		मान्यताप्राप्त(वित्तविहीन)	6-10	2
		राजकीय	9-10	17
		मान्यताप्राप्त(वित्तसहित)	9-10	0
		मान्यताप्राप्त(वित्तविहीन)	9-10	1
5	इण्टरमीडिएट कॉलेज	राजकीय	6-12	97
		मान्यताप्राप्त(वित्तसहित)	6-12	12
		मान्यताप्राप्त(वित्तविहीन)	6-12	1
		राजकीय	9-12	1
		मान्यताप्राप्त(वित्तसहित)	9-12	1
		मान्यताप्राप्त(वित्तविहीन)	9-12	0
6	केन्द्रीय विद्यालय		1-12	1
7	नवोदय विद्यालय		6-12	1
8	राजकीयमहाविद्यालय	राजकीय		8
		मान्यताप्राप्त		1
9	पॉलीटेक्नीक	राजकीय		1
10	औद्योगिक प्र० संस्थान	राजकीय		6

स्रोत-बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०गं० 2001-2002।

**District - TEHRI GARHWAL  
BLOCK-WISE SCHOOL**

**कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा सुविधा वाली शिक्षण संस्थाएं**

S.N.	Block	J.H.School			Model	High School (VI - X)			Inter College (VI - XII)			JNV	G.
		Parisha.	Pvt.Aided	Pvt.	School	Govt.	Aided	Pvt.	Govt.	Aided	Pvt.	KV	TOTAL
1	BHILANGANA	52	2	11	4	5	3	0	15	5		1	98
2	CHAMBA	27	1	11	3	4	1	2	16	1		1	67
3	DEOPRAYAG	29	4	6	2	4	1	0	10	2			58
4	JAKHNEE DHAR	32	1	5	1	3	0	0	9	0			51
5	JAUNPUR	42	0	4	1	3	0	0	8	0			58
6	KEERTI NAGAR	24	1	4	0	6	0	0	13	0			48
7	NARENDER NAGAR	38	2	7	3	4	0	0	13	1			68
8	PRATAP NAGAR	31	1	2	1	8	0	0	5	2			50
9	THAULDHAR	28	0	1	2	5	0	0	8	1	1		46
	<b>TOTAL</b>	<b>303</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>97</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>544</b>

**ब्लाकवार कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा सुविधा वाली शिक्षण संस्थाएं**

S.N.	Block	Primary School			Model	A.S.	TOTAL
		Parisha.	Put.	EGS	School		
1	BHILANGANA	209	24	45	3	1	282
2	CHAMBA	121	37	20	3		181
3	DEOPRAYAG	134	23	18	1	1	177
4	JAKHNEE DHAR	122	22	18	0		162
5	JAUNPUR	166	17	24	1	4	212
6	KEERTI NAGAR	122	20	16	0		158
7	NARENDER NAGAR	145	21	23	2	2	193
8	PRATAP NAGAR	129	10	13	0	1	153
9	THAULDHAR	117	18	24	0	2	161
	<b>TOTAL</b>	<b>1265</b>	<b>192</b>	<b>201</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>1682</b>

## क- जनपद में ६-११ वय वर्ग के बच्चों के लिए

### उपलब्ध शिक्षण संस्थाएं

जनपद में 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों के लिए वर्तमान में 1682 शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं जिनमें 1 से 2 अथवा कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं अग्रांकित तालिका से स्थिति स्पष्ट है--

### जनपद में ६ से ११ वय वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षण संस्थाएं

(जहाँ कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं)

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	संख्या	अभ्युक्ति
1	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1265	
2	मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय	192	
3	राजकीय आदर्श विद्यालय	10	
4	विद्या केंद्र	201	
5	वैकल्पिक शिक्षा केंद्र	14	
	योग	1682	

स्रोत-बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2001-2002।

## ख-जनपद में ११-१४ वय वर्ग के बच्चों के लिए

### उपलब्ध शिक्षण संस्थाएं

जनपद में 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिए वर्तमान में 544 शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं जिनमें 6 से 8 या 6 से 10 या 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं अग्रांकित तालिका से स्थिति स्पष्ट है--

### जनपद में ११ से १४ वय वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षण संस्थाएं

(जहाँ कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं)

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	संख्या	अभ्युक्ति
1	परिषदीय जूनियर हाईस्कूल	303	
2	मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल(वित्त सहित)	12	
3	मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल(वित्त विहिन)	51	
4	राजकीय आदर्श विद्यालय	17	
5	राजकीय हाईस्कूल	42	
6	मान्यता प्राप्त हाईस्कूल(वित्त विहिन)	02	
7	मान्यता प्राप्त हाईस्कूल(वित्त सहित)	05	
8	राजकीय इण्टर कालेज	97	
9	मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज (वित्त सहित)	12	
10	मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज (वित्त विहिन)	01	
11	केन्द्रीय विद्यालय	01	
12	नवोदय विद्यालय	01	
	योग	544	

स्रोत-बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2001-2002।



**४-जनपद का छात्र-नामांकन परिदृश्य  
( Enrollment Profile )**

**जनपद में ०६ से १४ वय वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति**

**क- आयुवार नामांकन**

जनपद में वर्ष 2002 में कराए गए हाउसहोल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 11 वय वर्ग के बालकों का एन.ई.आर. 98.92 प्रतिशत व बालिकाओं का एन.ई.आर. 97.55 था। अग्रांकित तालिका से स्थिति स्पष्ट है-

**६ से ११ वय वर्ग (Agewise Enrollment)**

वर्ष	कुल बच्चे			विद्यालय जाने वाले बच्चे			एन0ई0आर0		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2002	47003	45758	92761	46496	44638	91134	98.92	97.55	98.25

स्रोत- हाउस-होल्ड सर्वे मई/जून 2002

जनपद में 6 से 11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 92761 थी जिसमें से 91134 बच्चे विद्यालयों में जाते हैं। विद्यालय में न जाने वाले बच्चों की संख्या 1627 थी जिसमें बालिकाओं की संख्या 1120 थी।

जनपद में वर्ष 2002 में कराए गए हाउसहोल्ड सर्वे के अनुसार 11 से 14 आयुवर्ग का एन.ई.आर. 96.04 था। बालकों का एन.ई.आर. 97.92 प्रतिशत व बालिकाओं का एन.ई.आर. 94.07 था। अग्रांकित तालिका से स्थिति स्पष्ट है।

**११ से १४ वय वर्ग (Agewise Enrollment)**

वय वर्ग	कुल बच्चे			विद्यालय जाने वाले बच्चे			एन0ई0आर0		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2002	24905	23611	48516	24386	22211	46597	97.92	94.07	96.04

स्रोत- हाउस-होल्ड सर्वे मई/जून 2002

जनपद में 11 से 14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 48516 थी जिसमें से 46597 बच्चे विद्यालयों में जाते हैं। विद्यालय में न जाने वाले बच्चों की संख्या 1919 थी जिसमें बालिकाओं की संख्या 1400 थी। संलग्न तालिकाओं से ब्लाकवार स्थिति स्पष्ट है।

जनपद में वर्ष 2002 में कराए गए हाउसहोल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 11 वय वर्ग के कुल बच्चे 92761 हैं तथा 11 से 14 वय वर्ग के कुल 48516 बच्चे हैं। वर्ष 2001-02 में जनपद का जी0ई0आर0 निम्नवत था -

**जी0ई0आर0 २००१ - २००२**

वय वर्ग	कुल बच्चे			जी0ई0आर0		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6-11	45593	44725	90318	108.11	111.60	109.84
11-14	21779	20332	42111	97.42	95.39	96.44

**SARVA SHIKSHA ABHIYAN**  
**Tehri Garhwal**  
**0 TO 5 Age Group Populatipn**

S.N.	Block	Population	Total 0 To 3 Age Group			Total 3 To 5 Age Group			Total 0 To 5 Age Group			3 To 5 Age Group Pre.Pri School		
			Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
1	Bhilangana	116907	3974	3727	7701	4136	3863	7999	8110	7590	15700	1069	963	2032
2	Chamba	65687	2118	1746	3864	2176	1821	3997	4294	3567	7861	1125	964	2089
3	Devprayag	60196	2255	2084	4339	1443	1241	2684	3698	3325	7023	689	575	1264
4	Jakhanidhar	55199	2003	1844	3847	1484	1349	2833	3487	3193	6680	608	528	1136
5	Jounpur	67445	3309	2961	6270	2031	1932	3963	5340	4893	10233	614	585	1199
6	Narendranagar	84498	3572	3196	6768	2149	1929	4078	5721	5125	10846	1113	1053	2166
7	Keertinagar	45241	1774	1661	3435	1089	1051	2140	2863	2712	5575	576	536	1112
8	Pratapnagar	64855	2677	2470	5147	1703	1618	3321	4380	4088	8468	861	905	1766
9	Thouldhar	51806	1958	1866	3824	1394	1329	2723	3352	3195	6547	217	208	425
		<b>611834</b>	<b>23640</b>	<b>21555</b>	<b>45195</b>	<b>17605</b>	<b>16133</b>	<b>33738</b>	<b>41245</b>	<b>37688</b>	<b>78933</b>	<b>6872</b>	<b>6317</b>	<b>13189</b>

House Hold Survey May & June 2002

**SARVA SHIKSHA ABHIYAN**  
**Tehri Garhwal**  
**06 TO 11 Age Group Populatipn**

S.N.	Block	Population	Total 5+ To 11 Age Group			Total School Going			Non School Going			N.E.R		
			Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
1	Bhilangana	116907	9389	9262	18651	9294	8984	18278	95	278	373	98.99	97.00	98.00
2	Chamba	65687	4616	4179	8795	4584	4121	8705	32	58	90	99.31	98.61	98.98
3	Devprayag	60196	4144	4178	8322	4134	4161	8295	10	17	27	99.76	99.59	99.68
4	Jakhanidhar	55199	4015	4029	8044	3997	3995	7992	18	34	52	99.55	99.16	99.35
5	Jounpur	67445	5855	5705	11560	5717	5344	11061	138	361	499	97.64	93.67	95.68
6	Narendranagar	84498	6688	6215	12903	6618	6129	12747	70	86	156	98.95	98.62	98.79
7	Keertinagar	45241	3149	3121	6270	3139	3104	6243	10	17	27	99.68	99.46	99.57
8	Pratapnagar	64855	5271	5452	10723	5207	5302	10509	64	150	214	98.79	97.25	93.00
9	Thouldhar	51806	3876	3617	7493	3806	3496	7304	70	119	189	98.19	96.71	97.48
		611834	47003	45758	92761	46496	44638	91134	507	1120	1627	98.92	97.55	98.25

House Hold Survey May & June 2002

**SARVA SHIKSHA ABHIYAN**  
**Tehri Garhwal**  
**11 TO 14 Age Group Populatipn**

S.N.	Block	Population	Total 11 To 14 Age Group			Total School Going			Non School Going			N.E.R		
			Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
1	Bhilangana	116907	4721	4713	9434	4625	4448	9073	96	265	361	97.97	94.38	96.17
2	Chamba	65687	3690	3268	6958	3657	3211	6868	33	57	90	99.11	98.26	98.71
3	Devprayag	60196	2400	2324	4724	2374	2272	4646	26	52	78	98.92	97.76	98.35
4	Jakhanidhar	55199	1964	1964	3928	1947	1927	3874	17	37	54	99.13	98.12	98.63
5	Jounpur	67445	2593	2289	4882	2435	1834	4269	158	455	613	93.91	80.12	87.44
6	Narendranagar	84498	3429	3245	6674	3355	3084	6439	74	161	235	97.84	95.04	96.48
7	Keertnagar	45241	1752	1783	3535	1743	1771	3514	9	12	21	99.49	99.33	99.41
8	Pratapnagar	64855	2374	2219	4593	2310	1980	4290	64	239	303	97.30	89.23	93.40
9	Thouldhar	51806	1982	1806	3788	1940	1684	3624	42	122	164	97.88	93.24	95.67
		<b>611834</b>	<b>24905</b>	<b>23611</b>	<b>48516</b>	<b>24386</b>	<b>22211</b>	<b>46597</b>	<b>519</b>	<b>1400</b>	<b>1919</b>	<b>97.92</b>	<b>94.07</b>	<b>96.04</b>

House Hold Survey May & June 2002

## खा- कक्षावार नामांकन (Classwise Enrollment) शिक्षा सत्र-२००१-०२

### १-प्राथमिक स्तर (कक्षा-१ से ५ तक)

निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है कि 77.41 प्रतिशत बच्चे परिषदीय प्रा०वि० व 1.83 प्रतिशत बच्चे रा०आ०वि० व 1.95 प्रतिशत बच्चे विद्या केन्द्रों में तथा 18.72 प्रतिशत बच्चे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पंजीकृत है। बालिकाओं के मामले में परिषदीय विद्यालयों में कुल बालिकाओं की 81.35 प्रतिशत बालिकाएं नामांकित है जबकि 14.68 प्रतिशत बालिकाएं एवं 22.81 प्रतिशत बालक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। परिषदीय प्रा०वि० में प्रति विद्यालय 63.78 बच्चे पढते हैं।

### विद्यालयवार छात्र संख्या (३० सितम्बर २००१)

Sl. No.	Type of School	Total Number	Children enrolled (30-Sept. 2001)		
			Boys	Girls	Total
1	Prishadeey Primary Schools	1204	36186	40609	76795
2	Model Schools (Primary)	32	903	1044	1947
3	Vidhya Kendra	72	961	935	1896
4	Recognized Primary Schools	187	11241	7328	18569
<b>Total</b>			<b>49291</b>	<b>49916</b>	<b>99207</b>

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2001-2002।

निम्न तालिका से स्पष्ट है कि कुल छात्र संख्या का 32.57 प्रतिशत कक्षा एक में व 19.17 प्रतिशत भाग कक्षा 2 में, 17.19 प्रतिशत भाग कक्षा 3 में, 15.92 प्रतिशत कक्षा 4 में, 15.15 प्रतिशत छात्र कक्षा 5 में अध्ययनरत है। कुल छात्र संख्या में 50.31 प्रतिशत भाग छात्रों का है।

### कक्षावार छात्र संख्या (३० सितम्बर २००१)

कक्षा	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
1	16177	16136	32313	32.57
2	9340	9675	19015	19.17
3	8472	8583	17055	17.19
4	7847	7943	15790	15.92
5	7455	7579	15034	15.15
<b>योग</b>	<b>49291</b>	<b>49916</b>	<b>99207</b>	<b>100.00</b>

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2001-2002।

## २- जूनियर स्तर (कक्षा ६ से ८ तक)

जनपद में संचालित कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में कुल छात्र संख्या 40613 है जिसमें से 52.2% प्रतिशत भाग बालकों का है, बालिकाओं का प्रतिशत 47.76 है। परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में प्रति विद्यालय 48.13 बच्चे पढ़ते हैं। अग्रकित तालिका से कक्षावार नामांकन की स्थिति स्पष्ट है-

### जूनियर स्तर (कक्षा ६ से ८ तक)

Sl. No.	Type of Sc109-8hool	Total Number	Children enrolled (30-Sept. 2001)		
			Boys	Girls	Total
1	Prishadeey JunnearSchools	303	7159	7425	14584
2	Model Schools (Junnear)	29	414	412	826
3	Recognized JunnearSchools	62	3243	2193	5436
4	Madhamik School(H.S. & I.C.)	148	10402	9365	19767
<b>Total</b>		<b>542</b>	<b>21218</b>	<b>19395</b>	<b>40613</b>

### कक्षावार छात्र संख्या (३० सितम्बर २००१)

क्र.	विद्यालय	कक्षा-6		कक्षा-7		कक्षा-8		योग		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1.	जू०हा०	3893	3880	3698	3346	3225	2804	10816	10030	20846
2.	हा० व इ०का०	3611	3507	3452	3055	3339	2803	10402	9365	19767
<b>योग</b>		<b>7504</b>	<b>7387</b>	<b>7150</b>	<b>6401</b>	<b>6564</b>	<b>5607</b>	<b>21218</b>	<b>19395</b>	<b>40613</b>

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी एवं जि०वि०निरीक्षक टि०ग० 2001-2002।

## ग-जातिवार नामांकन (Castwise Enrollment) शिक्षा सत्र-२००१-०२

जनपद में कक्षा 1 से 5 तक के कुल नामांकन 99207 में जाति वार नामांकन की स्थिति निम्नवत है।

### १- प्राथमिक स्तर (कक्षा १ से ५ तक)

वर्ग	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
सामान्य	39080	39632	78712	79.34
अनु०जा०	9428	9582	19010	19.16
अनु०जन०जा०	40	27	67	0.07
पि०जाति	414	353	767	0.77
अल्प०सं०	329	322	651	0.66
<b>योग</b>	<b>49291</b>	<b>49916</b>	<b>99207</b>	<b>100.00</b>

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2001-2002।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल छात्र संख्या का 79.34 प्रतिशत भाग सामान्य वर्ग के छात्रों का एवं 19.16 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति के छात्रों का है। कुल छात्र संख्या में मात्र 0.07 प्रतिशत भाग ही अनुसूचित जनजाति के छात्रों का है।

## २- उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६ से ८ तक)

जनपद के कक्षा 6 से 8 तक के कुल नामांकन 40613 में जाति वार नामांकन की स्थिति निम्नवत है।

क्र.	विद्यालय	सामान्य		अनु०जाति		अनु०ज० जाति		पि०जाति	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	जू०हा०	9269	9032	1437	906	3	5	107	87
2.	हा० व इ०का०	8466	7988	1794	1228	16	25	126	124
योग		17735	17029	3231	2134	19	30	233	211

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी एवं जि०वि०निरीक्षक दि०मा० 2001-2002।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल छात्र संख्या 40613 में से सामान्य वर्ग के 34755 विद्यार्थी, अनुसूचित जाति के 5365 विद्यार्थी, अनुपूजित जनजाति के 49 विद्यार्थी तथा पिछड़ी जाति के कुल 444 विद्यार्थी हैं।

## ५- छात्र संख्या के अनुसार विद्यालय

### क- प्राथमिक स्तर (कक्षा १ से ५ तक)

वर्ष 2001-02 के छात्र नामांकन के अनुसार जनपद के 1265 प्राथमिक विद्यालयों में से 163 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ छात्र नामांकन 25 से कम है। यह कुल 12.9 प्रतिशत है। जबकि 25 से 100 तक नामांकन वाले कुल विद्यालयों की संख्या 855 है, जो कुल का 67.64 प्रतिशत है। 100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों की संख्या 186 है, जो कि 14.71 प्रतिशत है। इस वर्ष खुले 61 प्रा०वि० में कक्षाएं संचालित नहीं हो पायी हैं। निम्नांकित तालिका से स्थिति स्पष्ट है-

क्र०स०	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	अनारम्भ विद्यालय	061	04.75
2	25 से कम नामांकन वाले विद्यालय	163	12.90
3	25 से 100 तक नामांकन वाले विद्यालय	855	67.64
4	100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय	186	14.71
योग		1265	100

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-2002।

निम्नांकित तालिका से ब्लाकवार स्थिति स्पष्ट है-

क्र०स०	वि०क्षे०	नामांकन के अनुसार प्रा० विद्यालय			
		25 से कम	25 से 100 तक	100 से अधिक	अनारम्भ
1	भिलंगना	09	136	52	12
2	चम्बा	16	92	8	05
3	देवप्रयाग	21	87	17	09
4	जाखणीधार	22	80	16	04
5	जौनपुर	20	120	20	06
6	कीर्तिनगर	31	80	04	07
7	नरेन्द्रनगर	10	98	32	05
8	प्रतापनगर	14	82	27	06
9	थौलधार	20	80	10	07
योग		163	855	186	61

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-2002।

### खा- उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६ से ८ तक)

वर्ष 2001-02 के छात्र नामांकन के अनुसार जनपद के 303 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 62 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ छात्र नामांकन 25 से कम है। यह कुल 20.46 प्रतिशत है। जबकि 25 से 100 तक नामांकन वाले कुल विद्यालयों की संख्या 222 है, जो कुल का 73.27 प्रतिशत है। 100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों की संख्या 19 है, जो कि 6.27 प्रतिशत है। निम्नांकित तालिका से स्थिति स्पष्ट है।

क्र०स०	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	25 से कम नामांकन वाले विद्यालय	062	20.46
2	25 से 100 तक नामांकन वाले विद्यालय	222	73.27
3	100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय	019	06.27
	<b>योग</b>	<b>303</b>	<b>100</b>

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-2002।

निम्नांकित तालिका से ब्लाकवार स्थिति स्पष्ट है-

क्र०स०	वि०क्षे०	नामांकन के अनुसार उ० प्रा० विद्यालय		
		25 से कम	25 से 100 तक	100 से अधिक
1	भिलंगना	14	30	08
2	चम्बा	04	21	02
3	देवप्रयाग	06	23	—
4	जाखणीधार	06	22	04
5	जौनपुर	14	27	1
6	कीर्तिनगर	04	20	—
7	नरेन्द्रनगर	03	34	01
8	प्रतापनगर	04	26	01
9	थौलधार	07	19	02
	<b>योग</b>	<b>62</b>	<b>222</b>	<b>19</b>

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-2002।



**६. स्कूल अनुसार गाँव**  
**क- प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा**

जनपद के 1778 आबाद ग्रामों में स्थित 2514 बस्तियों में 1265 परिषदीय प्रा०विद्यालय, 173 मा०प्राप्त प्रा०विद्यालय, 10 रा०आ०विद्यालय, 201 विद्या केंद्र एवं 14 वै०शि० केंद्र स्थित है। जनपद में 2165 बस्तियां ऐसी हैं जहाँ गाँव में या 1.00 कि०मी० की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। नीचे दी गयी तालिका से स्थिति स्पष्ट है-

वि०क्षे०	कुल बस्तियां	कुल बस्तियां (जहाँ गाँव में ही प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है)	कुल बस्तियां (जहाँ प्राथमिक शिक्षा की सुविधा 1 कि०मी० से अधिक दूरी पर उपलब्ध है)	जी०ए०आर०
भिलगना	409	371	38	90.71
चम्बा	252	210	42	83.33
देवप्रयाग	322	284	38	88.20
जाखणीधार	199	168	31	84.42
जौनपुर	326	288	38	88.34
कीर्तिनगर	270	233	37	86.30
नरेन्द्रनगर	378	276	102	72.49
प्रतापनगर	161	158	3	96.31
थौलधार	197	177	20	89.85
<b>योग</b>	<b>2514</b>	<b>2165</b>	<b>349</b>	<b>86.04</b>

स्रोत-हाउस-होल्ड सर्वे 2002

**ख- उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा**

जनपद के 1778 आबाद ग्रामों में स्थित 2514 बस्तियों में 303 परिषदीय जूनियर विद्यालय, 58 मा०प्राप्त जू०विद्यालय, 17 रा०आ०विद्यालय, 49 हाईस्कूल एवं 110 इण्टर कालेज स्थित है। जनपद में 2223 बस्तियां ऐसी हैं जहाँ गाँव में या 3.00 कि०मी० की परिधि में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। नीचे दी गयी तालिका से स्थिति स्पष्ट है--

वि०क्षे०	कुल बस्तियां	कुल बस्तियां (जहाँ गाँव में ही उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है)	कुल बस्तियां (जहाँ उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा 3 कि०मी० से अधिक दूरी पर उपलब्ध है)	जी०ए०आर०
भिलगना	409	375	34	91.69
चम्बा	252	233	19	92.46
देवप्रयाग	322	304	18	94.41
जाखणीधार	199	170	29	85.43
जौनपुर	326	274	52	84.05
कीर्तिनगर	270	246	24	91.11
नरेन्द्रनगर	378	278	100	73.07
प्रतापनगर	161	157	04	97.52
थौलधार	197	186	11	92.39
<b>योग</b>	<b>2514</b>	<b>2223</b>	<b>291</b>	<b>88.42</b>

स्रोत-हाउस-होल्ड सर्वे 2002

**७-छात्र अध्यापक अनुपात**  
(Teacher Profile)

**क- प्राथमिक स्तर (कक्षा १ से ५ तक)**

जनपद में परियोजना से पूर्व कुल 886 प्र०अ० व 1917 सहायक अध्यापक के पद सृजित थे। वर्ष 2000-01 में 30 एवं वर्ष 2001-02 में 60 प्र०अ० के पद परियोजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये। अतः जनपद में कुल प्र०अ० के सृजित पदों की संख्या 976 है। जबकि स्वीकृत 1917 स०अ० के पदों में से 30+60 = 90 पद (90 प्र०अ० डी०पी०ई०पी० के विद्यालयों में) शासनादेश के कारण रिक्त रखे गये हैं। 127 शिक्षा मित्रों के पद परियोजना द्वारा एवं 115 शिक्षा मित्रों के पद उत्तरांचल सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। जनपद में अध्यापकों की स्थिति निम्नवत है-

विवरण	कुल स्वीकृत प्रधानाध्यापक पद	कुल स्वीकृत सहायक अध्यापक पद	कुल स्वीकृत शिक्षा-मित्र पद
शिक्षा विभाग	886	1917	115
डी०पी०ई०पी०	90	-	247
<b>योग</b>	<b>976</b>	<b>1917*</b>	<b>362</b>

\* 30+60=90 पद शासनादेश के कारण रिक्त रखे गये हैं।

अतः जनपद में कुल स्वीकृत पद-  $1916 + \{1917 - 90\} + 362 = 3105$  हुए। इस प्रकार स्वीकृत अध्यापकों की संख्या पर जनपद का छात्र-अध्यापक अनुपात 9 सितम्बर 2001 को 1: 24.73 था।

जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों कार्यरत अध्यापकों की दर से छात्र अध्यापक अनुपात 9/2001 को 1:30.66 था। विकासखण्डवार स्थिति निम्नवत है-

Block	Total Enrolment Parishadiya School	No. of Teacher posted				P.T.R. as on 9/01
		H.M.	A.T.	S. Mitra	Total	
Bhilangana	15460	98	248	23	371	41.67
Chamba	6064	104	174	06	284	21.35
Devprayag	7078	68	167	09	244	29.01
Jakhanidhar	7014	86	155	10	251	28.30
Jounpur	9564	86	224	17	327	29.25
Keertnagar	5273	66	142	13	221	23.86
Narendranagar	10779	112	224	11	347	31.06
Pratapnagar	8903	41	152	18	211	42.19
Thouldhar	6568	75	162	12	249	26.37
<b>Tehri</b>	<b>76795</b>	<b>736</b>	<b>1648</b>	<b>121</b>	<b>2505</b>	<b>30.66</b>

## खा- उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६ से ८ तक)

जनपद में कुल संचालित 303 जूनियर हाईस्कूलों में 260 प्राधानाध्यापक एवं 871 सहायक अध्यापकों के पद कुल 1131 पद स्वीकृत हैं वर्तमान में 195 प्र0अ0 एवं 808 स0अ0 कुल 1003 अध्यापक कार्यरत हैं। वर्तमान में कार्यरत 1003 अध्यापकों की दर से प्रति जू0हा0 अध्यापकों की उपलब्धता 3.3 है। जबकि स्वीकृत पदों की दर से यह प्रति जू0हा0 3.73 होगी। 9/2001 को स्वीकृत अध्यापकों के दर पर छात्र-अध्यापक अनुपात 1:12.9 था।

विवरण	कुल स्वीकृत प्र0अ0 पद	कुल स्वीकृत स0अ0 पद	कुल स्वीकृत पद
शिक्षा विभाग	260	871	1131

9/2001 को कार्यरत अध्यापकों के दर पर छात्र-अध्यापक अनुपात 1:14.54 था। ब्लाकवार कार्यरत अध्यापकों का विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	वि0ख0	परिषदीय जूनियर हाईस्कूल	कार्यरत अध्यापक		
			प्र0अ0	स0अ0	योग
1	भिलंगना	52	38	128	166
2	चम्बा	27	16	89	105
3	देवप्रयाग	29	19	77	96
4	जाखणीधार	32	21	82	103
5	जौनपुर	42	23	106	129
6	कीर्तिनगर	24	19	54	73
7	नरेन्द्रनगर	38	24	109	133
8	प्रतापनगर	31	19	71	90
9	थौलधार	28	16	912	108
योग		303	195	808	1003

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2001-2002।

नवम/दशम वित्त आयोग अंतर्गत स्वीकृत 16 कन्या जूनियर हाईस्कूलों में कोई पद स्वीकृत नहीं है। ब्लाकवार इनका विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	विकास क्षेत्र	विद्यालय	क्र0स0	विकास क्षेत्र	विद्यालय
1	भिलंगना	क0जू0हा0 चौंरा	9	जौनपुर	क0जू0हा0 मजेपुर
2		क0जू0हा0 थाती	10		क0जू0हा0 दुबड़ा
3	चम्बा	क0जू0हा0 चवालखेत	11	कीर्तिनगर	क0जू0हा0 देवगड्डी
4	देवप्रयाग	क0जू0हा0 स्यूटा	12	नरेन्द्रनगर	क0जू0हा0 ढालवाला
5	जाखणीधार	क0जू0हा0 पालकोट	13	"	क0जू0हा0 लवा
6		क0जू0हा0 स्वाती	14	प्रतापनगर	क0जू0हा0 पड़िया
7		क0जू0हा0 रतौली	15		क0जू0हा0 भरपूरियागांव
8		क0जू0हा0 ननवा	16	थौलधार	क0जू0हा0 जौलंगी

**क-जनपद में भवन के अनुसार शिक्षण संस्थाएं**  
(Educational Institute According To Building)

**क- विकासखाण्डवार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति**

जनपद में वर्तमान में प्राथमिक स्तर के 1672 एवं जू0हा0स्कूल स्तर की 544 शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं। जिनमें प्राथमिक स्तर के 1265 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 303 परिषदीय विद्यालय हैं। भवन की उपलब्धता के अनुसार 1265 परिषदीय विद्यालय निम्नवत हैं-

क्र0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	भवनहीन प्राथमिक विद्यालय	04	00.32
2	एक कक्षीय प्राथमिक विद्यालय	08	00.63
3	द्वि- कक्षीय प्राथमिक विद्यालय	1070	84.59
4	त्रि-कक्षीय प्राथमिक विद्यालय	164	12.96
5	चार या चार से अधिक कक्षीय प्राथमिक विद्यालय	19	01.50

स्रोत-ई0एम0आई0एस0 2001-2002।  
बेसिक शिक्षाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

**ब्लॉकवार भवन के अनुसार प्राथमिक विद्यालय**

क्र0 स0	विकासक्षेत्र	प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की भवन की स्थिति					योग
		भवनहीन	एक कक्षीय	द्वि कक्षीय	त्रि-कक्षीय	चार या चार से अधिक	
1	भिलंगना	-	-	195	12	2	209
2	चम्बा	-	-	106	13	2	121
3	देवप्रयाग	-	-	114	17	3	134
4	जाखणीधार	1	2	106	11	2	122
5	जौनपुर	-	-	129	37	-	166
6	कीर्तिनगर	-	-	101	19	2	122
7	नरेन्द्रनगर	1	-	112	26	6	145
8	प्रतापनगर	-	-	119	09	-	129
9	थौलधार	2	6	88	20	2	117
योग		04*	08**	1070***	154	19	1265

\* 2 विद्यालय टिहरी बांध डूब क्षेत्र में। \*\* 6 विद्यालय टिहरी बांध डूब क्षेत्र में। \*\*\* 60 विद्यालय निर्माणाधीन।

स्रोत-ई0एम0आई0एस0 2001-2002।  
बेसिक शिक्षाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

## खा- विकासखाण्डवार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की एक प्रमुख समस्या भवन का न होना है। 46.54 प्रतिशत विद्यालयों में भवन नहीं हैं। इन 141 भवनों में 14 के भवन का निर्माण पैक्स-फंड द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में ए भवनहीन विद्यालय समुदाय द्वारा उपलब्ध कराए गए निजी या पंचायती भवनों में संचालित हैं। भवन की उपलब्धता के अनुसार 303 परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है-

क्र०स०	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	भवनहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	141 (14 निर्माणाधीन व 2 ध्वस्त)	46.54
2	एकल कक्षीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	00	00.00
3	द्वि-कक्षीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	07	02.31
4	त्रि-कक्षीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	84	27.72
5	चार या चार से अधिक कक्षीय विद्यालय	71	23.43

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-2002।

बेसिक शिक्षाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

## ब्लाकवार भवन के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र०	विकासक्षेत्र	प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की भवन की स्थिति					
		भवनहीन	एक कक्षीय	द्वि कक्षीय	त्रि-कक्षीय	चार या चार से अधिक	योग
1	भिलंगना	22	—	1	18	11	52
2	चम्बा	12	—	1	07	07	27
3	देवप्रयाग	16	—	1	09	03	29
4	जाखणीधार	16	—	3	08	05	32
5	जौनपुर	14	—	1	12	15	42
6	कीर्तिनगर	15	—	—	03	06	24
7	नरेन्द्रनगर	20	—	—	08	10	38
8	प्रतापनगर	13	—	—	10	08	31
9	शौलधार	13	—	—	09	06	28
योग		141*	00	07	84	71	303

\* 14 निर्माणाधीन पैक्स-फंड द्वारा एवं 2 ध्वस्त।

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-2002।

बेसिक शिक्षाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

## ६-जीर्ण-शीर्ण एवं ध्वस्त भवन (Dilapidated Building)

### क- विकासखण्डवार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

जनपद में वर्तमान में संचालित 1265 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में से 90 डी0पी0ई0पी योजनान्तर्गत खुले हैं। 90 जीर्ण-शीर्ण भवनों का निर्माण डी0पी0ई0पी योजनान्तर्गत हुआ है। वर्तमान में 98 विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त हैं, जिनका पुर्न-निर्माण आवश्यक है। 4 विद्यालय भवनहीन हैं, जिनमें से 2 विद्यालय टिहरी बांध डूब क्षेत्र में हैं शेष 02 भवनहीन विद्यालयों का निर्माण आवश्यक है। अग्रांकित तालिका से विकासखंडवार इनकी स्थिति स्पष्ट है-

क्र0स0	वि0क्षे0	भवनहीन विद्यालय	जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त विद्यालय
1	भिलंगना	00	09
2	चम्बा	00	14
3	देवप्रयाग	00	15
4	जाखणीधार	01	12
5	जौनपुर	00	11
6	कीर्तिनगर	00	14
7	नरेन्द्रनगर	01	06
8	प्रतापनगर	00	06
9	थौलधार	02	11
	योग	04	98

स्रोत-बेसिक शिक्षाधिकारी,टि0ग0 2001-2002।

### ख- विकासखण्डवार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

जनपद में वर्तमान में संचालित 303 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। 14 भवनों का निर्माण पैक्स-फंड द्वारा हो रहा है। वर्तमान में 14 विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त हैं व जिनका पुनर्निर्माण आवश्यक है। कुल 125 विद्यालय भवनहीन हैं, जिनका निर्माण आवश्यक है। वर्तमान में ए विद्यालय समुदाय द्वारा उपलब्ध कराए गए निजि या पंचायती भवनों पर संचालित हैं। अग्रांकित तालिका विकासखंडवार इनकी स्थिति स्पष्ट है-

क्र0स0	वि0क्षे0	भवनहीन विद्यालय	जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त विद्यालय	निर्माणाधीन
1	भिलंगना	19	1	3
2	चम्बा	11	1	1
3	देवप्रयाग	15	1	1
4	जाखणीधार	15	2	1
5	जौनपुर	14	-	-
6	कीर्तिनगर	10	1	5
7	नरेन्द्रनगर	19	5 <sup>4</sup>	1
8	प्रतापनगर	10	1	2
9	थौलधार	12	2	-
	योग	125	14*	14

## १०- जनपद में विद्यालयों में सुविधाओं की उपलब्धता की

### क- प्राथमिक स्तर (कक्षा १ से ५ तक)

जनपद में स्थित 1265 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में से मात्र 442 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 360 है। चारहदीवारी युक्त विद्यालयों की संख्या 342 है। क्रीडागन की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 321 है।

क्रमांक	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालय	360	28.46
2	पेयजल की सुविधायुक्त विद्यालय	442	34.91
3	चारहदीवारी युक्त विद्यालय	342	27.04
4	क्रीडागन की सुविधायुक्त विद्यालय	321	25.38

स्रोत-ई0एम0आई0एस0 2001-2002।

ब्लाकवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, चारहदीवारी युक्त विद्यालय एवं क्रीडागन की सुविधायुक्त विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है-

क्र०	वि०क्ष०	कुल विद्यालय	सुविधायुक्त विद्यालय			
			शौचालय	पेयजल	चारहदीवारी	क्रीडागन
1	भिलंगना	209	39	71	38	49
2	चम्बा	121	47	32	38	14
3	देवप्रयाग	134	35	40	27	40
4	जाखणीधार	122	44	40	41	26
5	जौनपुर	166	47	77	47	71
6	कीर्तिनगर	122	30	45	21	20
7	नरेन्द्रनगर	145	52	67	41	47
8	प्रतापनगर	129	32	35	36	24
9	थौलधार	117	34	35	53	30
योग		1265	360	442	342	321

स्रोत-ई0एम0आई0एस0 2001-2002।

### ख- उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६ से ८ तक)

जनपद में स्थित 303 परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में से मात्र 106 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 107 है। चारहदीवारी युक्त विद्यालयों की संख्या 53 है। क्रीडागन की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 48 है।

क्र०	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालय	107	35.31
2	पेयजल की सुविधायुक्त विद्यालय	106	34.98
3	चारहदीवारी युक्त विद्यालय	53	17.49
4	क्रीडागन की सुविधायुक्त विद्यालय	48	15.84

स्रोत-ई0एम0आई0एस0 2001-2002।

ब्लाकवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, चारहदीवारी युक्त विद्यालय एवं क्रीडागन की सुविधायुक्त विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है-

क्र० स०	वि०क्ष०	कुल विद्यालय	सुविधायुक्त विद्यालय			
			शौचालय	पेयजल	चारहदीवारी	क्रीडागन
1	भिलंगना	52	14	13	09	10
2	चम्बा	27	09	12	06	00
3	देवप्रयाग	29	13	12	05	00
4	जाखणीघार	32	14	11	06	03
5	जौनपुर	42	19	15	11	12
6	कीर्तिनगर	24	06	08	02	03
7	नरेन्द्रनगर	38	11	09	04	04
8	प्रतापनगर	31	10	08	06	03
9	थौलधार	28	11	18	04	05
<b>योग</b>		<b>303</b>	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>53</b>	<b>48</b>

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-2002।

जनपद में स्थित 303 जूनियर हाईस्कूलों में से मात्र 90 विद्यालय आप्रेशन ब्लैक-बोर्ड योजना से आच्छादित हैं। 04 विद्यालय नवम् वित्त आयोग एवं 12 विद्यालय दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्मित हैं। ब्लाकवार इनकी स्थिति निम्नवत है-

क्र०स०	वि०ख०	परिषदीय जूनियर हाईस्कूल	योजनाओं से अच्छादित विद्यालय		
			O.B.B.	नवम्/दशमवित्त	योग
1	भिलंगना	52	17	02	19
2	चम्बा	27	07	01	08
3	देवप्रयाग	29	08	01	09
4	जाखणीघार	32	09	04	13
5	जौनपुर	42	10	02	12
6	कीर्तिनगर	24	05	01	06
7	नरेन्द्रनगर	38	11	02	13
8	प्रतापनगर	31	13	02	15
9	थौलधार	28	10	01	11
<b>योग</b>		<b>303</b>	<b>90</b>	<b>16</b>	<b>106</b>

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2001-2002।



## ११.(क) बेसिक शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा (Administrative Set-up Of Basic Education)

जनपद में बेसिक शिक्षा प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) एवं उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) दो भागों में संचालित है। प्राथमिक शिक्षा पूर्णतया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (B.S.A.) के नियंत्रण में है। उच्च प्राथमिक शिक्षा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (B.S.A.) एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (D.I.O.S.) के नियंत्रण में है। जिन संस्थाओं में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, वे जूनियर हाई-स्कूल या उच्च प्राथमिक विद्यालय कहलाते हैं और पूर्णतया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में है। जिन संस्थाओं में कक्षा 6 से 10 या कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, वे हाई-स्कूल या इण्टर कालेज (माध्यमिक शिक्षा के साथ) कहलाते हैं और ये पूर्णतया जिला विद्यालय निरीक्षक के नियंत्रण में है। इस प्रकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग के लिए जिले में उप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (Dy.B.S.A.) भी होता है। ब्लाक स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी (A.B.S.A.) एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक (S.D.I.) होते हैं। वर्तमान में जनपद में 1 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, 1 उप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं 17 सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में 4 जिला समन्वयक एवं प्रत्येक विकास खण्ड में शैक्षणिक अनुसमर्थन के लिए एक ब्लाक समन्वयक एवं 2 सह-समन्वयक एवं प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक न्याय पंचायत समन्वयक कार्यरत हैं। इस प्रकार जनपद में 9 विकास खण्डों में 09 ब्लाक समन्वयक एवं 18 सह-समन्वयक एवं 76 न्याय पंचायतों में 76 एक न्याय पंचायत समन्वयक कार्यरत हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक (D.I.O.S.) के सहयोग के लिए जिले में सह जिला विद्यालय निरीक्षक (A.D.I.O.S.) भी होता है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (B.S.A.) एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (D.I.O.S.) के अपने-अपने कार्यालय हैं। वर्तमान में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (B.S.A.) का कार्यालय नई टिहरी में एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (D.I.O.S.) का कार्यालय नरेन्द्रनगर में स्थित है।

क्र०	पद	कार्यरत	विवरण
<b>बेसिक शिक्षा</b>			
1	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (जिला स्तर पर)
2	उप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	1	अधिनस्थ द्वितीय श्रेणी अधिकारी (जिला स्तर पर)
3	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	17	ब्लाक स्तर पर
<b>माध्यमिक शिक्षा</b>			
1	जिला विद्यालय निरीक्षक		प्रथम श्रेणी अधिकारी (जिला स्तर पर)
2	सह जिला विद्यालय निरीक्षक		द्वितीय श्रेणी अधिकारी (जिला स्तर पर)

**११.(ख)- जिला परियोजना कार्यालय (डी०पी०ई०पी०)**  
(District Project office DPEP-III)

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की गई है। जिला परियोजना कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण कार्य करता है, जोकि इस कार्यालय का संचालन विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी के परामर्श से करता है। विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए जिला परियोजना कार्यालय में चार समन्वयक व एक सहायक लेखाधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। इसके साथ ही लेखाधिकारी की सहायता के लिए एक लेखाकार, एक स्टेनो व एक लिपिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। जिला परियोजना कार्यालय में एम0आई0एस0 सेल की स्थापना भी की गई है। जिसमें एक कम्प्यूटर आपरेटर संविदा पर कार्यरत है। कार्यालय में कार्य करने हेतु एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है।

**जिला परियोजना कार्यालय स्टाफ विवरण**

क्र.सं.	पद	पद स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	01	01	—
2	समन्वयक	04	04	—
3	सहायक लेखाधिकारी	01	01	—
4	लेखाकार	01	01	—
5	आशुलिपिक	01	01	—
6	लिपिक	01	01	—
7	कम्प्यूटर आपरेटर	01	01	—
8	चतुर्थ श्रेणी	01	01	—

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी,टि0ग0।

परियोजना के कुशल संचालन हेतु जनपद के सभी विकास खण्डों में विकासखंड संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें एक समन्वयक तथा उनकी सहायता के लिए प्रत्येक विकासखण्ड में दो सह-समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। साथ ही पूरे जनपद में 76 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिनमें समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। उपरोक्त का विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	पद	पद स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	बी0आर0सी0समन्वयक	09	09	.
2	बी0आर0सी0 सहसमन्वयक	18	18	.
3	एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	76	76	.

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी,टि0ग0।

## १२. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए समय-समय पर विभिन्न सेवारत प्रशिक्षणों का आयोजन करता है, उन्हें अकादमिक सहयोग प्रदान करता है। साथ ही डायट प्राथमिक प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए वी०टी०सी० का सेवा पूर्व प्रशिक्षण भी आयोजित करता है। डायट का भवन मदन नेगी में बना है परन्तु वर्तमान में डायट नई टिहरी में संचालित है। जनपद में डायट में स्टाफ की स्थिति निम्नवत है—

क्र.सं.	पद	पद स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	प्राचार्य	01	01	—
2	उपाचार्य	01	00	01
3	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	02	04
4	प्रवक्ता	17	15	2
5	कार्यानुभव शिक्षक	01	01	—
6	सांख्यिकार	01	—	01
7	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	—	01
8	तकनीकी विशेषज्ञ	01	—	01
9	कार्यालय अधीक्षक	01	—	01
10	स्टेनो	01	—	01
11	लेखाकार	01	—	01
12	कनिष्ठ लिपिक	09	09	—
13	प्रयोगशाला सहायक	02	—	02
14	चतुर्थ श्रेणी	05	05	—

स्रोत— प्राचार्य, डायट टि०ग० 2001-2002।

## अध्याय-तीन

### जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III (District Primary Education Programme-III)

#### उद्देश्य एवं प्रमुखा गतिविधियाँ

नई शिक्षा की कार्यनीति 1992 के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक उत्साहपूर्ण प्रयास रहा है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में जहाँ बेसिक शिक्षा की भौतिक संरचना को सुगम बनाया जाना आवश्यक है, वहीं बालकेंद्रित पाठ्य क्रम आधारित पठन-पाठन की गुणवत्ता पर अधिक बल दिये जाने की आवश्यकता है। परियोजना में खासकर बालिकाओं, अनुसूचित जनजाति तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु जनपद में 1 अप्रैल 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं :-

- 1- नामांकन- 6 से 11 वय वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए स्कूली-शिक्षा की व्यवस्था।
- 2- धारण/ठहराव- विद्यालय में सामाविता होने वाले प्रत्येक बच्चे के द्वारा 5 साल की स्कूली-शिक्षा निर्बाध रूप से पूरी करवाना।
- 3- गुणवत्ता-संवर्धन- गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति (छात्रों की शैक्षणिक-सम्प्राप्ति में भाषा एवं गणित में 25 प्रतिशत एवं अन्य में 40 प्रतिशत की वृद्धि करना)।
- 4- क्षमता विकास- संस्थाओं की, जिसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), जिला परियोजना कार्यालय (डी०पी०ओ०), ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बी०आर०सी०), न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन०पी०आर०सी०) एवं ई०एम०आई०एस० सेल की स्थापना एवं उनका सुदृढीकरण प्रमुख है।

**जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित प्रमुखा गतिविधियां**  
**१- निर्माण-कार्य**  
**( Civil Work )**

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यो का सम्पादन (बी०आर०सी० भवन को छोड़कर) ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा होता है। निर्माण-कार्यो के सम्पादन हेतु उन्हें ब्लाक-स्तर पर आर०ई०एस० की सहायता से निर्माण सम्बन्धी तकनीकी की जानकारी दी जाती है। बी०आर०सी० निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी जल निगम (सी०एण्ड डी०) को बनाया गया है। परियोजना का वर्ष 2000-05 तक के लिए निर्माण-कार्यो का लक्ष्य निम्नवत है -

क्र० स०	गतिविधि	कुल लक्ष्य 2000-05	लक्ष्य-2000-01			लक्ष्य-2001-02		
			लक्ष्य	पूर्ण	प्रगतिपर	लक्ष्य	पूर्ण	प्रगतिपर
1	नवीन प्रा०वि०भवन निर्माण	122	30	29	1	60		60
2	प्रा०वि० भवन पुर्न निर्माण	90	30	22	08	60		60
3	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	67	27	13	14	40		11
4	एन०पी०आर०सी० निर्माण	76	36	36	-	39		39
5	शौचालय निर्माण	200	50	45	04	50		50
6	पेय-जल व्यवस्था	200	50		50			
7	बी०आर०सी०	08	04			04		08

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2001-2002।

**२-नवीन प्राथमिक विद्यालय**  
**( New Primary School )**

प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के अन्तर्गत 122 असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत अब तक जनपद की 90 बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। नवीन खुले विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 1.91 लाख रुपये ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध कराया जाता है, जिसका 40 प्रतिशत अंशदान (रु० 76.4 हजार) परियोजना द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। 11 बस्तियों में वर्ष 2002-2003 में 11 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। शैक्षणिक सामग्री की पूर्ति हेतु रु० 10,000 प्रति विद्यालय की दर से धनराशि परियोजना के द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों को उपलब्ध कराई जाती है। ब्लाकवार वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 में खुले नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है-

**ब्लाकवार नवीन प्राथमिक विद्यालय 2000-01**

वि०ख०	प्रा०वि०	वि०ख०	प्रा०वि०	वि०ख०	प्रा०वि०
भिलंगना	04	देवप्रयाग	03	जौनपुर	04
चम्बा	03	जाखणीधार	03	कीर्तिनगर	03
नरेन्द्रनगर	04	प्रतापनगर	03	थौलधार	03

**ब्लाकवार नवीन प्राथमिक विद्यालय 2001-02**

वि०ख०	प्रा०वि०	वि०ख०	प्रा०वि०	वि०ख०	प्रा०वि०
भिलंगना	12	देवप्रयाग	09	जौनपुर	06
चम्बा	05	जाखणीधार	03	कीर्तिनगर	07
नरेन्द्रनगर	05	प्रतापनगर	06	थौलधार	07

### ३-शिक्षा-गारंटी योजना ( E.G.S. )

परियोजना अन्तर्गत जनपद में 237 बरितियों में शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को खोलने का लक्ष्य रखा गया है जो बरितिया पूर्ण विद्यालय खोलने के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती हैं। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के लिए शैक्षणिक सामग्री एवं इन केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था परियोजना के द्वारा की जाती है। इस हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को उपलब्ध कराई जाती है। इसके अन्तर्गत प्रथम वर्ष 2000-01 में जनपद की 72 बरितियों में योजनान्तर्गत विद्या-केन्द्र खोले गए हैं। इनके संचालन हेतु 72 आचार्यों का चयन ग्रा0शि0स0 द्वारा किया गया, जिसमें से 72 आचार्यों ने प्रशिक्षणोपरान्त कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयनित आचार्य को एक माह का आवासीय प्रशिक्षण डायट द्वारा दिया जाता है। आचार्यजी को दस माह की संविदा पर रखा जाता है। आचार्यजी द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य करने पर उसे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पुनः संविदा पर रखा जा सकता है, ऐसी स्थिति में उसे 15 दिनों का आवासीय पुनर्दोधात्मक प्रशिक्षण डायट द्वारा दिया जाता है। आचार्यजी के रूप में कार्य करने पर उसे 1000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाता है। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2001-02 में उक्त योजना के अन्तर्गत 14 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, 129 विद्या-केन्द्र, 5 ऋषि वेदी केन्द्र, 7 बालमित्र एवं 1 ब्रिज कोर्स प्रस्तावित थे। जिनमें से 129 विद्या-केन्द्र एवं 9 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोल दिये गये हैं। वर्ष 2000-01 के 72 एवं वर्ष 2001-02 के 113 विद्या-केन्द्र में कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। जनपद में एक ब्रिज कोर्स भी संचालित किया गया है। 25 बरितियों में वर्ष 2002-2003 में 20 विद्या-केन्द्र एवं 5 ऋषि वेदी केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्लाकवार वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 में खुले विद्या-केन्द्रों की स्थिति निम्नवत है-

#### ब्लाकवार नवीन विद्या-केन्द्र 2000-01

वि0ख0	केन्द्र	वि0ख0	केन्द्र	वि0ख0	केन्द्र
भिलंगना	10	देवप्रयाग	08	जौनपुर	06
चम्बा	08	जाखणीधार	08	कीर्तिनगर	08
नरेन्द्रनगर	07	प्रतापनगर	08	थौलधार	09

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2001-2002।

#### ब्लाकवार नवीन विद्या-केन्द्र 2001-02

वि0ख0	केन्द्र	वि0ख0	केन्द्र	वि0ख0	केन्द्र
भिलंगना	35	देवप्रयाग	10	जौनपुर	18
चम्बा	12	जाखणीधार	10	कीर्तिनगर	03
नरेन्द्रनगर	16	प्रतापनगर	05	थौलधार	15

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2001-2002।

## ४-शिक्षा-मित्र योजना ( Shiksha Mitra )

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खुले प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक व एक शिक्षा-मित्र की व्यवस्था की जाती है, साथ ही एक शिक्षा-मित्र की व्यवस्था उस विद्यालय में की जाती है जहां से अध्यापक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खुले प्राथमिक विद्यालय में प्रौन्नत किया जाता है। साथ ही एकल अध्यापकीय दूरस्थ विद्यालयों में शिक्षा-मित्र की व्यवस्था भी परियोजना द्वारा की जाती है। शिक्षा-मित्र का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयनित शिक्षा मित्र को एक माह का आवासीय प्रशिक्षण डायट द्वारा दिया जाता है। शिक्षा मित्र को दस माह की संविदा पर रखा जाता है। शिक्षा मित्र द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य करने पर उसे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पुनः संविदा पर रखा जा सकता है, ऐसी स्थिति में उसे 15 दिन का आवासीय पुनर्विधात्मक प्रशिक्षण डायट द्वारा दिया जाता है। शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने पर उसे 2250 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाता है। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2000-01 में डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत 127 शिक्षा-मित्रों की व्यवस्था की गयी थी, ब्लाकवार स्थिति निम्नवत है-

### ब्लाकवार शिक्षा-मित्र 2000-01

वि०ख०	शिक्षा-मित्र	वि०ख०	शिक्षा-मित्र	वि०ख०	शिक्षा-मित्र
भिलंगना	27	देवप्रयाग	09	जौनपुर	18
चम्बा	06	जाखणीधार	11	कीर्तिनगर	13
नरेन्द्रनगर	11	प्रतापनगर	20	थौलधार	12

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2001-2002।

स्वीकृत 127 शिक्षा मित्रों के पदों के विरुद्ध 125 शिक्षा-मित्रों के चयन की कार्यवाही ग्रा०शि०समितियों द्वारा पूरी कर इनका प्रशिक्षण डायट द्वारा पूर्ण करवा कर उन्हें विद्यालयों में संविदा पर नियुक्त कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 में 115 शिक्षा मित्रों के पद स्वीकृत किये गये। स्वीकृत 115 शिक्षा मित्रों के पदों के विरुद्ध 107 शिक्षा-मित्रों के चयन की कार्यवाही ग्रा०शि०समितियों द्वारा पूरी कर ली गयी है। 107 शिक्षा-मित्रों का प्रशिक्षण डायट द्वारा पूर्ण करवा कर उन्हें विद्यालयों में संविदा पर नियुक्त कर दिया गया है। वर्ष 2001-02 में 120 शिक्षा मित्रों की व्यवस्था परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित थी। जिनमें से 60 शिक्षा मित्रों के चयन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। शेष 60 का चयन 60 प्र०अ० के पदों की स्वीकृति के बाद उनके स्थान पर किया जाएगा। वर्ष 2002-2003 में प्रस्तावित 11 प्राथमिक विद्यालय के लिए 22 शिक्षा-मित्र प्रस्तावित किए गए हैं।

### ब्लाकवार शिक्षा-मित्र 2001-02

भिलंगना	12	देवप्रयाग	09	जौनपुर	06
चम्बा	05	जाखणीधार	03	कीर्तिनगर	07
नरेन्द्रनगर	05	प्रतापनगर	06	थौलधार	07

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2001-2002।

## ५-पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) (E.C.C.E.)

स्कूली-शिक्षा की प्रारम्भिक तैयारी के रूप में समेकित बाल विकास विभाग के साथ समन्वयन स्थापित करते हुये परियोजना के अन्तर्गत 200 आंगनवाड़ी केन्द्रों को ई.सी.सी.ई. केन्द्र के रूप में संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के प्रथम वर्ष 2000-01 में 98 आंगनवाड़ी केन्द्रों को ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के रूप में चयनित किया गया जिनमें से 98 कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण कर केन्द्र संचालित कर दिये गये, इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं को कमशः रु० 250.00 व रु० 125.00 का मानदेय परियोजना द्वारा दिया जाता है। साथ ही केन्द्रों की राज सज्जा हेतु रु० 5000.00 प्रति केन्द्र एक बार एवं आकरिमक व्यय हेतु रु० 1500.00 प्रति केन्द्र प्रति वर्ष दिया जाता है। द्वितीय वर्ष 2001-02 में 102 आंगनवाड़ियों का चयन ई.सी.सी.ई. के रूप में किया गया। जिनमें से 60 आंगनवाड़ी को प्रशिक्षित कर दिया गया है।

## ६-बालिका शिक्षा (Girls Education)

बालिका शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु जनपद में न्याय पंचायत स्तर पर आदर्श संकुल-विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिस हेतु जनपद में वर्ष 2000-01 में 5 न्यायपंचायतों को एवं वर्ष 2001-02 में 10 न्यायपंचायतों को आदर्श संकुल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया जिनमें छात्राओं का नामांकन कम था। छात्र-छात्राओं के शत-प्रतिशत नामांकन हेतु इन संकुलों में वातावरण सृजन के तहत 'मीना कैम्पेनिंग', मां-बेटी मेलों का आयोजन, बाल-मेला, ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण एवं माइक्रोप्लानिंग एवं ग्राम शिक्षा योजना निर्माण का कार्य किया गया। प्रत्येक विद्यालय में एम०टी०ए० का गठन असेवित बस्तियों में डब्लू०एम०जी० का गठन एवं ग्रामपंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया।

### महिला प्रेरक समूह (डब्लू०एम०जी०) के कार्य

1. सेवित क्षेत्र के 6 वर्ष या उससे अधिक आयु के समस्त बच्चों का विद्याकेन्द्र या विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करवाना।
2. नामांकित बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में आने हेतु प्रेरित करना।
3. विद्या केन्द्र में व परिषदीय विद्यालयों में जाने वाले बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता देखना।
4. राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन में सहायता प्रदान करना।
5. अनियमित उपस्थिति वाले बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करना।
6. वह बालिकाएं जो विद्यालय नहीं आ सकती हैं उनके लिए स्कूल के समय में लचीलापन लाने की व्यवस्था करना।
7. घर-घर जाकर प्रेरणात्मक भ्रमण और इसका पश्चप्रेरण।



## मातृ शिक्षक संगठन (एम०टी०ए०) के कार्य

1. सेवित क्षेत्र के 6 वर्ष या उससे अधिक आयु के समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन करवाना।
2. नामांकित बच्चों एवं स्वयं के बच्चों की नियमित उपस्थिति विद्यालय में सुनिश्चित करना।
3. स्वयं के बच्चों की पढाई-लिखाई की गुणवत्ता देखना, बच्चों का गृह कार्य पूर्ण करवाना।
4. राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन में सहायता प्रदान करना।
5. अनियमित उपस्थिति वाले बच्चों के अग्रभावको से सम्पर्क स्थापित करना।
6. विद्यालय आने वाले बच्चों की स्वच्छता, साफाई एवं गणवेश पर ध्यान देना।
7. विद्यालय में भौतिक संसाधनों के विकास में सहायता प्रदान करना।
8. बालिका का शिक्षा के लिए समुदाय तथा ग्रा०शि०स० को गतिशील बनाना।
9. समुदाय को स्कूल संचालन में भागीदार बनाना तथा दोनों के बीच में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना।
10. घर-घर जाकर प्रेरणात्मक भ्रमण और इसका पश्चप्रेरण।
11. बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्कूल में कार्यक्रम आयोजित करना।
12. बालिकाओं को स्कूल लाने व वापस घर ले जाने के लिए संकुल माता की व्यवस्था करना।
13. बालिकाओं की उपलब्धि स्तर में वृद्धि हेतु विशिष्ट कोचिंग इत्यादि की व्यवस्था करना।

वर्ष 2000-01 में जनपद में कुल 2 विकासखण्डों की 5 न्यायपंचायतों को आदर्श न्यायपंचायत के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें विद्या केन्द्रों में 18 डब्लू०एम०जी० तथा प्राथमिक विद्यालयों में 109 एम०टी०ए० गठित किये गये। इन न्याय पंचायतों में गठित समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया गया। वातावरण सृजन कार्यक्रम के तहत इन न्याय पंचायतों में मीना कैम्पेन तथा मॉ-बेटी मेला का आयोजन किया गया। इनका विवरण निम्नवत है-

### आदर्श न्यायपंचायत वर्ष 2000-2001

क०स०	आदर्श संकुल का नाम	विकास खंड	गठित			सदस्य संख्या		
			WMG	VEC	MTA	WMG	VEC	MTA
1	न्याणी	जौनपुर	2	8	14	20	40	210
2	भरवाकाटल	जौनपुर	3	6	20	30	30	300
3	खिरबेल	भिलगना	7	15	22	65	75	330
4	थाती	भिलगना	3	16	21	130	80	315
5	जाख नै०चा०	भिलगना	3	17	32	25	85	480
योग			18	62	109	270	310	1635

वर्ष 2002-03 में जनपद में कुल 8 विकासखण्डों की 15 न्यायपंचायतों को आदर्श न्यायपंचायत के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें विद्या केन्द्रों में 11 डब्लू०एम०जी० तथा प्राथमिक विद्यालयों में 156 एम०टी०ए० गठित किये गये। इन न्याय पंचायतों में गठित समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया गया। इन न्यायपंचायतों में मॉ-बेटी मेला, ग्राम शिक्षा समिति मेला आदि कार्यक्रम आयोजित किये गये। इनका विवरण अग्रांकित है-

आदर्श न्यायपंचायत वर्ष 2001-2002

क्र०स०	आदर्श संकुल का नाम	विकारा खंड	गठित			रादस्य संख्या		
			WMG	VEC	MTA	WMG	VEC	MTA
1	देवरी	चग्वा	5	11	15	55	55	225
2	कुमारधार	जाखो		12	16		60	240
3	ढुंग बड़वाली	"		15	22		75	330
4	श्रीदोेट	जौंगो		05	08		25	120
5	बैज्वाडी	कीरिो		08	18		40	270
6	गरवाणगांव	प्रतापो	1	08	15	22	40	225
7	मोटणा	"		10	14		50	210
8	भैतण	नरेन्द्रो	1	09	12	20	45	180
9	बुगाला	"	3	07	13	54	35	195
10	क्यारी	थौलो	1	12	23	24	60	345
योग			11	97	156	175	485	2340

स्रोत- विशेषज्ञ वेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2001-2002।

**७-ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण**  
(Training Of V.E.C.)

जनपद की 758 ग्राम पंचायतों में 5 सदस्यीय ग्राम शिक्षा समिति का गठन सरकार द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार किया गया है।

**ग्राम शिक्षा समिति के कार्य**

1. शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करना तथा शिक्षा में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. पंचायत क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक/ वैकल्पिक शिक्षा एवं साक्षरता से संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
3. शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ पर प्रशासकीय नियंत्रण-

(क) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी वेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे विहित की जाए लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(ग) शिक्षा मित्र एवं आचर्यजी के चयन का अधिकार।

(घ) बच्चों की उपस्थिति एवं शिक्षकों के शिक्षण कार्य का लगातार अनुश्रवण करना।

4. शैक्षिक उत्तरदायित्व वहन करना-

(क) ग्राम शिक्षा समिति की प्रतिमाह बैठक करना।

(ख) आवश्यकतानुसार नये वेसिक स्कूल/वै०शि० केन्द्र का चयन, स्थल चयन आदि कार्यवाही।

(ग) नये विद्यालय का निर्माण 3 माह में सुनिश्चित करना एवं विद्यालय को आकर्षक बनाना।

(घ) विद्यालय सम्पत्ति का रखरखाव।

(ङ) विद्यालय हेतु वित्तीय संसाधन जुटाना।

- (च) स्थानीय उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर समुदाय के सहयोग से शिक्षण सामग्री तैयार करवाना।
- (छ) सेवित क्षेत्र में 6-14 वय वर्ग के समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन करनवाना, जुलाई से सितम्बर तक स्कूल चलो अभियान चलाना।
- (ज) स्कूल में बच्चों का धारण में स्थायित्व। बालिकाओं तथा वंचित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देना
- (झ) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाना।
- (ञ) शिक्षक-मातृ संघ एवं अभिभावक-शिक्षक संघों का गठन व उनकी नियमित बैठकें करवाना।
- (ट) स्कूल के बाहर के बच्चों विशेषतः बालिकाओं एवं बाल मजदूरों की शिक्षा की व्यवस्था वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से करना।
- (ठ) सूक्ष्म नियोजन का कार्य। प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राम शिक्षा योजना का प्रतिवर्ष निर्माण कराना।
- (ड) समुदाय को विद्यालय की सहायता हेतु प्रेरित करना।
- (ढ) वन विभाग के सहयोग से विद्यालय में वृक्षारोपण करना।
- (ण) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण सुनिश्चित करवाना।
- (त) ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों पर बच्चों का नामांकन, संचालन में सहयोग देना एवं अनुश्रवण करना।
- (थ) स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विद्यालय में बच्चों का हेल्थ चेकअप करवाना तथा बच्चों को प्रतिरक्षीकरण टीका लगवाना।
- (द) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को विभिन्न कार्यों का वितरण करना।
- (ध) विद्यालय को शैक्षणिक सहयोग।

विद्यालय विकास हेतु समुदाय का सहयोग प्राप्त करने एवम् ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय करने के उद्देश्य से परियोजना के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समितियों के 25 सदस्यों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। जनपद में कुल गठित 758 ग्राम शिक्षा समितियों में से 350 ग्राम शिक्षा समितियों के 8324 सदस्यों को ग्राम सभा स्तर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ष 2000-01 में दिया गया एवं 408 ग्राम शिक्षा समितियों के 12369 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा परिवार सर्वेक्षण, स्कूल मानचित्रण एवं ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण किया जाता है जिससे प्राथमिक शिक्षा के नियोजन एवं विकास को गति मिलती है। 350 ग्राम शिक्षा समितियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ष 2002-03 में पुनः प्रस्तावित है।

### **ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षणों के उद्देश्य**

1. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्राथमिक शिक्षा, उसके सार्वजनिकरण विशेष रूप से बालिका शिक्षा एवं वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए वातावरण निर्माण में सक्रिय योगदान करने के संदर्भ में सुग्राहित/अभिप्रेरित करना।
2. विकेन्द्रीकृत नियोजन के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालय मानचित्रण के अभ्यास के द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षता विकसित करना।
3. आकर्षक विद्यालय परिवेश/कक्षा निर्माण, रुचिपूर्ण माहौल, विद्यालय संचालन में ग्राम शिक्षा समिति के योगदान के लिए सुग्राहित/जागरूक करना।

4. अन्तर्देशीय समन्वयन, सहयोग तथा शिक्षा के लिए वित्तीय तथा अन्य संसाधन जुटाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना।

### ब्लाकवार प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समितियां 2000-01 एवं 2001-02

S.N.	Name Of B.R.C.	No. Of G.P.	BRG No.& Member		No.Of VEC	2000-01 Total No. Of Trained		2001-02 Total No. Of Trained	
			VEC	Memb		VEC	Memb		
1	Bhilangna	127	1	19	126	64	1534	62	2334
2	Chamba	74	1	33	73	33	759	40	1068
3	Deoprayag	89	1	28	89	40	920	49	1249
4	Jakhanidhar	76	1	20	76	34	938	42	1341
5	Jaunpur	95	1	30	93	44	1024	49	1122
6	Keertinagar	67	1	27	67	30	690	37	1198
7	Narendernagar	81	1	27	81	36	863	45	1319
8	Pratapnagar	83	1	28	83	38	874	45	1471
9	Thauldhar	70	1	22	70	31	722	39	1083
	<b>TOTAL</b>	<b>762</b>	<b>9</b>	<b>234</b>	<b>758</b>	<b>350</b>	<b>8324</b>	<b>408</b>	<b>12185</b>

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2001-2002।

### ८-ब्लाक एवं जिला संदर्भ समूह (District & Block Resource group)

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में रूढ़ी रखने वाले समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं, सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए जनपद के प्रत्येक ब्लाक में ब्लाक-स्तर पर 30 सदस्यीय ब्लाक-संदर्भ-समूह एवं जिला-स्तर पर 35 सदस्यीय जिला-संदर्भ-समूह गठित किए गए हैं। प्रशिक्षित ब्लाक संदर्भ समूह के सदस्यों द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन समूहों की त्रैमासिक बैठक कमशः ब्लाक एवं जिला-स्तर पर की जाती है। इन बैठकों में उस विकासखण्ड में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई गतिविधियों की समीक्षा एवं भविष्य की कार्य योजना व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है।

### ९-स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम (Health Check-Up)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया जाता है। जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से गत वर्ष 58154 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कार्य सम्पादित किया गया। परियोजना के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के अभिलेखीकरण हेतु प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य कार्ड बनाकर बच्चे को दिया गया। जो बच्चे विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त पाये गये उन्हें बीमारी की स्थिति के अनुरूप मुलादी, पीला व हरा संदर्भ कार्ड कमशः अतिगम्भीर, कम गम्भीर व साधारण रोग की पहचान हेतु बनाकर दिये गये। वर्ष 2001-02 में भी स्वास्थ्य-परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है।

## १०-विद्यालय विकास अनुदान (School Improvement Grant)

परियोजनान्तर्गत विद्यालयों की राजसज्जा हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष रु 2000.00 का अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से दिया जाता है। वर्ष 2000-01 में 1174 प्राथमिक विद्यालयों एवं वर्ष 2001-02 में अब तक 1166 प्राथमिक विद्यालयों को यह अनुदान दिया जा चुका है। वर्ष 2002-2003 में 1115 प्राथमिक विद्यालयों को यह अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

## ११-अध्यापक अनुदान (Teacher Grant)

परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम एवं शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण हेतु प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक अध्यापक को प्रत्येक वर्ष रु 500.00 का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2001-02 में 2392 अध्यापकों को यह अनुदान दिया गया है। शिक्षकों द्वारा तैयार किये गये शिक्षण अधिगम/सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा शिक्षण को रूचिपूर्ण एवं प्रभावी बनाने में किया जाता है। शिक्षकों द्वारा निर्मित सामग्री का प्रदर्शन एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 एवं जिला स्तर पर आयोजित टी0एल0एम0 मंले में भी किया जाता है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य शिक्षकों में टी0एल0एम0 निर्माण के प्रति रुचि जागृत करना, एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाना है।

## १२- निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण (Free Text Book Distribution)

परियोजना के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी छात्रों एवं अन्यवर्ग की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाती हैं। वर्ष 2000-2001 में 62004 छात्रों को इस योजना द्वारा लाभन्वित किया गया।

कक्षा	अ0जा0		अ0ज0जा0		बालिकाएं	योग		बुकबैंक	महायोग
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा		छात्र	छात्रा		
1 st	2981	3125	3	3	10006	2984	13134	1487	17605
2 nd	1728	1707	2	1	6242	1730	7950	2497	12177
3 rd	1507	1538	1	3	6030	1508	7571	2394	11473
4 th	1298	1202	1	1	5901	1299	7104	2507	10910
5 th	1231	1122	-	1	5740	1231	6863	1745	9839
<b>Total</b>	<b>8745</b>	<b>8694</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>33919</b>	<b>8762</b>	<b>42622</b>	<b>10630</b>	<b>62004</b>

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2001-2002।

वर्ष 2001-02 में इस योजना के द्वारा उक्त वर्ग के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 53761 छात्र/छात्राओं को लाभन्वित किया गया। इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग के 21673 छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गईं।

कक्षा	कुल लाभान्वित छात्र संख्या								महायोग
	छात्र				छात्रा				
	सामान्य	अ0जा10	अ0ज0जा10	योग	सामान्य	अ0जा10	अ0ज0जा	योग	
1	5451	3050	3	8504	11267	3265	3	14535	23039
2	4458	1720	2	6180	6727	1728	1	8456	14636
3	4111	1550	2	5663	6081	1504	5	7590	13253
4	3911	1273	1	5185	6059	1213	2	7274	12459
5	3742	1234	1	4977	5941	1127	2	7070	12047
	21673	8827	9	30509	36075	8837	13	44925	75434

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2001-2002।

वर्ष 2002-03 में इस योजना के द्वारा उक्त वर्ग के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 54250 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग के 31480 छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई।

वर्ष 2002-03 में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा उक्त वर्ग के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 21250 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग के 15970 छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। वर्ष 2002-03 में जिला परियोजना कार्यालय द्वारा वितरित पुस्तकों विवरण अग्रकित तालिका से स्पष्ट है-

कक्षा	लाभान्वित छात्र कक्षा 1 से 5			कक्षा	लाभान्वित छात्र कक्षा 6 से 8		
	डी0पी0ई0पी	राज्य सरकार	योग		एस0एस0ए0	राज्य सरकार	योग
1	16700	9650	26350	6	8150	5510	13660
2	11780	6800	18580	7	7000	5320	12320
3	9510	5320	14830	8	6100	5140	11240
4	8360	4900	13260				
5	7900	4810	12710				
योग	54250	31480	85730	योग	21250	15970	37220

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि0ग0 2001-2002।

जनपद में वर्ष 2000-01 व 2001-02 में संचालित ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों व वितरित विद्यालय विकास अनुदान व अध्यापक अनुदान का विवरण निम्नवत है-

क्र0	वि0ख0	ई0सी0सी0ई0केन्द्र		वि0वि0अनुदान		अध्यापक अनुदान	
		2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02
1	भिलंगना	-	34	193	193	-	353
2	चम्बा	25	45	113	113	-	289
3	देवप्रयाग	-	-	122	122	-	230
4	जाखणीधार	32	8	114	113	-	243
5	जौनपुर	41	9	156	156	-	302
6	कीर्तिनगर	-	6	112	112	-	206
7	नरेन्द्रनगर	-	-	136	136	-	333
8	प्रतापनगर	-	-	120	118	-	200
9	थौलधार	-	-	107	103	-	236
	योग	98	102	1173	1166	-	2392

### १३- अध्यापक प्रशिक्षण (Teacher Training)

शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर किया जाता है। वर्ष 2001-02 में 2284 शिक्षकों को साधन माड्यूल पर नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित 8 दिवसीय प्रशिक्षण बी०आर०सी० पर दिया गया। इस के साथ ही बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० स्तर पर नियुक्त समन्वयकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी वर्ष 2001-02 में संपादित किया गया। वर्ष 2002-03 में सभी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को कठिन स्थलों पर आधारित 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

### १४- स्कूल श्रेणीकरण (School Grading)

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के माध्दम हेतु परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों एवं विद्याकेंद्रों का कोटीकरण का कार्य संपादित किया जा रहा है। विद्यालय मूल्यांकन व कोटीकरण प्रपत्र का उद्देश्य बहुआयामी है। विद्यालय के मूल्यांकन तथा कोटीकरण का लक्ष्य विद्यालय की स्थिति तथा छात्र सम्प्राप्ति की स्थिति में निरन्तर सुधार लाना है। मूल्यांकन व कोटीकरण प्रपत्र के दो भाग हैं। भाग 'अ' विद्यालय की स्थिति से संबंधित है इस हेतु अंक विभाजन का कुल योग 100 है। भाग 'ब' विद्यालय के साध्य छात्र सम्प्राप्ति से सम्बंधित है, इस हेतु अंक विभाजन का कुल योग 100 है। विद्यालय कोटीकरण हेतु भाग 'अ' व 'ब' के अनुसार प्राप्त कोटीकरण को क्रमशः पृथक-पृथक अंकित किया जाता है, यथा AA, AB, BA इत्यादि। कोटीकरण के उद्देश्य से विद्यालय का मूल्यांकन वर्ष में तीन बार किया जाएगा। प्रथम मूल्यांकन जुलाई से सितम्बर की अवधि में, द्वितीय मूल्यांकन अक्टूबर से दिसम्बर की अवधि में, तृतीय मूल्यांकन फरवरी से अप्रैल की अवधि में किया जायेगा। विद्यालय कोटीकरण प्रपत्र दो प्रतियों में किया जायेगा, एक प्रति मूल्यांकनकर्ता (समन्वयक एन०पी०आर०सी०)के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। वर्ष 2001-02 में किए गए प्रथम कोटीकरण के आधार पर विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है-

S.	Block Name	Total No. of Schools	No. of Schools Graded										No. of Schools Graded
			Part A					Part B					
			A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	
1	Bhilangana	197	02	60	85	15	00	3	37	97	25	00	162
2	Chamba	116	00	22	62	22	2	0	13	66	28	1	108
3	Devprayag	125	00	17	82	25	1	0	8	76	34	7	125
4	Jakhanidhar	119	00	4	58	50	0	0	4	57	51	00	112
5	Jounpur	160	01	66	87	8	00	00	60	88	14	00	162
6	Keertinagar	115	00	31	52	21	00	00	45	40	19	00	104
7	N.Nagar	140	11	27	51	26	6	0	8	64	36	13	121
8	Pratapnagar	123	02	78	41	02	00	00	21	81	21	00	123
9	Thouldhar	110	00	35	56	19	00	00	24	58	18	00	110
<b>Total</b>		<b>1205</b>	<b>16</b>	<b>340</b>	<b>574</b>	<b>188</b>	<b>09</b>	<b>03</b>	<b>220</b>	<b>627</b>	<b>246</b>	<b>21</b>	<b>1127</b>

**१५- टी०एल०एम० मेला**  
(*T.L.M. Mela*)

शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व प्रति वर्ष ₹0 500.00 का अनुदान दिया जाता है। शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए टी०एल०एम० की प्रदर्शन-न्याय पंचायत, ब्लाक एवं जिला स्तर पर टी०एल०एम० मेले का आयोजन किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए टी०एल०एम० की जानकारी एवं उसे बनाने की विधि दूसरे शिक्षकों को देना है।

**१६-विविध प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं**  
(*Trg. & Workshop*)

परियोजना के अन्तर्गत शैक्षणिक गुणवत्ता के संवर्धन हेतु समय-समय पर विविध प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इसके अन्तर्गत वर्ष 2000-01 में 4 स्कूल-विजनिंग वर्कशाप बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों की कार्यशाला एवं प्रशिक्षण आयोजित किये गये। इस वजनपद में कार्यरत सहायक बेसिक शिक्षाधिकारियों, प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों, जिला-समन्वयकों एवं ब्लाक-समन्वयकों की एक दो-दिवसीय कार्यशाला भी प्रस्तावित की गयी है।

क्र०	प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षण का प्रकार	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1	बी०आर०सी० समन्वयक	साधन आधारभूत	10 दिन 8 दिन	8 8
2	बी०आर०सी० सह समन्वयक	साधन	10 दिन	18
3	एन०पी०आर०सी० समन्वयक	साधन आधारभूत	10 दिन 8 दिन	8 73
4	मास्टर ट्रेनर्स	साधन	8 दिन	31

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2001-2002।

**१७-क्षमता विकास**  
(*Capacity Building*)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत संस्थाओं की क्षमता का संवर्धन करना भी है। इसके अन्तर्गत जिला-स्तर पर एक सुसज्जित जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की गयी है, जिसमें विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, 1 सहायक लेखाधिकारी, 4 समन्वयक (क्रमशः प्रशिक्षण, बालिकाशिक्षा, वैकल्पिकशिक्षा एवं सामुदायिक सहभागिता), शिविर सहायक, 1 लेखाकार, 1 कम्प्यूटर आपरेटर एवं 1 चतुर्थ श्रेणी कार्यरत हैं। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है। मुख्य विकास अधिकारी इस समिति के पदेन उपाध्यक्ष एवं विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के पदेन सदस्य सचिव हैं।



जिला स्तर पर कम्प्यूटराईज्ड एगोआई0एरा0 सेल की स्थापना की गयी है। जिसमें जिला स्तर पर शैक्षणिक आकड़ों एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत करवाए जा रहे सर्वेक्षण कार्यों के आकणों का विश्लेषण व संरक्षण किया जाता है।

प्रत्येक विकास खण्ड में ब्लाक-संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) एवं प्रत्येक न्याय पंचायत में न्याय-पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0) की स्थापना की गयी है। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अकादमिक सहायता के लिए प्रत्येक बी0आर0सी0 में एक समन्वयक व दो सह-समन्वयक एवं एन0पी0आर0सी0 में एक समन्वयक की नियुक्ति परियोजनान्तर्गत की गयी है। इस प्रकार जनपद में 9 ब्लाक समन्वयक, 18 सहसमन्वयक एवं 76 न्याय पंचायत समन्वयक परियोजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये हैं।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाायट) को विविध गतिविधियों के संचालनार्थ सहायता परियोजना द्वारा प्रदान की जाती है।

### १८-परियोजना - परिव्यय

परियोजना की अवधि 5 वर्ष है (1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक)। परियोजना की कुल लागत रू0 1833.66 लाख है। परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर कुल स्वीकृत लागत का 25 प्रतिशत एवं प्रबन्ध पर 6 प्रतिशत व्यय किया जा सकता है। परियोजनान्तर्गत किये गये व्यय का अंकेंक्षण ए0जी0 एवं सी0ए0 द्वारा किया जाता है, साथ ही प्रति माह राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समीक्षा की जाती है।

वर्ष 2000-01 में परियोजना की विविध गतिविधियों के संचालन हेतु कुल रू0 155.2925 लाख व्यय किया गया। जनपद की वर्ष 2001-02 रू0 650.0139 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत थी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-02 में कुल 42494.52 लाख रुपये विविध गतिविधियों के संचालनार्थ व्यय किये गये। जनपद की वर्ष 2002-03 की कुल रू0 575.559 लाख की कार्ययोजना प्रस्तावित है।

## अध्याय-चार

### योजना निर्माण-प्रक्रिया (Planning Process)

नियोजन किसी भी कार्य को पूर्ण करने की प्राथमिक कुंजी है। वर्तमान समय तक हमारे देश का नियोजन लोक कल्याणकारी होते हुए भी जन-सहभागिता रहित चल रहा है। हाल के वर्षों में नियोजन को धरातल तक लाने के लिए सराहनीय प्रयास किये गये हैं। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना स्वनियोजन अथवा स्थानीय नियोजन का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आजादी के बाद से ही कई प्रयास किये गये परन्तु अभी तक लक्ष्यों को प्राप्त करने में आशातीत सफलता नहीं मिल सकी, जिसका मुख्य कारण नियोजन में जनता की मांग एवं कार्यकारी उपकरणों की सहभागिता का न होना चिन्हित किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम जिले का अपना कार्यक्रम है जिसका नियोजन जिला स्तर पर होता है। जिले की जनता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल योजना का निर्माण करने पर अधिकाधिक लक्ष्यों की उपलब्धि प्राप्त हो सकी है। जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्डवार जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, अध्यापकों तथा एस०एस०ए०/डी०पी०ई०पी० कार्यकर्ताओं की कार्यशाला रूपी बैठकें आयोजित की गईं। जनपद स्तर पर जनपदीय कोर ग्रुप जिला सन्दर्भ समूह जिला शिक्षा परियोजना समिति एवं समस्त जिला समन्वयकों की बैठक आयोजित की गई। जनपद के प्रसपेक्टिव प्लान निर्माण के लिए सर्वप्रथम पूरे जनपद में हाउस-होल्ड सर्वेक्षण निम्न कार्यक्रमानुसार सम्पादित किया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य 0 से 14 वय वर्ग के बच्चों की गणना, विद्यालय जाने/न जाने वाले बच्चों की पहचान करना, विद्यालय न जाने वाले बच्चों की समस्याओं/कारणों की जानकारी प्राप्त करना एवं ग्राम/बस्ती में शैक्षणिक सुविधों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना था। हाउस-होल्ड सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जनपद के प्रसपेक्टिव प्लान का निर्माण जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, अध्यापकों तथा एस०एस०ए०/डी०पी०ई०पी० कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया गया। इस हाउस-होल्ड सर्वेक्षण का ब्यौरा निम्नलिखित है-

हाउस-होल्ड सर्वेक्षण प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम

क्र०	स्तर	नाम	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
1	राज्य	उत्तरांचल	उपट देहरादून	22.03.2002 एवं 23.03.2002	रा०परि०कार्यालय के विशेषज्ञ, जिले कं कोर ग्रुप के सदस्य
2	जिला	टिहरी	बी०आर०सी० चम्वा	30.03.2002	बी०आर०सी० समन्वयक, सक्रिय एन०पी०आर०सी० समन्वयक, डी. आर.जी. के सदस्य
3	ब्लाक	भिलंगना	बी०आर०सी० भिलंगना (सेमली)	08.04.2002	एन०पी०आर०सी० समन्वयक, सक्रिय अध्यापक, बी.आर.जी. के सदस्य
		चम्वा	बी०आर०सी० चम्वा	20.04.2002	एन०पी०आर०सी० समन्वयक, सक्रिय अध्यापक, बी.आर.जी. के सदस्य
		देवप्रयाग	बी०आर०सी० देवप्रयाग (हिण्डोलारवाला)	18.04.2002	एन०पी०आर०सी० समन्वयक, सक्रिय अध्यापक, बी.आर.जी. के सदस्य
		जाखणीघार	बी०आर०सी० जाखणीघार (पु०टिहरी)	09.04.2002	एन०पी०आर०सी० समन्वयक, सक्रिय अध्यापक, बी.आर.जी. के सदस्य
		जौनपुर	बी०आर०सी० जौनपुर (थत्तूड)	12.04.2002	एन०पी०आर०सी० समन्वयक, सक्रिय अध्यापक, बी.आर.जी. के सदस्य
		कीर्तिनगर	बी०आर०सी० कीर्तिनगर	17.04.2002	एन०पी०आर०सी० समन्वयक, सक्रिय अध्यापक, बी.आर.जी. के सदस्य
		नरेन्द्रनगर	बी०आर०सी० नरेन्द्रनगर (फकोट)	10.04.2002	एन०पी०आर०सी० समन्वयक, सक्रिय अध्यापक, बी.आर.जी. के सदस्य
		प्रतापनगर	बी०आर०सी० प्रतापनगर (लम्बगांव)	22.04.2002	एन०पी०आर०सी० समन्वयक, सक्रिय अध्यापक, बी.आर.जी. के सदस्य
		थौलधार	बी०आर०सी० थौलधार (छाम)	16.04.2002	एन०पी०आर०सी० समन्वयक, सक्रिय अध्यापक, बी.आर.जी. के सदस्य
4	एन.पी.आर.सी. (76)	सम्बन्धित 76 एन.पी.आर.सी.	सम्बन्धित एन.पी.आर.सी. मुख्यालय	1मई से 10 मई 2002	एन०पी०आर०सी० समन्वयक, समस्त प्र०/प्र०अध्यापक, स्वयंसेवी, ग्रा.शि.स. के सदस्य

## सर्वेक्षण कार्यक्रम

क्र०	कार्य	स्तर	अवधि		उत्तरदायित्व
			से	तक	
1	अध्यापकों का प्रशिक्षण	एन.पी.आर. सी.	01.05.2002	10.05.2002	समन्वयक एन.पी.आर.सी.
2	सर्वेक्षण का कार्य	घरती/ विद्यालय	11.05.2002	20.05.2002	अध्यापक सम्बन्धित विद्यालय
3	प्रपत्रों/बुकलेटों की जाँच	एन.पी.आर. सी.	21.05.2002	27.05.2002	समन्वयक एन.पी.आर.सी./बी.आर.सी.
4	प्रपत्रों/बुकलेटों का संकलन (जमा)	बी०आर०सी०	28.05.2002	30.05.2002	समन्वयक एन.पी.आर.सी./बी.आर.सी.
5	प्रपत्रों/बुकलेटों का संकलन (जमा)	जिला	31.05.2002	01.06.2002	समन्वयक बी.आर.सी./ए.बी.एस.ए.
3	जनपद में सूचना संकलन				

हाउस-होल्ड सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से बच्चों के विद्यालय न जाने के कारणों में -

- घरेलू कार्य.
- छोटे भाई- बहनों की देख-भाल.
- विकलांगता.
- परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति.
- सामाजिक सोच एवं
- शैक्षणिक सुविधाओं का दूर होना.....आदि प्रमुख कारण उभर कर आए हैं।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम जिले का अपना कार्यक्रम है जिसका नियोजन जिला स्तर पर होता है जिले की जनता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल योजना का निर्माण करने पर अधिकाधिक लक्ष्यों की उपलब्धि प्राप्त हो सकी है। जनपद टिहरी, गढ़वाल में डिक्कास, खण्डवार जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, अध्यापकों तथा एस०एस०ए०/डी०पी०ई०पी० कार्यकर्ताओं की कार्यशाला रूपी बैठक आयोजित की गई। जनपद स्तर पर जनपदीय कोर ग्रुप जिला सन्दर्भ समूह जिला शिक्षा परियोजना समिति एवं समस्त जिला समन्वयकों की बैठक आयोजित की गई। बैठकों में निम्न बिन्दु प्रमुखता के साथ उभरकर आए-

क. बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन न होने का मुख्य कारणों में निम्न कारण उभरकर सामने आए-

1. छोटे भाई-बहनों की देखभाल.
2. बच्चों का घर के काम में लगे रहना.
3. परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति.
4. स्कूलों का समय बच्चों के अनुकूल न होना.
5. शैक्षणिक सुविधाओं का दूर होना.
6. सामाजिक सोच जिसके कारण बालिकाओं को पढ़ने से रोक लिया जाता है.
7. शिक्षकों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार.
8. विकलांगता आदि प्रमुख कारण उभरकर सामने आए।

ख. बच्चों के विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित न होने या बीच में स्कूल छोड़ देने के कारणों में निम्न कारण उभरकर सामने आए—

1. छोटे भाई-बहनों की देखभाल.
2. बच्चों का घर के काम में लगे रहना.
3. परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति.
4. स्कूलों का समय बच्चों के अनुकूल न होना.
5. शैक्षिक सुविधाओं का दूर होना.
6. सामाजिक सोच जिसके कारण बालिकाओं को पढ़ने से रोक लिया जाता है.
7. शिक्षकों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार.
8. विद्यालयों में मूल-भूत सुविधाओं का अभाव.
9. एकल शिक्षकीय विद्यालय
10. विद्यालय भवनों का अभाव.
11. अभिभावकों की अशिक्षा आदि
12. कक्षा शिक्षण रुचिपूर्ण न होना.

उक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए जिले की कार्ययोजना में निम्न कार्यक्रम प्रमुखता से प्रस्तावित किये गये हैं—

1. वातावरण सृजन— जिसके अन्तर्गत प्रचार-प्रसार, सामुदायिक सहभागिता से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं।
2. नये स्कूलों/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।
3. सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0 तथा अनु0ज0जा0 के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण।
4. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना।
5. एकल शिक्षकीय एवं अध्यापक विहीन विद्यालयों में पैरा टीचर/नियमित अध्यापकों की व्यवस्था।
6. शिक्षकों के व्यवहार परिवर्तन एवं शिक्षण की नवीन विधाओं की जानकारी हेतु शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षणों का आयोजन।
7. विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन एवं उनकी आवश्यकताओं की पहचान।
9. बालिकाओं के लिए नवाचार के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था।
10. भवनहीन एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण।
11. विद्यालयों में मूल-भूत सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय एवं चाहरदीवारी की व्यवस्था।
12. विद्यालयों में शैक्षिक उपकरणों एवं सहायक सामग्री की व्यवस्था ताकि शिक्षण उद्देश्यपूर्ण व प्रभावी हो सके।
13. ग्राम शिक्षा समितियों/स्कूल प्रबंधन समितियों की स्थापना एवं उनका प्रशिक्षण।

**ब्लॉक, जनपद एवं राज्यस्तर पर जनपदीय कोर ग्रुप  
जिला एवं ब्लॉक संदर्भ समूह जिला शिक्षा परियोजना समिति एवं  
ब्लॉक, जिला समन्वयकों एवं सहायक बेसिक शिक्षाधिकारियों  
की बैठकों का ब्यौरा**

क्र० स०	कार्यशाला का दिनांक व स्थल	कार्यशाला/बैठक में प्रतिभागी	कार्यशाला/बैठक के चर्चा बिन्दु
1	3.08.2002 डी०पी०ओ० नई टिहरी	जनपदीय कोर-समूह बी०आर०सी० समन्वयक, एस.डी.आई./ए.बी.एस.ए. जिला समन्वयक, बे०शि०ओ०, उ०बे०शि०ओ०	1. कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा. 2. विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करने तथा उनके सम्पादन हेतु कार्यनीतियों का विकास करने एवं क्रिया-कलापों की पहचान करना. 3. विभिन्न सीलिंग प्रावधानों पर चर्चा. 4. अध्यापक प्रशि० सहित अन्य प्रशिक्षणों से सम्बन्धित नवीनतम निर्देशों से परिचय. 5. नवाचारों की भी चर्चा. 6. ई० एम० आई० एस० तथा परिवार सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों तथा सुचनाओं का प्रयोग. 7. समेकित शिक्षा हेतु के प्रावधानों पर चर्चा. 8. ग्रा०शि०समितियों के प्रशिक्षण की कठिनाईयों पर चर्चा. 9. बालिका शिक्षा की प्रमुख कठिनाईयों पर चर्चा. 10. ई०जी०एस० एवं वैकल्पिक शिक्षा प्रमुख मॉडलों पर चर्चा. 11. अन्य विभागों तथा समुदाय से कन्वर्जेंस (समन्वय) स्थापित करने हेतु सुझाव/सहयोग०
2	12.08.2002 ब्लॉक मुख्यालय (समस्त 9 वि०क्षे० में)	अध्यापक, एन०पी०आर०सी० एवं बी०आर०सी०समन्वयक, बी०आर०जी० के सदस्य, स०बे०शि०ओ०/प्र०उ०वि०नि० एवंजिला समन्वयक	1. कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा. 2. विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करने तथा उनके सम्पादन हेतु कार्यनीतियों का विकास करने एवं क्रिया-कलापों की पहचान करना. 3. ई० एम० आई० एस० तथा परिवार सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों तथा सुचनाओं का प्रयोग. 4. असेवित बस्तियों का चिन्हीकरण.
3	13.08.2002 एवं 14.08.2002 डी०पी०ओ० नई टिहरी	जनपदीय कोर-समूह बी०आर०सी० समन्वयक, एस.डी.आई./ए.बी.एस.ए. जिला समन्वयक,	1. विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करने तथा उनके सम्पादन हेतु कार्यनीतियों का विकास करने एवं क्रिया-कलापों की पहचान करना. 2. नवाचारों की भी चर्चा. 3. असेवित बस्तियों का चिन्हीकरण. 4. बालगणना 2002-03 के आधार पर नामांकन का अनुमान. 5. छात्र संख्या का एकत्रीकरण. 6. जीर्ण-शीर्ण भवनों/मरम्मत योग्य भवनों के आंकड़ों का संकलन. 7. आगामी वर्ष 2003-2004 के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का चिन्हीकरण.

			8. सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने के उपायों पर चर्चा.
4	16.08.2002 रा0प0कार्यालय देहरादून (उ0)	जनपदीय कोर-समूह एवं राज्य परियोजना कार्यालय के निदेशक	1. कार्ययोजना की प्रगति पर विस्तृत चर्चा. 2. विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करने तथा उनके सम्पादन हेतु कार्यनीतियों का विकास करने एवं क्रिया-कलापों की पहचान करना. 3. विभिन्न सीलिंग प्रावधानों पर चर्चा. 4. अध्यापक एवं अन्य प्रशिक्षणों से सम्बन्धित नवीनतम निर्देशों से परिचय. 5. बालिका शिक्षा पर नवाचारों की भी चर्चा. 6. बजट सारणियों को तैयार करने की विधियाँ. 7. ई0 एम0 आई0 एस0 तथा परिवार सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों तथा सुचनाओं का प्रयोग. 8. विभिन्न संकेतों को यथा एन0ई0आर0, जी0ई0आर0 आदि का आंकणन । 9. समेकित शिक्षा हेतु डी0पी0ई0पी0 के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा.
5	19.08.2002 डायट नई टिहरी	जनपदीय कोर-समूह बी0आर0सी0समन्वयक, जिला समन्वयक, डायट प्रवक्ता, प्राचार्य	1. कार्य योजना एवं बजट के विविध बिन्दुओं पर चर्चा. 2. विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करने तथा उनके सम्पादन हेतु कार्यनीतियों का विकास करने एवं क्रिया-कलापों की पहचान करना. 3. शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन पर चर्चा. 4. एन0पी0आर0सी0 / बी0आर0सी0 के कार्य एवं दायित्वों तथा कठिनाइयों पर चर्चा. 5. अध्यापक एवं अन्य प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं के आयोजनों पर चर्चा
6	21.08.2002 डी0पी0ओ0 नई टिहरी	जनपदीय कोर-समूह बी0आर0सी0 समन्वयक, एस.डी.आई. / ए.बी.एस.ए. जिला समन्वयक बे0शि0ओ, उ0बे0शि0ओ	1. विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करने तथा उनके सम्पादन हेतु कार्यनीतियों का विकास करने एवं क्रिया-कलापों की पहचान करना. 2. बालिका शिक्षा के नवाचारों में कम्प्यूटर शिक्षा एवं ई0सी0सी0ई0 की आवश्यकता पर चर्चा. 3. असेवित बस्तियों का चिन्हीकरण एवं उनमें विद्यालय खोलने पर चर्चा. 4. जीर्ण-शीर्ण भवनों / मरम्मत योग्य भवनों के पुनःनिर्माण पर चर्चा. 5. वर्ष 2003-2004 के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्यो यथा नए विद्यालय खोलने, जीर्ण-शीर्ण भवनों के पुनःनिर्माण पर चर्चा. 6. अन्य विभागों तथा समुदाय से कन्वर्जेंस (समन्वय) स्थापित करने पर चर्चा.
7	16.08.2002 रा0प0कार्यालय देहरादून (उ0)	जनपदीय कोर-समूह एवं राज्य परियोजना कार्यालय एवं एडसिल के निर्देशक	1. कार्ययोजना की प्रगति पर विस्तृत चर्चा. 2. विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करने तथा उनके सम्पादन हेतु कार्यनीतियों का विकास करने एवं क्रिया-कलापों की पहचान करना. 3. विभिन्न सीलिंग प्रावधानों पर चर्चा.

		विशेषज्ञ	<p>4. अध्यापक एवं अन्य प्रशिक्षणों से सम्बन्धित से परिचय.</p> <p>5. बालिका शिक्षा के अंतर्गत नवाचारों पर चर्चा.</p> <p>6. बजट सारणियों को तैयार करने की विधियाँ.</p> <p>7. ई0 एम0 आई0 एस0 तथा परिवार सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों तथा सुचनाओं का प्रयोग.</p> <p>8. विभिन्न संकेतों को यथा एन0ई0आर0, जी0ई0आर0 आदि का आंकणन ।</p> <p>9. समेकित शिक्षा हेतु डी0पी0ई0पी0 के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा.</p>
--	--	----------	--



## अध्याय-पांच

### आवश्यकताएँ एवं रणनीतियाँ

#### (Needs & Strategies)

#### सर्व शिक्षा अभियान(एस०एस०ए०)

#### (Sarva Shiksha Abhiyan)

#### उद्देश्य एवं प्रमुख गतिविधियाँ

अनेक परियोजनाओं के परिणामस्वरूप जनपद में प्रारंभिक शिक्षा में संस्थाओं, शिक्षकों और छात्रों का बढ़ाने को दृष्टि से काफी प्रगति की है। जनपद में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति उत्साहजनक है। शिक्षा के लिए समुदाय की काफी मांग है तथा यह प्रवृत्ति, विशेष रूप से महिलाओं एवं लड़कियों की जागरूकता तथा स्कूल उपस्थिति की दर से पता चलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षा तथा स्कूल उपस्थिति के क्षेत्र में स्त्री-पुरुष के अंतर का अधिक होना, चिन्ताजनक विषय है। सर्व शिक्षा अभियान जिससे देश के प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है, का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयुक्त तथा कोटिपरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। यह अभियान स्कूल सज्जति के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटिपरक प्रारंभिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने संबंधी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक अंतर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गई है। जनपद टिहरी मढ़वाल में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के बारे में विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। जनपद में किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर ज्ञात होता कि 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों में से 1919 बच्चे अभी भी विद्यालय से बाहर हैं जिनमें बालिकाओं की संख्या 1400 है जोकि इस आयु वर्ग में न जाने वालों की संख्या का एक बड़ा हिस्सा है। इस हेतु इस वर्ष 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अर्थात् उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

#### सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल 'बैंक टू स्कूल' शिविर की उपलब्धता।
- सभी बच्चे वर्ष 2007 में पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें 'जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो, पर बल देना।
- बालक-बालिका असमानता तथा सामाजिक वर्ग-भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाए रखना।

## अनुमानित बाल गणना वर्ष २००२ -०३ से २००७ तक

जनपद में मई एवं जून 2002 में कराए गए हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 11 आयुवर्ग के बच्चों की संख्या 92761 थी। 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 48516 थी। सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य इन बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन कराना है। आगामी वर्ष 2007 तक बालगणना का आगणन परियोजना के उद्देश्यों को निश्चित करने के लिए अतिआवश्यक है। जनपद के बालकों की वृद्धि दर 1.41 एवं बालिकाओं की 1.61 पर आगणित की गई है। जिसका विवरण अग्रांकित तालिका में किया गया है—

### अनुमानित बालगणना वर्ष 2002-03 से 2006-07

वर्ष	6 से 11 आयुवर्ग के कुल बच्चे			11 से 14 आयुवर्ग के कुल बच्चे		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2002-03	47003	45758	92761	24905	23611	48516
2003-04	47666	46495	94160	25256	23991	49247
2004-05	48338	47243	95581	25612	24377	49990
2005-06	49019	48004	97023	25973	24770	50743
2006-07	49711	48777	98487	26340	25169	51508

### नामांकन

परियोजना का सर्वप्रथम लक्ष्य 6 से 14 आयुवर्ग के समस्त बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन करना है। इस के अनुसार उक्त आगणित बालगणना के आधार पर जनपद का नामांकन लक्ष्य निम्नानुसार रखा गया है—

### अनुमानित कुल नामांकन 6 से 11 वय वर्ग 2002-02 से 2006-07

वर्ष	6 से 11 आयुवर्ग के कुल बच्चे			6 से 11 आयुवर्ग के कुल स्कूल जाने वाले बच्चे			एन0ई0आर0 (लक्ष्य)		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2002-03	47003	45758	92761	43496	44638	91134	98.92	97.55	98.25
2003-04	47666	46495	94160	47666	46495	94160	100.00	100.00	100.00
2004-05	48338	47243	95581	48338	47243	95581	100.00	100.00	100.00
2005-06	49019	48004	97023	49019	48004	97023	100.00	100.00	100.00
2006-07	49711	48777	98487	49711	48777	98487	100.00	100.00	100.00

### अनुमानित कुल नामांकन 11 से 14 वय वर्ग 2002-03 से 2006-07

वर्ष	11 से 14 आयुवर्ग के कुल बच्चे			11 से 14 आयुवर्ग के कुल स्कूल जाने वाले बच्चे			एन0ई0आर0 (लक्ष्य)		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2002-03	24905	23611	48516	24386	22211	46597	97.92	94.07	96.04
2003-04	25256	23991	49247	25215	23446	48661	99.84	97.73	98.81
2004-05	25612	24377	49990	25612	24068	49680	100.00	98.73	99.38
2005-06	25973	24770	50743	25973	24550	50523	100.00	99.11	99.57
2006-07	26340	25169	51508	26340	25169	51508	100.00	100.00	100.00

**S.S.A. Tehri Garhwal**  
**Projection Of Population**

Formula-  $r = \{(P1/P0)^{1/n-1}\} * 100$

Groth Rate I-Male 1.41%

Groth Rate II-Female 1.61%

**Projection Of Population Of 00 To 06 Age Group**

Year	0 - 5 Age Population			Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
	Boys	Girls	Total						
2002-03	41245	37688	78933						
2003-04	41827	38295	80121						
2004-05	42416	38911	81328						
2005-06	43014	39538	82552						
2006-07	43621	40174	83795						

**Projection Of Population Of Age 06 To 11 Age Group**

Year	6-11 Age Population			In School			N.E.R.		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2002-03	47003	45758	92761	46496	44638	91134	98.92	97.55	98.25
2003-04	47666	46495	94160	47666	46495	94160	100.00	100.00	100.00
2004-05	48338	47243	95581	48338	47243	95581	100.00	100.00	100.00
2005-06	49019	48004	97023	49019	48004	97023	100.00	100.00	100.00
2006-07	49711	48777	98487	49711	48777	98487	100.00	100.00	100.00

**Projection Of Population Of 11 To 14 Age Group**

Year	11-14 Age Population			In School			N.E.R.		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2002-03	24905	23611	48516	24386	22211	46597	97.92	94.07	96.04
2003-04	25256	23991	49247	25215	23446	48661	99.84	97.73	98.81
2004-05	25612	24377	49990	25612	24068	49680	100.00	98.73	99.38
2005-06	25973	24770	50743	25973	24550	50523	100.00	99.11	99.57
2006-07	26340	25169	51508	26340	25169	51508	100.00	100.00	100.00

### Projection Of Population

Formula-  $r = \{(P1/P0)^{1/n} - 1\} * 100$

Groth Rate I-Male 1.41%

Groth Rate II-Female 1.61%

#### Projection Of Population Of 06 To 11 Age Group

Year	6-11 Age Population			Enrolment In School Class (1-5)			G.E.R.		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
				49291	49916	99207	108.11	111.6	109.84
2002-03	47003	45758	92761	52910	52241	105151	112.57	114.17	113.36
2003-04	47666	46495	94160	54257	53559	107816	113.83	115.19	114.50
2004-05	48338	47243	95581	55105	54330	109435	114.00	115.00	114.49
2005-06	49019	48004	97023	56372	55685	112057	115.00	116.00	115.49
2006-07	49711	48777	98487	57664	56581	114245	116.00	116.00	116.00

#### Projection Of Population Of 11 To 14 Age Group

Year	11-14 Age Population			Enrolment In School Class (6-8)			G.E.R.		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
							97.42	95.39	96.44
2002-03	24905	23611	48516	24407	22903	47310	98.00	97.00	97.51
2003-04	25256	23991	49247	25470	23751	49221	100.85	99.00	99.95
2004-05	25612	24377	49990	26125	24621	50746	102.00	101.00	101.51
2005-06	25973	24770	50743	27012	25513	52525	104.00	103.00	103.51
2006-07	26340	25169	51508	27920	26427	54347	106.00	105.00	105.51

### Projection Of Population

Formula- $r = \left[ \frac{P1}{P0} \right]^{1/n-1} * 100$

Growth Rate I-Male 1.41%

Growth Rate II-Female 1.61%

#### Projection Of Population Of 00 To 06 Age Group

Year	0 - 5 Age Population			Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
	Boys	Girls	Total						
2002-03	41245	37688	78933						
2003-04	41827	38295	80121						
2004-05	42416	38911	81328						
2005-06	43014	39538	82552						
2006-07	43621	40174	83795						

#### Projection Of Population Of Age 06 To 11 Age Group

Year	6-11 Age Population			In School			N.E.R. (Target)		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2002-03	47003	45758	92761	46496	44638	91134	98.92	97.55	98.25
2003-04	47666	46495	94160	47666	46495	94160	100.00	100.00	100.00
2004-05	48338	47243	95581	48338	47243	95581	100.00	100.00	100.00
2005-06	49019	48004	97023	49019	48004	97023	100.00	100.00	100.00
2006-07	49711	48777	98487	49711	48777	98487	100.00	100.00	100.00

#### Projection Of Population Of 11 To 14 Age Group

Year	11-14 Age Population			In School			N.E.R.		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2002-03	24905	23611	48516	24386	22211	46597	97.92	94.07	96.04
2003-04	25256	23991	49247	25215	23446	48661	99.84	97.73	98.81
2004-05	25612	24377	49990	25612	24068	49680	100.00	98.73	99.38
2005-06	25973	24770	50743	25973	24550	50523	100.00	99.11	99.57
2006-07	26340	25169	51508	26340	25169	51508	100.00	100.00	100.00

#### Projection Of Population Of 06 To 11 Age Group

Year	6-11 Age Population			Enrolment In School Class (1-5)			G.E.R. Target		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
				49291	49916	99207	108.11	111.6	109.84
2002-03	47003	45758	92761	52910	52241	105151	112.57	114.17	113.36
2003-04	47666	46495	94160	54257	53559	107816	113.83	115.19	114.50
2004-05	48338	47243	95581	55105	54330	109435	114.00	115.00	114.49
2005-06	49019	48004	97023	56372	55685	112057	115.00	116.00	115.49
2006-07	49711	48777	98487	57664	56581	114245	116.00	116.00	116.00

#### Projection Of Population Of 11 To 14 Age Group

Year	11-14 Age Population			Enrolment In School Class (6-8)			G.E.R. Target		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
							97.42	95.39	96.44
2002-03	24905	23611	48516	24407	22903	47310	98.00	97.00	97.51
2003-04	25256	23991	49247	25470	23751	49221	100.85	99.00	99.95
2004-05	25612	24377	49990	26125	24621	50746	102.00	101.00	101.51
2005-06	25973	24770	50743	27012	25513	52525	104.00	103.00	103.51
2006-07	26340	25169	51508	27920	26427	54347	106.00	105.00	105.51

इस अभियान का क्रियान्वयन समुदाय के सहयोग से किया जायेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा संबंधी सभी प्रयासों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे प्रयास किये जायेंगे जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों, कलाकारों, नहिला संगठनों आदि को शामिल किया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन विद्यालय खोलना, शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रारम्भिक शिक्षा का गुणात्मक सुधार, अध्ययन-अध्यापन सामग्रियों का प्रावधान, शैक्षिक सहायता के लिए ब्लाक और सामूहिक संसाधन केन्द्रों की स्थापना, कक्षाओं और स्कूल भवनों का निर्माण एवं पुर्ननिर्माण, शौचालय, पेयजल एवं बाउण्डीवाल निर्माण, शिक्षा गारंटी केन्द्रों की स्थापना और विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा और बालिका शिक्षा जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम निम्नानुसार होंगे—

## १- शिक्षा की पहुँच का विस्तार (ACCESS)

जनपद में कई बस्तियां अभी भी ऐसी हैं जिनमें मानकानुसार नवीन विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। साथ ही कुछ ऐसी बस्तियां भी हैं जो जनसंख्या सम्वन्धी मानक को पूरा नहीं करती, परन्तु उनमें प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा सुविधाएं काफी दूर हैं। जनपद में कई आबादी क्षेत्र ऐसे हैं जो मूल गांव से दूर हैं तथा उनमें एक से चार परिवार तक निवास करते हैं ऐसे लोग मुख्य रूप से कृषि, बागवानी एवं पशुपालन में संलग्न रहते हैं। कहीं-कहीं बरसात में नदी अवरोध उत्पन्न हो जाता है। गांवों की अधिसंख्यक महिलायें निरक्षर होने के कारण शिक्षा की जरूरत से वाकिफ नहीं हैं फलतः वे अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए जागरूक नहीं हैं। विद्यालयों में नामांकन बच्चों का मूल अधिकार होना चाहिए यह जागरूकता समुदाय में नहीं है। जनपद की दूरी की दृष्टि से विकट क्षेत्रों में कम आयु के बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजा जाता है। कई बच्चों के अभिभावक बहुत गरीब हैं जो पढ़ने के अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं ढो सकते हैं। गरीबी के कारण कतिपय अभिभावक बच्चों को स्कूलों में न भेजकर उन्हें घरेलू कार्यों यथा खेती, जानवर चुगाना, भाई-बहनों की देखभाल करना आदि में लगा देते हैं। कुछ 6 से 14 वर्ष के बच्चे जिनका किन्ही कारणवश विद्यालयों में इससे पूर्व नामांकन नहीं हो पाया वे विद्यालय में नामांकित होने से झेपते हैं तथा उनके अभिभावक भी रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि वे उनके दैनिक क्रियाकलापों (खेती-बाड़ी, पशुपालन) में हाथ बंटाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं को पढ़ने पढ़ाने के मुद्दे पर दूसरे की प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

ऐसी असेवित बस्तियों जो नवीन विद्यालय खोलने के मानक को पूरा करेंगी उनमें नवीन प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो बस्तियां राज्य मानकानुसार नवीन विद्यालय खोले जाने की श्रेणी को पूर्ण नहीं करती वहां शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा के तहत विद्या केन्द्र, शिक्षा घर खोलकर शत-प्रतिशत पहुंच कर लक्ष्य प्राप्त करना है। पर्वतीय विकट भौगोलिक समस्या

को देखते हुए ई.जी.एस. शिक्षा गारण्टी योजना के तहत 10-15 बच्चों पर विद्याकेन्द्र तथा वैकल्पिक शिक्षा के तहत 20 बच्चों पर शिक्षा घर खोलने का प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चों की उम्र चलने फिरने लायक होने पर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

जनपद में ग्राम शिक्षा शिक्षा समितियों के सक्रिय सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिससे शैक्षणिक वातावरण का सृजन किया जा सके। माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्कूल चलो अभियान शुरू किया जायेगा, जिनमें अध्यापक घर-घर जाकर आयु वर्ग 6-14 के बच्चों का नामांकन करेंगे। बालिकाओं के एवं वंचित वर्ग के शत-प्रतिशत नामांकन हेतु विभिन्न महिला संगठनों का सहयोग लेने का प्रयास किया जाएगा। इस हेतु महिला समाख्या से भी सहयोग लिया जाएगा।

जनपद में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है साक्षरता कार्यक्रम के साथ सर्व शिक्षा कार्यक्रम को जोड़ते हुए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु जनजागरण अभियान चलाये जाने का प्रबंध किया गया है। साक्षरता कार्यक्रमों के प्रशिक्षक को सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य तथा लक्ष्यों के बारे में जानकारी दे दी गई है। विकास खण्डों में उत्तर साक्षरता के कार्यों का सम्पादन दी.आर.सी. व एन.पी.आर. सी. समन्वयकों की सहायता से किया जा रहा है। विकास खण्ड जौनपुर, प्रतापनगर व भिलंगना के दूरस्थ गांव एवं आवागमन हेतु विकट गांवों को निःशुल्क वर स्थानीय आवश्यकतानुकूल शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के प्रयास सर्व शिक्षा कार्यक्रम के नवाचार कार्यक्रमों गांव के सदस्यों का अंतर्विकास खण्डीय/ अंतर्जनपदीय एक्सपोजर भ्रमणों द्वारा किया जायेगा।

जनपद में समन्वित बाल विकास विभाग के साथ सामंजस्य कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्थाय भी की जा रही है, ताकि उसे 6 वय वर्ग से छोटे बच्चे वहां पर रहकर नियमित रूप से विद्यालयों में आने के लिए प्रेरित हो व उनके बड़े भाई बहन नियमित विद्यालय में आ सकें। परियोजना में समन्वित बाल विकास विभाग के साथ सामंजस्य कर ई.सी.सी.ई. केन्द्र खोले जाएंगे।

अध्यापक द्वारा बच्चों के मानसिक स्तर पर मूल्यांकन पर उनकी बड़ी उम्र को भी ध्यान में रखते हुए कक्षोन्नति प्रदान की जानी चाहिए। कक्षोन्नत बच्चों के लर्निंग गैप को भरने के लिए विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान हो तथा अभिभावकों से सतत सम्पर्क रखा जायेगा।

जनपद की लगभग 93.48 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है व वहां पर स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों के अभिभावक खेती पर निर्भर होने के कारण गरीब है। अतः परियोजनान्तर्गत समस्त वर्ग की बालिकाओं को, अ.जा., अ.ज.जा. के बालक-बालिकाओं का निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएगी।

## **क-नए विद्यालयों की स्थापना** **(New School)**

डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत जनपद में 122 असेवित बस्तियों में जो नवीन विद्यालय खोलने के मानक को पूरा करती थीं में 122 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2001-02 तक 90 नवीन प्राथमिक विद्यालय जनपद में खोले जा चुके हैं। साथ ही जनपद में 240 ई0जी0एस0 केंद्र भी

खोले गए हैं। परन्तु 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिए पहुंच का विस्तार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जनपद में 11 से 14 वय वर्ग का एन.ई.आर. 6 से 11 वय वर्ग का एन.ई.आर. कम होने का एक कारण विद्यालयों की पहुंच का दूर होना है। मानक के अनुसार ऐसे असेवित ग्राम/बस्तियां जिनकी कुल आबादी 500 या उससे अधिक तथा 3 कि०मी० की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है, में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। सर्व-शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उद्देश्य रखा गया है कि प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जायेगा तदनुसार वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के आधार पर निम्नवत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी-

क्र०स०	विवरण	संख्या
1	कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1265
	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता-(1265/2)	632
1	कुल परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	303
2	कुल राजकीय आदर्श विद्यालय	17
3	कुल हाईस्कूल	49
4	कुल इंटर कॉलेज	110
5	कुल मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल	63
5	नवोदय/कॉलेज	02
	कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय	544
	इस प्रकार आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालय (632-544)	88

स्रोत-विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी टि०ग०।

जिले में 6 से 8 तक की शिक्षण सुविधाएं 3 किलोमीटर की परिधि में 2223 (89.4% प्रतिशत) बस्तियों में उपलब्ध है। शेष में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनपद में नए जूनियर हाईस्कूल ऐसी 28 असेवित बस्तियों में खोले जाएंगे जहाँ पर जूनियर हाईस्कूल की सुविधा 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। जनपद में वर्ष 2002 में किये गये हाउसहोल्ड सर्वे में ये 28 बस्तियां चिन्हित की गई है। ब्लाकवार इनका विवरण निम्नवत है-

क्र०स०	विकास क्षेत्र	असेवित बस्तियों की संख्या जिनमें जू०हा० खोले जाने हैं
1	भिलंगना	03
2	चम्बा	02
3	देवप्रयाग	02
4	जाखणीधार	04
5	जौनपुर	05
6	कीर्तिनगर	02
7	नरेन्द्रनगर	05
8	प्रतापनगर	02
9	थौलधार	03
	योग	28

स्रोत - हाउस होल्ड सर्वे 2002।

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी टि

(सूची-संलग्नक-दो)



उक्त के अतिरिक्त जनपद में संचालित हो रहे 17 राजकीय आदर्श विद्यालयों में से 9 राजकीय आदर्श विद्यालयों को भी परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में परिवर्तित किया जाना है क्योंकि इन राजकीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों एवं भवनों का अभाव है और ये ऐसे स्थलों पर स्थित हैं कि जहां पर जूनियर हाईस्कूल की शिक्षा की सुविधा 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। ब्लाकवार इनका विवरण निम्नवत है-

क्र० स०	विकास क्षेत्र	रा०आ०वि० की संख्या जिन्हें जू०हा० में परिवर्तित किया जाना है	विद्यालय
1	भिलंगना	02	रा०आ०वि० देवलेश्वर व दोणी।
2	चम्बा	01	रा०आ०वि० देवताधार
3	देवप्रयाग	02	रा०आ०वि० तोली व बरसोली
4	जाखणीधार	01	रा०आ०वि० लामरीधार
5	जौनपुर	01	रा०आ०वि० बांडा
6	थौलधार	02	रा०आ०वि० नकोट व त्त्यारी
	योग	09	

स्रोत-जिला बेसिक शिक्षाधिकारी टि०ग०।

सूची-संलग्नक-दो

### वर्षवार खोले जाने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
लक्ष्य	20	17	-	-	37

सूची-संलग्नक-दो

विद्यालय भवनों का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जायेगा। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई के अभियंताओं के द्वारा किया जायेगा।

### खा-शिक्षकों की व्यवस्था (Teacher)

#### १- उच्च प्राथमिक स्तर

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक (शिक्षा नित्र) की व्यवस्था डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत की जाती है। इसी तरह नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जू०हा०) में 3 सहायक अध्यापकों (गणित, विज्ञान, भाषा) के पदों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जाएगी। इनके वेतन, भत्तों की व्यवस्था सन् 2007 तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जाएगी।

#### वर्षवार खोले जाने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
लक्ष्य	60	51	-	-	111

## ब्लाकवार शिक्षकों के पदों की आवश्यकता

क्र०स०	विकास क्षेत्र का नाम	असेवित बतियों की संख्या जिनमें जू०हा० खोले जाने हैं	रा०आ०वि० की संख्या जिन्हें जू०हा० में परिवर्तित किया जाना है।	कुल नये जू०हा० प्रस्तावित	कुल अध्यापकों की आवश्यकता	विवरण
1	भिलगना	03	02	05	15	प्रति जू०हा०स्कूल 3 अध्यापक पद
2	चम्बा	02	01	03	09	
3	देवप्रयाग	02	02	04	12	
4	जाखणीधार	04	01	05	15	
5	जौनपुर	05	01	06	18	
6	कीर्तिनगर	02	—	02	06	
7	नरेन्द्रनगर	05	—	05	15	
8	प्रतापनगर	02	—	02	06	
9	थौलधार	03	02	05	15	
	<b>योग</b>	<b>28</b>	<b>09</b>	<b>37</b>	<b>111</b>	

स्रोत—जिला बेसिक शिक्षाधिकारी टि०ग०।

### २- प्राथमिक स्तर

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत खुले प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों के बढे हुये (प्रोन्नति के फलस्वरूप) वेतन एवं प्रति विद्यालय 2 शिक्षा मित्रों के मानदेय की व्यवस्था सन् 2005 से 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जाएगी।

विवरण	कुल पद		विवरण
	प्र०अ०	शिक्षक-मित्र	
2002 तक खुले प्रा०वि०	90	180	
प्रस्तावित प्रा०वि०	32	64	
<b>योग</b>	<b>122</b>	<b>244</b>	

स्रोत—विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी टि०ग०।

(सूची—सलग्नक—तीन)

### ग-शिक्षण सामग्री एवं काष्ठोपकरण (T.L.E.)

जनपद में नये खुलने वाले 37 जू०हा०स्कूलों में शिक्षण सामग्री एवं काष्ठोपकरण की व्यवस्था सर्व शिक्षा के अन्तर्गत की जाएगी। इसके अन्तर्गत प्रति विद्यालय 50.00 हजार रुपये की व्यवस्था की जाएगी। इससे विद्यालय को पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य क्रम, शिक्षक संदर्शिकाएं, शब्दकोष, ज्ञानकोष, सहायक पाठ्य पुस्तकें, एटलस, शैक्षणिक चार्ट, मानचित्र, क्रीड़ा-सामग्री, वाद्य-यंत्र, कुर्सी मेज, टाट-पट्टी, ट्रंक, अलमारी, लोटा, बाल्टी, पत्र-पत्रिकाएं आदि उपलब्ध करायी जाएगी। सामग्री का क्रय ग्राम शिक्षा समिति/ विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा।

**वर्षवार खोले जाने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टी०एल०ई०**

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
लक्ष्य	20	17	—	—	37

**Proposed New J.H.School**  
**Tehri Garhwal**

G.S.N	S.N.	Block	Basti	G.Panchat	Population	Near. JH Dist	No. & Name of Primary School
1	1	BHILANGANA	KHOLA	KHOLA	790	6 Km.	02 (PS Khola & Kothaga)
2	2	BHILANGANA	GENWALI	GENWALI	500	12 Km.	01 (PS Genwali)
3	3	BHILANGANA	CHANJEE MALLY	CHANJEE	621	5 Km.	04 (PS Ganwaree, Silos, Changee Mally & Tally)
4	1	CHAMBA	GUNOGI	GUNOGI	682	6 Km.	04 (PS Gunogi, Silogi, & Kalhwari)
5	2	CHAMBA	DEWADA	DEWADA	348	4-5 Km.	03 (PS Dewada, Than-B & Bangoli)
6	1	DEOPRAYAG	KULER	KULER	274	3 Km.	02 (PS Kuler & Pata)
7	2	DEOPRAYAG	ROOMDHAR	ROOMDHAR	554	3 Km.	03 (PS Roomdhar, Tayadee & Gajeli)
8	1	J.DHAR	PUNANU	SEMA-PUNANU	815	6 Km.	02 (PS Sema-punanu & Punanu)
9	2	J.DHAR	KASTAL	KASTAL	799	4 Km.	04 (PS Myundi, Kastal, Saing & Pujargaon)
10	3	J.DHAR	THAT	THAT	504	6 Km.	02 (PS That & Kopardhar)
11	4	J.DHAR	KHOLA	KHOLA	813	5 Km.	03 (PS Khola, Khola-N & Bangdwara)
12	1	JAUNPUR	JINSEE	JINSEE	559	6 Km.	03 (PS Jinsee, Tuneta & Kafulta)
13	2	JAUNPUR	SARTALI	SARTALI	676	5 Km.	02 (PS Sartaly & Ghandiyala)
14	3	JAUNPUR	KEEMOI	KANDA JAKH	277	5 Km.	01 (PS Keemoi)
15	4	JAUNPUR	MUGLOONI	MUGLOONI	719	7 Km.	02 (PS Mugaloni & Digon)
16	5	JAUNPUR	LANGRASU	MAWANA	808	4-6 Km.	2 (PS Langrasu & Mawana)
17	1	K.NAGAR	DEVIDHAR	ULANA	627	4 Km.	03 (PS Ulana, Mahendargaon & Bandasa)
18	2	K.NAGAR	PAINULA-PAW	PAINULA	715	3 Km.	03 (PS Painula, Paw & Paligad)
19	1	N.NAGAR	MATHIYALI	MATHIYALI	717	5 Km.	03 (PS Mathiyali, Farsoopani & Sera-Amaree)
20	2	N.NAGAR	KHARKEE	DIULI	539	4 km.	02 (PS Diuli & Tandil)
21	3	N.NAGAR	KASMOLI	KASMOLI	519	5 Km.	01 (PS Kasmoli)
22	4	N.NAGAR	NAI	NAI	590	5 Km.	01 (PS Nai)
23	5	N.NAGAR	OANEE	OANEE	589	3.5 Km.	01 (PS Oanee)

24	1	P.NAGAR	KHET	KHET	540	3 Km.	01 (PS Khet)
25	2	P.NAGAR	SUJARGAON	SUJARGAON	233	3 Km.	03 (PS Sujargaon, Kyari & Jamunda)
26	1	THAULDHAR	LAWANEE	LAWANEE	629	3 Km.	04 (PS Nawagaon, Lawanee, Kastal & Gafar)
27	2	THAULDHAR	KAINTHOGEE	BARWALGAON	428	3 Km.	03 (PS Kainthogee, Barwalgaon & Thauldhar)
28	3	THAULDHAR	MANJOLI	MANJOLI	412	3 Km.	04 (PS Chopra, Manjooli, Sankree & Bailgaon)

Source-House Hold survey 2002

### List Of Parposed Model School For J.H.School Tehri Garhwal

GSN	S.N.	Block	Basti	G.Panchat	Population	Near. JH Dist	No. & Name of Primary School
1	1	BHILANGANA	TUGANA	TUGANA	800		01 (PS Dewaleswar)
2	2	BHILANGANA	DONEE	DONEE	901		02 (PS Donee-W & Donee-P)
3	1	CHAMBA	DEWATADHAR	KOT	785		01 (PS Dewatadhar)
4	1	DEOPRAYAG	TOLI	TOLI	715		04 (PS Toli, Gwalana, Nagar & Gahar)
5	2	DEOPRAYAG	BARSOLI	BARSOLI	409		03 (PS Barsoli, Gawana & Gurchholi)
6	1	J.DHAR	LAMAREEDHAR	CHAUND JASPUR	529		02 (PS Lamaredhar & Chaund Jaspur)
7	1	JAUNPUR	WANDACHAK	WANDA	509		02 (PS Wanda & Kandalgaon)
8	1	THAULDHAR	NAKOT	NAKOT	353		03 (PS Khamoli, Dhamaree & Nakot)
9	2	THAULDHAR	KYAREE	KYAREE	699		03 (PS Kyaree, Chapara & Andhiyari)

Source- B.S.A.T.Gwl.

**ए-वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा**  
**(शिक्षा गारंटी योजना)**  
**(E.G.S.)**

शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार योजना में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 से 11 वय वर्ग के बच्चोंको शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराना या फिर बीच में विद्यालय छोड़ने वाले या अधिक उम्र वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। सर्व शिक्षा के अन्तर्गत लक्ष्य समूह 6 से 14 वय वर्ग के बच्चे है विकलांग बच्चों के मामले में आयु सीमा 18 वर्ष तक है इस योजना के अन्तर्गत 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके ओपचारिक विद्यालयों अथवा शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र में प्रवेश दिला कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। 6 से 14 वय वर्ग के बच्चे जो पूर्व में कभी भी विद्यालय में पंजीकृत नहीं हुए अथवा जो विद्यालयों से शाला त्याग हो चुके हैं उन्हें वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों अथवा ब्रिज कोर्स, वैक टू स्कूल कार्यक्रम या ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य होगा।

वर्तमान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत माइक्रोप्लानिंग/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रेषित मांग पर जनपद में **201 विद्या केन्द्र** संचालित किये जा रहे है। साथ ही वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ब्रिज कोर्स कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2002-03 में ऐसी **20** असेवित बस्तियों में शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत **विद्या केन्द्र** खोलने का लक्ष्य रखा गया है जो बस्तियां विद्यालय खोलने के मानक को पूरा नहीं कर पाती हैं। **14 शिक्षाघर एवं 5 ऋषि-वेली केन्द्र** खोलने का भी लक्ष्य रखा गया है।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयनित आचार्य/अनुदेशक को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष आचार्य/अनुदेशक को 15 दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। केन्द्र संचालन हेतु साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री तथा आचार्य/अनुदेशक के मानदेय हेतु धनराशी ग्राम शिक्षा समिति के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाती है।

11 से 14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिए जो ओपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं के लिए नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, समूह, विशिष्ट आवश्यकताओं तथा कालान्तर में ओपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जोन की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय नवाचार, न्यादर्श विकसित किए जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, अनुभवी स्वयंसेवी संगठनों की सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जाएंगे।

**जनपद में कुल वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र**

क्र०स०	केन्द्र	संख्या	विवरण
1	विद्या केन्द्र	221	20 केन्द्र 2002-03 हेतु प्रस्तावित
2	शिक्षाघर	14	
3	ऋषि-वेली केन्द्र	05	05 केन्द्र 2002-03 हेतु प्रस्तावित
<b>योग</b>		<b>240</b>	

स्रोत-विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी टि०ग०।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन केंद्रों को निम्नवत सहायता प्रदान की जाएगी-

क्र०स०	विवरण	धनराशी
1	आचार्य मानदेय	रु० 1000.00 प्रति माह
2	केंद्र आकस्मिक व्यय	रु० 468.00 प्रति वर्ष
3	बच्चों के लिए पठन सामग्री	रु० 1500.00 प्रति बच्चा प्रति वर्ष
4	आचार्य प्रशिक्षण	रु० 1000.00 प्रति वर्ष

### ड.- अपग्रेडेशन ई०जी०एस० (Upgradation Of E.G.S.)

जनपद में संचालित ई०जी०एस० केंद्रों में से, सफलतापूर्वक संचालित अधिक छात्र संख्या वाले 30 ई०जी०एस० केंद्रों का अपग्रेडेशन इस कार्ययोजना के अन्तर्गत किया जायेगा। इन केंद्रों में प्रत्येक केंद्र हेतु एक सहायक अध्यापक एवं एक शिक्षा-मित्र की व्यवस्था इस योजना के अन्तर्गत की गई है। इन केंद्रों में प्रत्येक केंद्र को भवन निर्माण हेतु रु० 275 हजार एवं रु० 10 हजार वार्षिक टी०एल०ई० ग्रांट दी जायेगी-

- भवन निर्माण - रु० 275.00 हजार
- टी०एल०ई० ग्रांट - रु० 10.00 हजार
- सहायक अध्यापक - एक पद प्रति विद्यालय
- शिक्षा-मित्र -- एक पद प्रति विद्यालय

वर्षवार अपग्रेडेशन ई०जी०एस० का प्राथमिक विद्यालय में

क्र०स०.	वर्ष,	2005-06,
1	लक्ष्य	30
2	भवन निर्माण	30
3	स०अध्यापक	30
4	शिक्षा-मित्र	30

## २-ठहराव सुनिश्चितिकरण (Retention)

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की भौतिक एवं बौद्धिक संरचना में उल्लेखनीय विकास हुआ है तथा आसानी वर्गों में भी प्राथमिक शिक्षा के विकास की योजना हेतु कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। जनपद में नामांकन की अपेक्षा धारण पर अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता महशूस की जा रही है। विद्यालय का वातावरण रूचिपूर्ण एवं आकर्षक नहीं रहता। विद्यालयों में साज-सज्जा एवं पठन-पाठन हेतु सहायक सामग्री का अभाव रहता है। अध्यापकों की शिक्षण विद्या रूचिपूर्ण नहीं है वे परम्परागत रूप से पढ़ाकर पाठ्यक्रम की पूर्ति करना अपना लक्ष्य समझते हैं। जौनपुर, प्रतापनगर व भिलंगना विकास खण्डों में वास्तविक शाला त्याग अधिक रहता अनुसूचित जाति बच्चों का भी शाला त्याग प्रतिशत इन्हीं विकास खण्डों में अधिक है। जनपद में काफी बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जो भवनहीन हैं, जिनमें कक्षाओं के संचालन में काफी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। साथ ही जनपद में काफी जीर्ण-शीर्ण/मरम्मत योग्य विद्यालय हैं जिनमें कक्षा संचालन नहीं किया जा सकता है। जनपद के कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कक्षाओं की कमी होने के कारण बच्चों को बैठने की असुविधा रहती है छात्र संख्या अधिक हैं परन्तु कक्षा-कक्षाओं की संख्या केवल एक या दो है। जनपद में काफी बड़ी संख्या में विद्यालयों में पेयजल, कीड़ास्थल तथा शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। कई विद्यालयों में शैक्षणिक सहायक सामग्री का अभाव है। माता-पिता अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने में रूची नहीं रखते हैं। अतः नामांकन की तुलना में उपस्थिति काफी कम रहती है।

- विद्यालयों का अनाकर्षक वातावरण,
- भवनों की कमी,
- जीर्ण-शीर्ण भवन,
- विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं यथा शौचालय एवं पेयजल, का न होना आदि

ए ऐसे कारण हैं जिनके कारण विद्यालयों में धारण की दर कम है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों के विकास एवं वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। अतिरिक्त नामांकन एवं शालात्याग की दर में कमी के कारण बड़ी छात्र संख्या के लिए अतिरिक्त कक्षा-कक्षाओं की आवश्यकता महशूस की जा रही है। साथ ही नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, भवनहीन एवं जीर्ण-शीर्ण उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का पुनर्निर्माण, मरम्मत एवं विद्यालयों में शौचालय, पेयजल सुविधा का विकास एवं चाहरदीवारी का निर्माण किया जाएगा।

सर्व शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे-

- अधिक छात्रसंख्या वाले एवं एक कक्षीय विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षाओं का निर्माण।
- शिक्षकविहीन/एकल शिक्षकीय विद्यालयों एवं अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों या शिक्षा मित्रों की व्यवस्था।

- योजना में प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय विकास अनुदान रूपये 2000.00 दिया जाएगा जिससे विद्यालयों के भौतिक स्वरूप को आकर्षक बनाने में सफलता मिल सके। विद्यालयों में पठन-पाठन हेतु सहायक सामग्री एवं बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था हो सके।
- योजना में ऐसे विद्यालय को गरम्मत भद्र में रूपये 5000.00 दिया जाएगा, जिन विद्यालयों का निर्माण वर्ष 2000 से पूर्व हुआ है एवं जिनमें टुट-फूट हुई हो। इससे विद्यालयों के भौतिक स्वरूप को आकर्षक बनाने में सफलता मिल सके। विद्यालयों में पठन-पाठन हेतु सहायक सामग्री एवं बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था हो सके।
- जनपद की 15 न्याय पंचायतों को आदर्श न्याय पंचायत विकास (Model Cluster Development Approach) के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिनमें बालिका शिक्षा के विकास एवं प्रचार-प्रसार के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- शौचालय, पेयजल एवं बाउण्डीवालविहिन विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं बाउण्डीवाल का निर्माण किया जाएगा।
- जीर्ण-शीर्ण एवं भवनहीन विद्यालयों को पुनः निर्मित/नव निर्मित एवं मरम्मतयोग्य विद्यालयों की मरम्मत की जाएगी।
- जनपद में मात्र 90 जू0हा0 ऑपरेशन ब्लैक-बोर्ड योजना से आच्छादित हैं, शेष में शैक्षणिक सहायक सामग्री की पूर्ति के लिए 50 हजार की धनराशी की व्यवस्था की जाएगी।
- स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम।
- प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समितियों, स्कूल प्रबंधन समितियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि अभिभावक शिक्षा के महत्व को समझकर बच्चों का मात्र नामांकन अपना कर्तव्य न समझे, अपितु नियमित रूप से बच्चों को स्कूलों में भेजे।
- जनपद में यूनिसेफ द्वारा संचालित वाल पर्यावरण परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण, रेन-वाटर हार्बेरिंग टैंक निर्माण एवं विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। योजना से सामंजस्य स्थापित किया जायेगा।

## क-अतिरिक्त कक्षा-कक्षाओं का निर्माण

(Additional Class Room)

१- उच्च प्राथमिक विद्यालय

जनपद में संचालित 303 परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में से 7 विद्यालय 2 कक्षा-कक्षीय हैं इन विद्यालयों में से 2 कक्षा कक्षीय 3 विद्यालय जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं इस प्रकार 4 द्विकक्षीय विद्यालयों के लिए एक-एक अतिरिक्त कक्षाओं का प्राविधान किया गया है। साथ ही 101 से अधिक छ



संख्या वाले 10 विद्यालयों के लिए भी बजट का प्राविधान किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 14 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ब्लाकवार इनका विवरण निम्नवत है-

**ब्लाकवार अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय**

क्र० स०	विकास क्षेत्र	एक-कक्षीय विद्यालय	द्वि-कक्षीय विद्यालय		101 से अधिक छात्र संख्या वाले 3 कक्षीयविद्यालय
			अच्छी स्थिति में	जीर्ण-शीर्ण	
1	भिलंगना			1	05
2	चम्बा		1		01
3	देवप्रयाग			1	00
4	जाखणीधार		2	1	01
5	जौनपुर		1		01
6	कीर्तिनगर				00
7	नरेन्द्रनगर				00
8	प्रतापनगर				01
9	थौलधार				01
	<b>योग</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-02

**२- प्राथमिक विद्यालय**

जनपद में अधिकांश प्राथमिक विद्यालय 2 कक्षा-कक्षीय है कुल 1265 प्राथमिक विद्यालयों में से 1070 द्वि कक्षा-कक्षीय व 183 विद्यालय 3 या 3 से अधिक कक्षों वाले हैं 3 विद्यालय एकल कक्षीय हैं। इनमें से 6 विद्यालय टिहरी बांध के डूब क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 54 प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण किया गया।

**वर्षवार अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण उच्च प्राथमिक विद्यालय**

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	योग
लक्ष्य	14	--	--	14

सूची-संलग्नक-चार

**खा - अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था  
(ADDITIONAL TEACHER)**

**१- उच्च प्राथमिक स्तर**

जनपद में नवम् एवं दशम् वित्त के अन्तर्गत खुले 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जू०हा०) में अध्यापकों के पद सृजित न होने के कारण इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारु रूप से संपादित नहीं कराया जा पा रहा है इन 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रतिविद्यालय 3 सहायक अध्यापक (गणित, विज्ञान, भाषा) के पद, इस प्रकार 48 सहायक अध्यापकों के पदों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जाएगी। इनके वेतन, भत्तों की व्यवस्था सन् 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जाएगी। ये 16 जूनियर हाईस्कूल निम्नवत हैं-

विकासखंडवार नवम् एवम् दशम् वित्त के अन्तर्गत खुले 16 उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र०स०	विकास क्षेत्र	विद्यालय	क्र०स०	विकास क्षेत्र	विद्यालय
1	भिलंगना	क०जू०हा० चौरा	9	जौनपुर	क०जू०हा० नजेपुर
2		क०जू०हा० थाती	10		क०जू०हा० दुबड़ा
3	चम्बा	क०जू०हा० चवालखेत	11	कीर्तिनगर	क०जू०हा० देवगडडी
4	देवप्रयाग	क०जू०हा० रसूटा	12	न०नगर	क०जू०हा० ढालवाला
5	जाखणीधार	क०जू०हा० पालकोट	13		क०जू०हा० लवा
6		क०जू०हा० स्वाती	14	प्रतापनगर	क०जू०हा० पड़िया
7		क०जू०हा० रतौली	15		क०जू०हा० भरपुरियागांव
8		क०जू०हा० ननवा	16	थौलधार	क०जू०हा० जौलंगी

२- प्राथमिक स्तर

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत एकल अध्यापकीय विद्यालयों हेतु स्वीकृत 67 शिक्षा मित्रों के पदों को यथावत् रखा जायगा। ये शिक्षा मित्र जनपद के दूर-दराज में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। इन 67 शिक्षा मित्रों के मानदेय की व्यवस्था सन् 2005 से 2007 तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जाएगी। साथ ही उत्तरांचल शासन द्वारा स्वीकृत 115 शिक्षक मित्रों की व्यवस्था भी यथावत् चलती रहेगी परन्तु इनका वेतन राज्य सरकार वहन करेगी।

**ग-पेयजल, शौचालय तथा चारहदीवारी**  
**(DRINKING WATER, TOILETS & B.WALL)**

१- उच्च प्राथमिक विद्यालय

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में पेयजल शौचालय तथा चारहदीवारी की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान में की जाएगी। इनका निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का होगा। जनपद में 303 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 107 में शौचालय, 106 में पेयजल सुविधा एवं 53 विद्यालयों में चारहदीवारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्लाकवार इनका विवरण निम्नवत है-

**ब्लाकवार शौचालय, पेयजल एवं चारहदीवारी सुविधा वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय**

विकास क्षेत्र	शौचालय		पेयजल		चारहदीवारी	
	सुविधायुक्त	सुविधाविहीन	सुविधायुक्त	सुविधाविहीन	सुविधायुक्त	सुविधाविहीन
भिलंगना	14	38	13	39	09	43
चम्बा	09	18	12	15	06	21
देवप्रयाग	13	16	12	17	05	24
जाखणीधार	14	18	11	21	06	26
जौनपुर	19	23	15	27	11	31
कीर्तिनगर	06	18	08	16	02	22
नरेन्द्रनगर	11	27	09	29	04	34
प्रतापनगर	10	21	08	23	06	25
थौलधार	11	17	18	10	04	24
<b>योग</b>	<b>107</b>	<b>196</b>	<b>106</b>	<b>197</b>	<b>53</b>	<b>250</b>

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-02

## २- प्राथमिक विद्यालय

प्राथमिक विद्यालयों में से 360 में शौचालय, 442 में पेयजल एवं 342 में चारहदीवारी की सुविधा उपलब्ध है। उक्त के अतिरिक्त 100 विद्यालयों में शौचालय एवं 175 में पेयजल जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्लाकवार इनका विवरण निम्नवत है-

### ब्लाकवार शौचालय, पेयजल एवं चारहदीवारी सुविधा वाले प्राथमिक विद्यालय

विकास क्षेत्र	शौचालय		पेयजल		चारहदीवारी	
	सुविधायुक्त	सुविधाविहीन	सुविधायुक्त	सुविधाविहीन	सुविधायुक्त	सुविधाविहीन
भिलंगना	39	170	71	138	38	171
चम्बा	47	74	32	89	38	83
देवप्रयाग	35	99	40	94	27	107
जाखणीघार	44	78	40	82	41	81
जौनपुर	47	119	77	89	47	119
कीर्तिनगर	30	92	45	77	21	101
नरेन्द्रनगर	52	93	67	78	41	104
प्रतापनगर	32	97	35	94	36	93
थौलधार	34	83	35	82	53	64
<b>योग</b>	<b>360</b>	<b>905</b>	<b>442</b>	<b>823</b>	<b>342</b>	<b>923</b>

स्रोत-ई0एम0आई0एस0 2001-02 एवं बेसिक शिक्षाधिकारी डि0ग0।

### प्रस्तावित शौचालय, चारहदीवारी एवं पेय जल (उ०प्रा०विद्यालय)

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 37 उच्च प्राथमिक विद्यालय में चारहदीवारियों एवं शौचालय (37 नए प्रस्तावित जू0हा0स्कूल एवं 125 भवनहीन विद्यालयों में भवन में निर्माण के बाद) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 37 नए खुलने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में पेयजल निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ब्लाकवार इनका विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	विकास क्षेत्र	जूनियर हाई स्कूल		
		प्रस्तावित शौचालय	प्रस्तावित चारहदीवारी	प्रस्तावित पेय जल
1	भिलंगना	05+19	05	05
2	चम्बा	03+11	03	03
3	देवप्रयाग	04+15	04	04
4	जाखणीघार	05+15	05	05
5	जौनपुर	06+14	06	06
6	कीर्तिनगर	02+10	02	02
7	नरेन्द्रनगर	05+19	05	05
8	प्रतापनगर	02+10	02	02
9	थौलधार	05+12	05	05
	<b>योग</b>	<b>37+125</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

## वर्षवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं चारहदीवारी निर्माण

क्र०	वर्षवार लक्ष्य	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
1	शौचालय	10	10	24	47	44	27	162
2	पेयजल				20	17		37
3	चारहदीवारी				20	17		37

### प्रस्तावित शौचालय एवं पेय जल (प्रा०विद्यालय)

30 नए खुलने वाले (अपग्रेडेशन होने वाले) एवं 2 भवनहीन प्राथमिक विद्यालय में पेयजल निर्माण एवं इन 32 प्रा०वि० एवं 80 से अधिक छात्र संख्या वाले शौचालय विहित 200 प्रा०वि० सहित 232 प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

### वर्षवार प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल निर्माण

क्र०	वर्षवार लक्ष्य	2005-06	2006-07	योग
1	शौचालय	100	132	232
2	पेयजल	—	32	32

## घा - भवनहीन एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों का पुनर्निर्माण

### (RECONSTRUCTION OF SCHOOL BUILDINGS)

#### १- उच्च प्राथमिक विद्यालय

जनपद में संचालित 303 परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में से 139 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनहीन हैं, इसके कारण विद्यालय में बच्चों का ठहराव कम रहता है। 14 भवनहीन विद्यालयों का निर्माण पैक्स-पैड द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार 125 विद्यालय अभी भवनहीन हैं। भवनहीन विद्यालयों के अतिरिक्त जनपद में 14 विद्यालय ऐसे भी हैं जिनके भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और उनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, इन 14 में 2 विद्यालयों के भवन पूर्णतः ध्वस्त हैं। सर्व शिक्षा के अन्तर्गत सर्व प्रथम इन भवनहीन विद्यालयों में भवनों का निर्माणकार्य किया जाएगा। भवन निर्माण के साथ-साथ जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था, विद्यालयों में चारहदीवारी की व्यवस्था तथा विद्यालय भवनों की मरम्मत भी परियोजना के अन्तर्गत की जाएगी। परन्तु प्राथमिकता 125 भवनहीन विद्यालयों में भवन निर्माण एवं 14 जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के पुनर्निर्माण की रहेगी। ब्लाकवार इनका विवरण निम्नवत है-

विकासखंडवार भवनहीन जीर्ण-शीर्ण एवं ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र० स०	विकास क्षेत्र	भवनहीन विद्यालय	जीर्ण-शीर्ण/ ध्वस्त विद्यालय	योग	विवरण
1	भिलंगना	22	1	23	3 विद्यालय निर्माणाधीन
2	चम्बा	12	1	13	1 विद्यालय निर्माणाधीन
3	देवप्रयाग	16	1	17	1 विद्यालय निर्माणाधीन
4	जाखणीधार	16	2	18	1 विद्यालय निर्माणाधीन
5	जौनपुर	14	—	14	
6	कीर्तिनगर	15	1	16	5 विद्यालय निर्माणाधीन
7	नरेन्द्रनगर	20	5	25	1 विद्यालय निर्माणाधीन
8	प्रतापनगर	12	2	14	2 विद्यालय निर्माणाधीन एवं एक पूर्णध्वस्त
9	थौलधार	12	1	13	एक पूर्णध्वस्त
	<b>योग</b>	<b>139</b>	<b>14</b>	<b>153</b>	

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-02

वर्षवार भवनहीन जीर्ण-शीर्ण एवं ध्वस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण

क्र०	वर्षवार लक्ष्य	2002 -03	2003 -04	2004 -05	2005 -06	2006 -07	योग
1	भवनहीन	21	23	27	27	27	125
2	जीर्ण-शीर्ण/ध्वस्त	—	5	5	4	—	14

सूची-संलग्नक-पांच

२- प्राथमिक विद्यालय

उक्त के साथ-साथ जनपद में संचालित 1265 प्राथमिक विद्यालयों में से 100 प्राथमिक विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त अवस्था में है। उल्लेखनीय है कि डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत 90 प्राथमिक विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण किया गया था। सर्वशिक्षा के अन्तर्गत इन 102 जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त प्राथमिक विद्यालय भवनों में से 100 विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण किया जायेगा। ब्लाकवार इनका विवरण निम्नवत है-

विकासखंडवार भवनहीन जीर्ण-शीर्ण एवं ध्वस्त प्राथमिक विद्यालय

क्र० स०	विकास क्षेत्र	भवनहीन विद्यालय	जीर्ण-शीर्ण/ ध्वस्त विद्यालय	योग	विवरण
1	भिलंगना		09	09	
2	चम्बा		14	14	
3	देवप्रयाग		15	15	
4	जाखणीधार	1	12	13	
5	जौनपुर		11	11	
6	कीर्तिनगर		14	14	
7	नरेन्द्रनगर	1	06	07	
8	प्रतापनगर		06	06	
9	थौलधार	2*	11	13	
	<b>योग</b>	<b>4*</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	

स्रोत-ई०एम०आई०एस० 2001-02 एवं जिला बेसिक शिक्षाधिकारी टि०ग० (सूची-संलग्नक-छ)

\*दो विद्यालय टिहरी बांध डूब क्षेत्र में हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 02 भवनहीन प्राथमिक विद्यालय एवं 98 जीर्ण-शीर्ण प्राथमिक विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

### वर्षवार भवनहीन जीर्ण-शीर्ण एवं ध्वस्त प्राथमिक विद्यालय निर्माण

क्र०	वर्षवार लक्ष्य	2002	2003	2004	2005	2006	योग
		-03	-04	-05	-06	-07	
1	भवनहीन	-	-	-	2	-	02
2	जीर्ण-शीर्ण/ध्वस्त	-	-	-	58	40	98

सूची-संलग्नक-छ:

### ड.- मरम्मत / अनुरक्षण (Maintenance)

#### १- उच्च प्राथमिक विद्यालय

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्रा० विद्यालयों की मरम्मत हेतु भी बजट की व्यवस्था की गई है। यह मरम्मत 150 परिषदीय जूनियर हाई स्कूल 12 वित्त सहित मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, 8 राजकीय आदर्श विद्यालय, 42 राजकीय हाई स्कूलों, 5 वित्त सहित मान्यता प्राप्त हाईस्कूलों, 97 राजकीय इण्टर कालेजों एवं 12 वित्त सहित मान्यता प्राप्त इण्टर कालेजों इस प्रकार कुल 326 विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय को 5 हजार की धनराशि दी जायगी।

#### मरम्मत हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र०स०	विद्यालय का प्रकार	संख्या	विवरण
1	परिषदीय जूनियर हाई स्कूल	150	153 भवनहीन एवं जीर्ण-शीर्ण जूनियर
2	वित्त सहित मा०प्रा० जू०हा० स्कूल	12	
3	राजकीय आदर्श विद्यालय	08	
4	राजकीय हाई स्कूल	42	
5	वित्तसहित मा०प्रा० हाईस्कूल	05	
6	राजकीय इण्टर कालेज	97	
7	वित्त सहित मा०प्रा० इण्टर कालेज	12	
	<b>योग</b>	<b>326</b>	153 भवनहीन एवं जीर्ण-शीर्ण जूनियर

#### २- प्राथमिक विद्यालय

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रा० विद्यालयों की मरम्मत हेतु भी बजट की व्यवस्था की गई है। यह मरम्मत वर्ष 2000 से पूर्व निर्मित कुल 625 प्रा० विद्यालयों (10 रा०आ०वि० सहित) को वर्ष 2005-06 एवं को 460 प्रा०वि० को वर्ष 2006-07 में उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय को 5 हजार की धनराशि दी जायगी।

क्र०स०	विवरण	संख्या
1	2000 से पूर्व निर्मित प्रा०वि०	715
2	डी०पी०ई०पी० के अंतर्गत निर्मित प्रा०वि०	180
3	डी०पी०ई०पी० के अंतर्गत मरम्मत प्रा०वि०	390
	बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन प्रा०वि०	80
	<b>योग</b>	<b>1265</b>
	एस०एस०ए० के अंतर्गत पुर्ननिर्माण हेतु प्रस्तावित प्रा०वि०	100

**वर्षवार अनुरक्षण/मरम्मत लक्ष्य उच्च प्राथमिक विद्यालय**

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	योग
लक्ष्य	143	100	83	—	326

**वर्षवार अनुरक्षण/मरम्मत लक्ष्य प्राथमिक विद्यालय**

वर्ष	2005-06	2006-07	योग
लक्ष्य	425	200	625

**च-विद्यालय विकास अनुदान  
(School Improvement Grant)**

**१- उच्च प्राथमिक विद्यालय**

विद्यालयों की स्वच्छता एवं साज-सज्जा हेतु परियोजना के अन्तर्गत सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रत्येक वर्ष दो हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस धनराशि से विद्यालय का सौन्दर्यीकरण एवं शैक्षणिक सामग्री की व्यवस्था/मरम्मत एवं बच्चों के बैठने हेतु टाट पट्टियों की व्यवस्था की जाएगी। यह अनुदान निम्नानुसार 516 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराया जायगा।

क्र०स०	विद्यालय का प्रकार	संख्या	विवरण
1	परिषदीय जूनियर हाई स्कूल	303+28	28 प्रस्तावित नए जूनियर
2	वित्त सहित मा०प्रा० जू०हा० स्कूल	12	
3	राजकीय आदर्श विद्यालय	17	9 प्रस्तावित नए जूनियर में
4	राजकीय हाई स्कूल	42	
5	वित्तसहित मा०प्रा० हाईस्कूल	05	
6	राजकीय इण्टर कालेज	97	
7	वित्त सहित मा०प्रा० इण्टर कालेज	12	
	<b>योग</b>	<b>516</b>	<b>28 प्रस्तावित जूनियर</b>

**२- प्राथमिक विद्यालय**

डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत 1265 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, 32 प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय, 30 ई०जी०एस० अपग्रेडेशन एवं 10 राजकीय आदर्श विद्यालय (प्राथमिक स्तर) कुल 1337 प्राथमिक विद्यालयों को यह अनुदान उपलब्ध कराया जाता है वर्ष 2005 के बाद इन विद्यालयों को भी यह अनुदान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

क्र०स०	विद्यालय का प्रकार	संख्या	विवरण
1	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1265+32+30	32 प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय व 30 ई०जी०एस० अपग्रेडेशन
2	राजकीय आदर्श विद्यालय	10	
	<b>योग</b>	<b>1337</b>	<b>62 प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय</b>

### ३- गुणवत्ता संवर्धन की रणनीति (Quality Improvement)

सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति में गुणात्मक सुधार लाना है। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा से सम्बन्धित समुदाय शिक्षक पर्यवेक्षक तकनीशियन एवं गैर सरकारी संस्थाओं को बहुआयामी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

जनपद में प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु 1 अप्रैल 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मार्च 2005 तक चलेगा। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के अकादमिक नेतृत्व में प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों के विभिन्न प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग एवं पश्चपोषण हेतु योजनाबद्ध कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता संवर्धन रहा है। इस हेतु जनपद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में विकास करने के लिए डायट, ब्लॉक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जिसका लक्ष्य विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करना है। जिससे विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर में सुधार लाया जा सके। वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता संवर्धन हेतु निम्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं—

- एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 तथा डायट स्तर पर प्रतिमाह बच्चों के पाठ्यक्रम पर आधारित समस्याओं तथा पैडागोजी पर चर्चा एवं निदान।
- पाठ्यक्रम, बालिका शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण माड्यूल का विकास।
- अध्यापकों का बहुउद्देशीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण।
- जिला संदर्भ समूह एवं विकासखण्ड संदर्भ समूहों का गठन, उनका प्रशिक्षण एवं बैठकों में विभिन्न विषयों पर चर्चा।
- ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण एवं नियमित मासिक बैठकें।
- बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण, विजनिंग एवं पुनर्बोधात्मक कार्यशालाएं।
- डी0पी0ओ0 अभिकर्मियों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण, विजनिंग एवं पुनर्बोधात्मक कार्यशालाएं।
- विभिन्न कार्यशालायें/ सेमिनारों का आयोजन।
- महिला प्रेरक समूह का गठन ओर प्रशिक्षण एवं नियमित बैठकें।



- माता शिक्षक संघ का गठन, प्रशिक्षण एवं नियमित मासिक बैठकें।
- आचार्यों/अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों का अभिनवीकरण एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।
- शोध एवं क्रियात्मक शोध।
- विद्यालय कोटि-करण।
- वर्ष भर अच्छा कार्य करने वाले अध्यापक/अध्यापिका को दक्षता सम्मान।
- एक्सपोजर विजिट।
- टी०एल०एम० विकास हेतु कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण।
- टी०एल०एम० प्रदर्शनी मेला एवं प्रतियोगिताएं।
- बाल मेला एवं प्रतियोगिताएं।
- ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण।
- ग्राम शिक्षा समितियों को निर्माण कार्य का प्रशिक्षण।
- विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान।
- प्राथमिक विद्यालयों में बुक-बैंकों की स्थापना।
- शिक्षकों को टी०एल०एम० अनुदान।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में उक्त समस्त कार्यक्रम 2007 तक कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों एवं इन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने वाले विद्यालयों के लिए भी क्रियान्वित किए जायेंगे। 2005 के बाद उक्त कार्यक्रमों को प्राथमिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा।

## क- प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programmes)

### १ - शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खुलने वाले 122 प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 244 शिक्षा मित्रों, 30 शिक्षा मित्रों नए विद्यालय (अपग्रेडेशन) एवं एकल अध्यापकीय विद्यालयों हेतु स्वीकृत 182 (115+67) शिक्षा-मित्र इस प्रकार कुल 456 शिक्षा मित्रों का 15 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण डायट में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जायेगा। 2005 के बाद यह कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा। अपग्रेड होने वाले 30 ई०जी०एस० में कार्य करने वाले 30 शिक्षा-मित्रों को यह सेवापूर्व 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

## २ - आचार्यजी एवं अनुदेशक प्रशिक्षण

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खुलने वाले 221 विद्या केन्द्रों, 14 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों एवं 5 ऋषि-वेली केन्द्रों में कार्यरत 240 आचार्यजी/अनुदेशकों का 15 दिवसीय पुरबोध्मात्मक प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। 2005 के बाद यह कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा।

## ३ - सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है, गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराना। इस हेतु यह आवश्यक है कि अध्यापकों को नवीनतम शैक्षणिक तकनीकों, विधियों की जानकारी हो ताकि वे उसका उपयोग अपने कक्ष-शिक्षण में कर सकें। जिससे बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए समय-समय पर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की जानकारी उनको प्रशिक्षणों के माध्यम से दी जाय।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापकों एवं वित्त सहित मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल एवं राजकीय तथा वित्त सहित मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में प्रतिविद्यालय 3 अध्यापक इस प्रकार कुल 1845 अध्यापकों का डायट/बी0आर0सी0स्तर पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जायेगा। इस हेतु बजट का प्राविधान प्रति अध्यापक रुपये 70.00 प्रतिदिन की दर से किया गया है। बजट में यह ध्यान रखा जाएगा कि एक प्रशिक्षण शिविर में अधिकतम 32 प्रतिभागी ही प्रतिभाग कर सकें। इस प्रशिक्षण में अध्यापकों को नवीनतम शिक्षण तकनीकी, शिक्षण की नवीन विधाओं, बहुकक्षीय शिक्षण एवं पाठ्यक्रम के कठिन स्थलों पर जानकारियां दी जाएंगी।

### उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण हेतु अध्यापकों की संख्या

क्र०	विद्यालय	प्रशिक्षण हेतु अध्यापकों की संख्या	विवरण
1	परिषदीय उ०प्रा० विद्यालय	1290	159 पद नए प्रस्तावित सहित *
2	वित्त सहित मान्यता प्राप्त जू०हा०	36	प्रत्येक विद्यालय से 3 अध्यापक
3	राजकीय आदर्श विद्यालय	51	प्रत्येक विद्यालय से 3 अध्यापक
4	राजकीय हाईस्कूल	126	प्रत्येक विद्यालय से 3 अध्यापक
5	वित्त सहित मान्यता प्राप्त हाईस्कूल	15	प्रत्येक विद्यालय से 3 अध्यापक
6	राजकीय इण्टर कालेज	291	प्रत्येक विद्यालय से 3 अध्यापक
7	वित्त सहित मान्यता प्राप्त इ०का०	36	प्रत्येक विद्यालय से 3 अध्यापक
	<b>योग</b>	<b>1845</b>	<b>#</b>

\*48 पद नवम् व दशम् वित्त अयोग के विद्यालयों के लिए एवं 111 पद प्रस्तावित नये जू०हा० के लिए।

2005 के बाद यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी 2833 +30-2863 शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष दिया जायेगा। 2005 तक यह प्रशिक्षण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षण हेतु कुल अध्यापकों की संख्या अग्रांकित है-

### प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण हेतु अध्यापकों की संख्या

क्रमांक	विद्यालय	स्वीकृत पद		प्रशिक्षण हेतु कुल अध्यापकों की संख्या
		प्र0अ0	स0अ0	
1	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	976	1827*	2803+30**

\* 30+60=90 पद स0अ0 के रिक्त रखने के निर्देश हैं।

\*\* 30 पद नए प्रस्तावित प्रा0वि0 (ई0जी0एस0 अपग्रेडेशन)

वर्ष	प्रशिक्षण हेतु कुल अध्यापकों की संख्या		
	प्र0अ0	स0अ0	योग
2005-06	976	1827	2803
2006-07	976	1857	2833

### 8-बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षण

बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० की स्थापना का मुख्य उद्देश्य-अध्यापकों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना, अध्यापकों के साथ बैठकें, शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा एवं अध्यापक को अकादमिक सहयोग प्रदान करना, विद्यालयों का भ्रमण उन्हें अकादमिक सहयोग देना, विद्यालयों से संबंधित विविध सूचनाओं का संकलन करना, समय-समय पर डायट के निर्देशन में विविध कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों का आयोजन करना, टी०एल०एम० निर्माण एवं टी०एल०एम० मंले का आयोजन, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों का आयोजन तथा बाल मंलों एवं मॉ-बेटी मंलों का आयोजन करना। परंतु यह देखा गया है कि यदि समय-समय पर उन्हें उचित प्रशिक्षण एवं निर्देशन न मिले तो उनके द्वारा सम्यक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं होता है। अतः समय-समय पर उनके लिए विविध प्रशिक्षणों को आयोजन सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के 9 विकासखण्डों में तैनात 09 बी०आर०सी० समन्वयकों व 18 सहसमन्वयकों एवं 76 एन०पी०आर०सी० स्तर पर कार्यरत 98 न्याय पंचायत/सी०आर०सी० समन्वयकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण समन्वयकों के कार्य एवं दायित्वों की जानकारी के साथ-साथ पाठ्यक्रम एवं नवीन शैक्षणिक तकनीकों पर आधारित होगा।

बी०आर०सी०			एन०पी०आर०सी०		नई प्रस्तावित सी०आर०सी०	
कुल	कार्यरत		कुल	कार्यरत	कुल	समन्वयक
	समन्वयक	सहसमन्वयक				
9	9	18	76	76	22	22

## ५ - सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / एस०डी०आई० का प्रशिक्षण

विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / एस०डी०आई० को समय-समय पर शैक्षणिक/अकादमिक प्रशिक्षण न दिये जाने से विद्यालयों का सही पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है। जिससे ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० द्वारा अकादमिक क्षेत्र में अध्यापकों को भरपूर शैक्षणिक सहायता नहीं दी जाती है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के 9 विकासखण्डों में तैनात सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं एस०डी०आई० को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण उनके कार्य एवं दायित्वों की जानकारी के साथ-साथ पाठ्यक्रम एवं नवीन शैक्षणिक तकनीकों पर आधारित होगा।

## ६- निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण

विद्यालयों में होने वाले विविध निर्माण कार्यों के उचित सम्पादन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अभियंताओं द्वारा विकास खंड स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को निर्माण कार्य सम्बन्धी तकनीकी जानकारी कार्यक्रम में दी जाएगी। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को निर्माण कार्य का प्रशिक्षण देने का उद्देश्य उन्हें

- सिविल कार्य/निर्माण कार्य सम्बन्धी गहन एवं तकनीकी जानकारी से अवगत कराना,
- तकनीकी शब्दावलियों की जानकारी देना,
- विद्यालय भवन निर्माण (नवीन एवं पुर्ननिर्माण) के लिए स्थान का चयन,
- विवादास्पद स्थानों के निराकरण करना एवं
- निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना।

अतः सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्यों के लिए प्रत्येक विकास खंड एवं जिला स्तर पर इस प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। इस हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के लिए प्रत्येक विकास खंड स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

## ७ - ब्या०शि०स० / विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण

जनपद में समुदायों को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने एवं ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण का प्रविधान भी रखा गया है। ग्राम शिक्षा समितियों/स्कूल प्रबंध समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने का मुख्य उद्देश्य—

- बी.आर.सी./विद्यालय एवं ग्राम शिक्षा समिति/स्कूल प्रबंध समितियों के सदस्यों के मध्य धनात्मक समन्वयन स्थापित करना ताकि विद्यालय में संसाधनों का विकास हो, शैक्षणिक गुणवत्ता का संवर्धन हो

- ग्राम शिक्षा समिति/स्कूल प्रबंध समितियों के सदस्यों को प्राथमिक शिक्षा, उसके सार्वजनिकरण विशेष रूप से बालिका शिक्षा एवं वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए वातावरण निर्माण में सक्रिय योगदान करने के संदर्भ में सुग्राहित/आगेप्रेरित करना।
- विकेन्द्रीकृत नियोजन के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालय मानचित्रण के अभ्यास के द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षता विकसित करना।
- आकर्षक विद्यालय परिवेश/वक्षा निर्माण, रुचिपूर्ण माहौल, विद्यालय संचालन में ग्राम शिक्षा समिति/स्कूल प्रबंध समिति के योगदान के लिए सुग्राहित/जागरूक करना।
- अन्तर्क्षेत्रीय समन्वयन, सहयोग तथा शिक्षा के लिए वित्तीय तथा अन्य संसाधन जुटाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना।

जनपद में सभी ग्राम शिक्षा समितियों/स्कूल प्रबंध समितियों के सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार की जाएगी। जनपद की 762 ग्राम पंचायतों में स्थित 1327 प्रा0वि0 (62 (32+30) प्रस्तावित नए प्रा0वि0 सहित) एवं 340 उ0प्रा0वि0 (37 प्रस्तावित नए उ0प्रा0वि0 सहित) में गठित 1667 स्कूल प्रबंधन समितियों के प्रति समिति 8 सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रत्येक दूसरे वर्ष में आयोजित किया जायेगा। इनके प्रशिक्षण हेतु सर्वप्रथम ब्लाक संदर्भ समूहों का गठन कर इसके सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ग्राम शिक्षा समितियों /विद्यालय प्रबन्धन समिति के इस दो दिवसीय प्रशिक्षण में उनके कार्यो उत्तरदायित्वों, विद्यालय प्रबन्धन, सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रिकरण एवं ग्राम शिक्षा योजना निर्माण का प्रशिक्षण दिया जायेगा। ब्लाक संदर्भ समूहों के सदस्यों का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जायेगा।

### ८ -बी०आर०जी एवं डी०आर०जी० की बैठकें

जनपद एवं विकास खंड में विभिन्न हरतक्षेपों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में जिला एवं विकासखंड स्तर पर गठित संदर्भ समूहों की त्रैमासिक बैठकें आयोजित कराने की कार्य-योजना है, इन बैठकों में समुदाय के शिक्षा प्रेमी लोग, स्वयं सेवी संस्थाओं के सक्रिय कार्यकर्त्ता, सक्रिय बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० के समन्वयक एवं अध्यापक प्रतिभाग करेंगे। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य-समुदाय एवं विभाग के मध्य धनात्मक समन्वयन स्थापित करना ताकि विद्यालय में संसाधनों का विकास हो, शैक्षणिक गुणवत्ता का संवर्धन हो एवं इस हेतु इनके सुझाव प्राप्त हो सकें।

## ६- स्कूल श्रेणीकरण (School Grading)

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के मापन हेतु २०१०-११ के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों एवं विद्याकेंद्रों का कोटीकरण का कार्य संपादित किया जा रहा है। विद्यालय मूल्यांकन व कोटीकरण प्रपत्र का उद्देश्य बहुआयामी है। विद्यालय के मूल्यांकन तथा कोटीकरण का लक्ष्य विद्यालय की स्थिति तथा छात्र सम्प्राप्ति की स्थिति में निरन्तर सुधार लाना है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ३० प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी मूल्यांकन व कोटीकरण प्रपत्र विकसित किया जाएगा। इसका भाग 'अ' विद्यालय की स्थिति से संबंधित एवं भाग 'ब' विद्यालय के साध्य, छात्र सम्प्राप्ति से सम्बंधित होगा। विद्यालय कोटीकरण का कार्य वर्ष में तीन बार किया जाएगा। प्रथम मूल्यांकन जुलाई से सितम्बर की अवधि में, द्वितीय मूल्यांकन अक्टूबर से दिसम्बर की अवधि में, तृतीय मूल्यांकन फरवरी से अप्रैल की अवधि में किया जायेगा। विद्यालय कोटीकरण प्रपत्र दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा, एक प्रति मूल्यांकनकर्ता (समन्वयक एन०पी०आर०सी०)के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। विद्यालय इस हेतु प्रयास करेगा कि अगले कोटीकरण में उसकी स्थिति में परिवर्तन (सुधार) हो। विद्यालय कोटीकरण प्रपत्र विकास हेतु दो कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी एवं कोटीकरण प्रपत्र का विकास कर मुद्रित किया जाएगा इस हेतु बजट का प्राविधान किया गया है।

## १० टी०एल०एम० कार्यशाला एवं मेला (T.L.M. Workshope & Mela)

शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रति वर्ष रू० 500.00 का अनुदान दिया जाएगा। टी०एल०एम० के विकास हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक वर्ष कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। ऐसी कार्यशालाओं में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु एवं विषय विशेष में आ रही कठिनाईयों को सरल ढंग से दूर करने हेतु, टी०एल०एम० का निर्माण करवाया जायेगा। इन कार्यशालाओं में सक्रिय अध्यापक, एन०पी०आर०सी० व बी०आर०सी० समन्वयक एवं डायट के प्रवक्ता प्रतिभाग करेंगे। कार्यशालाओं में विकसित किये गये टी०एल०एम० की जानकारी अन्य शिक्षकों को एन०पी०आर०सी० एवं बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित बैठकों एवं शिक्षक प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों को दी जायेगी।

शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए टी०एल०एम० की प्रदर्शनी न्याय पंचायत, ब्लाक एवं जिला स्तर पर टी०एल०एम० मेले का आयोजन कर किया जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए टी०एल०एम० की जानकारी एवं उसे बनाने की विधि दूसरे शिक्षकों को देना है। इस हेतु बजट का प्राविधान किया गया है।

## ११-टी०एल०ई० अनुदान

गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शैक्षणिक सहायक सामग्री यथा- पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य क्रम, शिक्षक संदर्शिकाएं, शब्दकोष, ज्ञानकोष, सहायक पाठ्य पुस्तकें, एटलस, शैक्षणिक चार्ट, मानचित्र, क्रीडा-सामग्री, वाद्य-यंत्र, कुर्सी मेज, टाट-पट्टी, ट्रंक, अलमारी, लोटा, बाल्टी, पत्र-पत्रिकाएं आदि उपलब्ध हों। जनपद में संचालित 303 जू०हा० में से मात्र 90 विद्यालय आप्रेशन ब्लैक बोर्ड से आच्छादित हैं, शेष 213 परिषदीय जू०हा०, 8 राजकीय आदर्श विद्यालय, 42 राजकीय हाईस्कूल एवं 97 राजकीय इण्टर कालेज सहित कुल 360 विद्यालयों को इस प्रकार के अनुदान की आवश्यकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन 360 विद्यालयों में शैक्षणिक सहायक सामग्री के लिए प्रति विद्यालय रु० 50 हजार की दर से बजट का प्राविधान किया गया है। सामग्री का क्रय ग्राम शिक्षा समिति/ विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा।

### टी०एल०ई० अनुदान हेतु विकासखंडवार विद्यालयों की संख्या

क्र० स०	वि०क्षेत्र	विद्यालय			
		परि०जू०हाईस्कूल	रा०आ०विद्यालय	राज०हा०स्कूल	रा०इ०कालेज
1	भिलगना	35	02	05	15
2	चम्बा	20	03	04	16
3	देवप्रयाग	21		04	10
4	जाखणीघार	23		03	09
5	जौनपुर	32		03	08
6	कीर्तिनगर	19		06	13
7	नरेन्द्रनगर	27	02	03	13
8	प्रतापनगर	18	01	08	05
9	थौलधार	18		06	08
<b>योग</b>		<b>213</b>	<b>08</b>	<b>42</b>	<b>97</b>

स्रोत-बेसिक शिक्षाधिकारी, टि०ग० 2001-2002।

क्र०स०	विद्यालय	संख्या
1	परिषदीय जू०हाईस्कूल	213
2	राजकीय आदर्श विद्यालय	08
3	राजकीय हाईस्कूल	42
4	राजकीय इण्टर कालेज	97
	<b>योग</b>	<b>360</b>

सलग्नक-9 पर ओ०बी०बी० वाले स्कूल।

### वर्षवार टी०एल०ई० उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	योग
लक्ष्य	<b>20</b>	<b>85</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>360</b>

## १२- शिक्षक अनुदान

जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रत्येक अध्यापक को अध्यापक अनुदान दिया जायेगा। इस अनुदान के द्वारा शैक्षणिक सहायक सामग्री (टी०एल०एम०) का निर्माण किया जायेगा। इसके प्रयोग से कक्षा शिक्षण सरल, सहज एवं प्रभावी होगा। जनपद के परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत सभी अध्यापकों एवं वित्त सहित मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, राजकीय आदर्श विद्यालय एवं राजकीय एवं वित्त सहित मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं राजकीय तथा वित्त सहित मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज में प्रतिविद्यालय 3 अध्यापकों को यह अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल 1863 अध्यापकों को प्रति अध्यापक रु० 500.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।

### उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक अनुदान हेतु अध्यापकों की संख्या

क्र०	विद्यालय	प्रशिक्षण हेतु अध्यापकों की संख्या	विवरण
1	परिषदीय उ०प्रा० विद्यालय	1290	159 पद नए प्रस्तावित सहित *
2	वित्त सहित मान्यता प्राप्त जू०हा०	36	प्रत्येक विद्यालय से 3 अध्यापक
3	राजकीय आदर्श विद्यालय	51	प्रत्येक विद्यालय से 3 अध्यापक
4	राजकीय हाईस्कूल	126	प्रत्येक विद्यालय से 3 अध्यापक
5	वित्त सहित मान्यता प्राप्त हाईस्कूल	15	प्रत्येक विद्यालय से 3 अध्यापक
6	राजकीय इण्टर कालेज	291	प्रत्येक विद्यालय से 3 अध्यापक
7	वित्त सहित मान्यता प्राप्त इ०का०	36	प्रत्येक विद्यालय से 3 अध्यापक
	<b>योग</b>	<b>1845</b>	

\*48 पद नवम् व दशम् वित्त अयोग के विद्यालयों के लिए एवं 111 पद प्रस्तावित नये जू०हा० के लिए।

2005 के बाद सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 2803 + 30 अध्यापकों एवं 426+30 शिक्षा मित्रों कुल 3289 अध्यापकों को भी यह अनुदान दिया जायेगा।

### प्राथमिक स्तर पर अध्यापक अनुदान हेतु अध्यापकों की संख्या

क्र०स०	विद्यालय	स्वीकृत पद			कुल अध्यापक
		प०अ०	स०अ०	शिक्षा मित्र	
1	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	976	1827*	426	3229+60**

\* 30+60=90 पद स०अ० के रिक्त रखने के निर्देश हैं।

\*\*60 पद(30 स०अ० एवं 30 शि०मित्र) नए प्रस्तावित प्रा०वि० (ई०जी०एस० अपग्रेडेशन)



### १३- निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

जनपद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों तथा बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दी जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं एवं वंचित वर्ग के बच्चों का स्कूलों में नामांकन एवं उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी बच्चों एवं अन्य वर्ग की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सर्व शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित की जाएगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण हेतु छात्र संख्या 10 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर आगणित की गई है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु छात्र संख्या उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)

वर्ष	बालिकाएं(अ0जा0 व अ0ज0जा0 सहित)	बालक		योग
		अनु0जाति	अ0ज0जाति	
2002 - 03	19395	3231	19	22699
2003 - 04	21335	3554	21	24910
2004 - 05	23463	3910	23	27400
2005 - 06	25315	4300	25	30140
2006 - 07	28396	4731	28	33155

प्राथमिक स्तर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों तथा बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें छात्रों को 2005 तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा एवं 2005 के बाद सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत उक्त वर्ग के बच्चों एवं बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण हेतु छात्र संख्या 10 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर आगणित की गई है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु छात्र संख्या प्राथमिक स्तर(कक्षा 1 से 5)

वर्ष	बालिकाएं(अ0जा0 व अ0ज0जा0 सहित)	बालक		योग
		अनु0जाति	अ0ज0जाति	
2005 - 06	58891	12219	21	71131
2006 - 07	64780	13441	23	78244

## ४- क्षमता-विकास (Capacity Building)

### क-डायट (D.I.E.T.)

डायट जनपद में स्थित शिक्षण संस्थाओं को अकादमिक सहयोग प्रदान करता है। डायट द्वारा निम्नांकित कार्यों का संपादन किया जायेगा-

- संदर्भ व्यक्तियों का चयन एवं प्रशिक्षण।
- सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण।
- शिक्षा मित्र प्रशिक्षण।
- आचार्यजी/अनुदेशक प्रशिक्षण।
- आगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण।
- बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षण।
- बी०आर०सी० समन्वयकों की मासिक बैठकें।
- शोध कार्य।
- मैगजीन एवं न्यूज़ लेटर का प्रकाशन।
- सेमिनार एवं कार्यशालाएं।
- बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० की गतिविधियों का अनुश्रवण।
- अध्यापकों को अकादमिक सहयोग एवं उनकी शैक्षिक समस्याओं का निराकरण।
- न्यूनतम अधिगम स्तर का मापन आदि।

### खा-बी०आर०सी० (B.R.C.)

जनपद में कुल 9 विकास खण्ड हैं जो अध्यापकों को अकादमिक सहयोग एवं विद्यालयों के प्रयवेक्षण का कार्य करते हैं। बी०आर०सी० पर नियमित रूप से

- एन०पी०आर०सी० समन्वयकों की बैठकें।
- शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा।
- एन०पी०आर०सी० को तकनीकी सहयोग प्रदान।
- बी०आर०सी० विद्यालयों का भ्रमण उन्हें अकादमिक सहयोग।
- विविध सूचनाओं का संकलन।
- समय-समय पर कार्यशालाएं।

- प्रशिक्षण (डाइट के निर्देशन में)
- अध्यापकों को अकादमिक सहायता।
- विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- बाल मेलों एवं मॉ-बेटी मेलों का आयोजन।
- टी0एल0एम0 निर्माण एवं टी0एल0एम0 मेलों का आयोजन।
- सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों का आयोजन।
- स्कूल चलो अभियान का आयोजन।

बी0आर0सी0 के लिए वेतन, यात्रा भत्ता, भवन रख-रखाव कन्टेनजेन्सी, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एवं टी0एल0एम0 मदों में धनराशि प्राविधानित की गई। बी0आर0सी0 समन्वयकों का वेतन 2005 तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं उसके बाद सर्व शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा वहन किया जायेगा।

कुल बी0आर0सी0	कार्यरत		
	समन्वयक	सहसमन्वयक	योग
9	9	18	27

### अ-एन०पी०आर०सी० (N.P.R.C.)

जनपद में कुल 76 न्याय पंचायत सांसाधन केन्द्र हैं। जिनमें 76 एन०पी०आर०सी० समन्वयक कार्यरत हैं। एन०पी०आर०सी० समन्वयकों द्वारा निम्नांकित कार्य किये जाते हैं—

- अध्यापकों को अकादमिक सहायता।
- विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य।
- ग्राम शिक्षा समितियों/स्कूल प्रबन्धन समिति का प्रशिक्षण।
- बाल मेलों एवं मॉ-बेटी मेलों का आयोजन।
- टी0एल0एम0 निर्माण एवं टी0एल0एम0 मेलों का आयोजन।
- सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों का आयोजन।
- विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- स्कूल चलो अभियान का आयोजन।
- विविध शैक्षणिक सूचनाओं के संकलन का कार्य।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एन०पी०आर०सी० समन्वयकों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित कार्यों का संपादन किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उक्त सभी कार्य एन०पी०आर०सी० द्वारा संपादित कराए जाएंगे। विद्यालयों की अधिकता एवं विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल को

दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार एन०पी०आर०सी० को तोड़कर 22 अतिरिक्त सी०आर०सी० की स्थापना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जाएगी। ये प्रस्तावित सी०आर०सी० निम्नानुसार हैं-

क्र.	बी.आर.सी.	कुल एन.पी. आर.सी.	प्रस्तावित अतिरिक्त सी०आर०सी०	विवरण
1	भिलगना	11	बड़डा	एन०पी०आर०सी० जाख के 2 भाग करके
2			अखोड़ी	एन०पी०आर०सी० खसेती व कटूड़ के कुछ विद्यालय मिलाकर।
3			पिलखी	एन०पी०आर०सी० पडागली के 2 भाग करके
4			विनयखाल	एन०पी०आर०सी० खिरबेल व थाती के कुछ विद्यालय मिलाकर।
5	चम्बा	8	सत्यदेवीरौड़	एन०पी०आर०सी० देवरी व दिखालगांव के कुछ विद्यालय मिलाकर।
6			बागी	एन०पी०आर०सी० पलास के 2 भाग करके
7	देवप्रयाग	10	पलेटी	एन०पी०आर०सी० आमणी के 2 भाग करके
8			लक्षगोली	एन०पी०आर०सी० जखेड़ के 2 भाग करके
9	जाखणीधार	7	रौण	एन०पी०आर०सी० दुगंबड़वाली के 2 भाग करके
10			बड़कोट	एन०पी०आर०सी० नन्दगांव के 2 भाग करके
11	जौनपुर	10	थापला	एन०पी०आर०सी० केम्पटी के 2 भाग करके
12			क्यारी	एन०पी०आर०सी० खेडा के 2 भाग करके
13	कीर्तिनगर	8	सिरवाड़ी	एन०पी०आर०सी० बडियार के 2 भाग करके
14			थाती डागर	एन०पी०आर०सी० बैजवाड़ी के 2 भाग करके
15			डांगचौरा	एन०पी०आर०सी० खोला के 2 भाग करके
16	नरेन्द्रनगर	8	अदवाणी	एन०पी०आर०सी० आमपाटा व भैतण के कुछ विद्यालय मिलाकर।
17			हिंडोलाखाल	एन०पी०आर०सी० बनाली के 2 भाग करके
18			मटियाली	एन०पी०आर०सी० तिमली के 2 भाग करके
19			चाक्रा	एन०पी०आर०सी० मणगांव व रणाकोट के कुछ विद्यालय मिलाकर।
20	प्रतापनगर	8	गैरी	एन०पी०आर०सी० पनियाला व मोटणा के कुछ विद्यालय मिलाकर।
21	थौलधार	6	झकोगी	एन०पी०आर०सी० बरवालगांव के 2 भाग करके
22			नागराजाधार	एन०पी०आर०सी० क्यारी के 2 भाग करके

सलग्नक - 7

जनपद में कुल 76 एन०पी०आर०सी० व नई प्रस्तावित 22 सी०आर०सी० इस प्रकार कुल 98 समन्वयकों के लिए वेतन, यात्रा भत्ता, कन्टेनजेंसी, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, भवन रख-रखाव एवं टी०एल०एम० मद में धनराशि का प्राविधान किया गया है। 76 एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का वेतन 2005 तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं उसके बाद सर्व शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा वहन किया जायेगा।

## DPEP-III Tehri Garhwal

NO. of Gram-Panchayats, Revenue villeges &amp; Bastis &amp; P./JH School NPRC Wise

S.N.	Name of BRC	Name of NPRC	No. of G.Pan	No. of R.Vill	NO.of Basti	NO.of Pareeshadeey	
						P.School	J.H.School
1	Bhilangna	Bhatgaun	6	11	21	11	3
2	Bhilangna	Dalla	9	15	23	13	4
3	Bhilangna	Devanj	10	34	44	9	6
4	Bhilangna	Dewat	11	21	21	23	2
5	Bhilangna	Jakh	17	31	74	32	10
6	Bhilangna	Kathur	9	19	31	17	3
7	Bhilangna	Khaseti	11	25	40	20	3
8	Bhilangna	Khirbel	15	31	34	24	6
9	Bhilangna	Kothiyada	12	27	48	21	7
10	Bhilangna	Padagali	11	22	38	18	4
11	Bhilangna	Thati Kathur	16	26	35	22	4
12	Chamba	Birogi	8	44	42	22	6
13	Chamba	Dadur	10	23	23	13	3
14	Chamba	Dewri	12	29	37	15	3
15	Chamba	Dikholgaun	8	22	22	10	2
16	Chamba	Jagdhur	7	14	16	12	3
17	Chamba	Nakot	9	20	23	11	2
18	Chamba	Palas	10	30	55	17	5
19	Chamba	Pangar	10	32	32	20	3
	Chamba	T.Aria (Chamba)			1		
	Chamba	T.Aria ( N.Tehri)			1		
20	Deoprayag	Aamdi	11	39	41	17	5
21	Deoprayag	Bhatkot	10	34	38	13	9
22	Deoprayag	Dobh Roomdhar	7	26	37	13	2
23	Deoprayag	Dobri	7	23	21	11	1
24	Deoprayag	Gharud	8	21	21	11	3
25	Deoprayag	Jagdhur	8	25	27	12	2
26	Deoprayag	Jakhed	12	29	44	16	3
27	Deoprayag	Palethi	9	21	27	13	2
28	Deoprayag	Pujargaon	8	22	34	10	1
29	Deoprayag	Tyuna	9	18	31	13	1
	Deoprayag	T.Aria (Deoprayag)			1		
30	Jakhnidhar	Dapoli	8	26	25	11	2
31	Jakhnidhar	Dhung Badwali	16	27	35	24	7
32	Jakhnidhar	Garakot	7	18	21	12	3
33	Jakhnidhar	Jalwalgaun	9	12	22	15	3
34	Jakhnidhar	Kumardhar	12	21	45	17	3
35	Jakhnidhar	Nandgaun	15	30	27	27	8
36	Jakhnidhar	Siloli	9	15	24	15	6
37	Jounpur	Bharnwakatal	6	33	62	20	7
38	Jounpur	Dwargarh	10	24	24	16	4
39	Jounpur	Kempti	11	41	46	23	3
40	Jounpur	Kheda Malla	18	38	41	24	5
41	Jounpur	Majhgaon	7	14	31	8	4
42	Jounpur	Makhdet	11	19	31	18	5
43	Jounpur	Mogi	8	26	28	16	3
44	Jounpur	Myani	8	19	21	14	4
45	Jounpur	Srikot	5	14	14	8	2
46	Jounpur	Syalsi	11	25	28	18	5

47	Keertinagar	Badiyar	13	14	42	18	5
48	Keertinagar	Bainjwadi	8	22	31	19	3
49	Keertinagar	Chachkanda	9	14	26	11	0
50	Keertinagar	Khola	10	30	43	20	3
51	Keertinagar	Maletha	5	15	21	7	2
52	Keertinagar	Nour	8	22	46	16	3
53	Keertinagar	Qweeli	6	16	30	13	4
54	Keertinagar	Semla	8	22	30	15	4
	Keertinagar	T.Aria (K.Nagar)			1		
55	Narendaranagar	Aampata	11	33	38	20	6
56	Narendaranagar	Banali	12	29	60	32	5
57	Narendaranagar	Baraigaon	7	15	43	15	6
58	Narendaranagar	Bhaintan	9	31	64	12	2
59	Narendaranagar	Bugala	7	15	32	13	4
60	Narendaranagar	Mangaon	13	30	45	18	6
61	Narendaranagar	Ranakot	14	37	40	19	4
62	Narendaranagar	Timali	8	23	54	15	5
	Narendaranagar	T.Aria (N.Nagar)			1		
	Narendaranagar	T.Aria ( M.K.Ret)			1		
63	Pratapnagar	Bhengi	11	14	24	15	6
64	Pratapnagar	Garwangaon	8	15	17	16	3
65	Pratapnagar	Motana	9	11	15	14	4
66	Pratapnagar	Onalgaon	9	12	16	13	4
67	Pratapnagar	Paniyala	13	19	21	20	4
68	Pratapnagar	Rouniya	9	10	16	13	2
69	Pratapnagar	Silwaigaon	14	20	34	22	5
70	Pratapnagar	Tinwalgaon	10	17	18	13	3
71	Thouldhar	Barwalgaon	18	39	40	26	4
72	Thouldhar	Idiyan	16	30	39	21	5
73	Thouldhar	Kyari	11	33	38	24	4
74	Thouldhar	Ramgaon	17	54	60	28	11
75	Thouldhar	Sarot	8	17	19	13	3
76	Thouldhar	Sunargaon			1	5	1

## घ-जिला परियोजना कार्यालय (D.P.O.)

परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की गयी है, जिला परियोजना कार्यालय में वेतन, यात्रा भत्ता, कंज्यूमेबल, उपकरण एवं वाहन मरम्मत एवं पी0ओ0एल0 मद आकस्मिक व्यय, वाहन किराया, एवं वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट मद में धनराशि प्राविधानित की गई है। डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत जनपद में 2 दो-पहिया वाहनों का क्रय किया गया है, परंतु जनपद में चार जिला समन्वयक कार्यरत हैं अतः 2 और दो-पहिया वाहनों का क्रय सर्वशिक्षा के अंतर्गत किया जाएगा। जनपद में निर्माण कार्यों के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु जनपद में निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत आर0ई0एस0 या एम0आई0 अथवा शासन द्वारा निर्धारित एजेंसी का सहयोग लिया जायेगा। एजेन्सी के सहायक अभियन्ता के लिये 2000 रू0 प्रतिमाह मानदेय एवं अवर अभियन्ताओं के लिये निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित धनराशि के 2 प्रतिशत की दर से बजट का प्राविधान किया गया है जिला परियोजना कार्यालय में कार्यरत समन्वयकों एवं कर्मचारीयों के वेतन, 2005 तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं उसके बाद सर्व शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा वहन किया जायेगा।

## ड.-एम०आई०एस० (M.I.S.)

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद में ई0एम0आई0एस0 सेल की स्थापना की गई है। चूंकि सेल में मात्र एक ही कम्प्यूटर है और कार्य की अधिकता है, अतः एक कम्प्यूटर की व्यवस्था एवं सेल फर्नीसिंग, उपकरण मरम्मत, सैम्पल स्टडी, एक्सपोजर विजिट एवं कम्प्यूटर कंज्यूमेबल मद में धनराशि प्राविधानित की गई है।

## अध्याय- छः

### विशिष्ट वर्ग / समूह (Special Focus Group)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े सामाजिक समूहों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विशिष्ट प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत – अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों को कक्षा –1 से 5 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, स्कूल चलो अभियान के द्वारा चिन्हित बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, विशिष्ट समूह को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु अध्यापकों का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान संवेदीकरण, कला-जत्था, नुक्कड़ नाटक, मीना-कैम्पेन द्वारा अभिप्रेरण, स्वयं सेवी एवं शिक्षा विद्दो से सहयोग प्राप्त करना।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में उक्त समस्त कार्यक्रम कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों एवं इन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने वाले विद्यालयों के लिए भी क्रियान्वित किए जायेंगे। इसके अन्तर्गत –

- अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों को कक्षा –6 से 8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण।
- स्कूल चलो अभियान के द्वारा चिन्हित बच्चों का विद्यालयों में नामांकन।
- विशिष्ट समूह को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु अध्यापकों का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान संवेदीकरण।
- कला-जत्था, नुक्कड़ नाटक, मीना-कैम्पेन द्वारा अभिप्रेरण।
- स्वयं सेवी एवं शिक्षा विद्दो से सहयोग।

### १-समेकित शिक्षा (Integrated Education)

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक की विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित बच्चों को भी विद्यालयों में नहीं लाया जाता। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत इन बच्चों को उपकरण प्रदान कर विद्यालयों में नामांकन करने तथा अध्यापकों एवं समुदाय का संवेदीकरण किया जायेगा। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।

इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जायेगा अक्षम बच्चों की विकलांगता की सीमा एवं उपकरण/उपस्कर ज्ञात करने के लिए बच्चों का शिविर आयोजित कर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। तदुपरांत आवश्यकता अनुसार चिन्हित बच्चों को आवश्यक उपकरण विभिन्न स्वयं सेवी एवं सरकारी संस्थानों के सहयोग से प्रदान किये जायेंगे।



**DPEP-III, Tehri Garhwal**

**Integrated Education**

<b>Enrolments According to Disability</b>														
<b>S.N.</b>	<b>BRC</b>	<b>Visibility</b>		<b>Hearing</b>		<b>Learning</b>		<b>Physical</b>		<b>Mental</b>		<b>Total</b>		
		<i>Boys</i>	<i>Girls</i>	<i>Boys</i>	<i>Girls</i>	<i>Boys</i>	<i>Girls</i>	<i>Boys</i>	<i>Girls</i>	<i>Boys</i>	<i>Girls</i>	<i>Boys</i>	<i>Girls</i>	<i>Total</i>
		1	Bhilangna	10	5	9	8	8	6	32	31	9	6	68
2	Chamba	11	3	5	5	6	2	14	10	14	10	50	30	80
3	Pratapnagar	4	3	2	2	5	3	17	16	7	6	35	30	65
4	Jounpur	7	5	6	6	7	7	36	21	10	2	66	41	107
5	Thouldhar	8	5	8	8	5	4	29	22	6	4	56	43	99
6	Jakhnidhar	0	2	0	1	2	0	7	6	0	2	9	11	20
7	Devprayag	2	3	13	15	8	6	11	9	9	7	43	40	83
8	Keertinagar	4	2	2	2	3	2	9	7	4	3	22	16	38
9	Narendranagar	8	10	2	2	5	3	30	16	6	5	51	36	87
	<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>185</b>	<b>138</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>400</b>	<b>303</b>	<b>703</b>

## २-बालिका शिक्षा (Girls Education)

बच्चों की कुल संख्या के सापेक्ष बालिकाओं की संख्या लगभग आधी है। फिर भी जिस अनुपात में बालिकाओं का नामांकन/ठहराव विद्यालयों में होना चाहिए उस लक्ष्य से हम अभी काफी पीछे हैं। हालांकि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के संचालित होने के पश्चात बालिकाओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फिर भी यह बालकों के अपेक्षा कम है। वर्ष 2001-02 में 11 से 14 वय वर्ग में जहाँ शुद्ध नामांकन(एन.ई.आर.) बालकों का 97.59 था वहीं बालिकाओं के मामले में यह 95.00 था। कुल नामांकित 40613 बच्चों में बालकों की संख्या 21218 थी, जबकि बालिकाओं की संख्या 19395 थी। जनपद में बालिका शिक्षा का स्तर उठाने के लिए मॉडल क्लारस्टर डेवलेपमेंट एग्रेस के तहत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं—

- सामुदायिक सहभागिता हेतु ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण।
- विद्यालयों में एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 का गठन व प्रशिक्षण।
- महिला प्रेरक समूहों का गठन व प्रशिक्षण
- ग्राम पंचायत की नियमित महिलाओं का प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ।
- अध्यापकों का लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण।
- कला—जत्था/ गीना कैम्पेन कार्यक्रम।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण।
- अभिभावक शिक्षक संघों की प्रतिमाह बैठकें।
- माँ-बेटी मेलों का आयोजन।
- ग्राम शिक्षा समितियों की कार्यशालाएँ।
- ठहराव प्रक्रिया तथा तारांकन अभियान।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण
- महिला समाख्या से कन्वर्जेन्स।
- स्वयं सेवी संगठनों, शिक्षा विदों से सहयोग।

## बालिका शिक्षा के अन्तर्गत नवाचार

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6 से 14 वय वर्ग को बालिकाओं की शिक्षा के विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु अग्रकित गतिविधियां जनपद मे संवाहित की जाएंगी।

### १-कम्प्यूटर शिक्षा (Computer Education)

सर्वशिक्षा अभियान मे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एवं उनको व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा का प्राविधान किया जायेगा। इस हेतु जिन विद्यालयों मे बालिकाओं का नामांकन अधिक होगा एवं जहाँ पर विद्युत सुविधा है वहाँ पर कम्प्यूटर शिक्षा का प्राविधान किया जायेगा। इस हेतु विद्यालय को कम्प्यूटर एवं वहाँ के एक अध्यापक को कम्प्यूटर शिक्षा में प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष पांच-पांच उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इस हेतु चयनित किया जायेगा। इसमें निम्नानुसार धनराशि व्यय की जाएगी-

- कम्प्यूटरों का क्रय - 125.00 से 200.00 हजार प्रति विद्यालय।
- सेल फर्निशिंग एवं विद्युत संयोजन - 25.00 हजार प्रति विद्यालय।
- कम्प्यूटर का रख-रखाव - 10.00 हजार प्रति विद्यालय।
- कम्प्यूटर प्रशिक्षण - प्रत्येक विद्यालय से एक अध्यापक।

### २-ई०सी०सी०ई० (E.C.C.E.)

जनपद मे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 से 6 वय वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधा आंगनबाड़ी केन्द्रों को ई०सी०सी०ई० केन्द्र के रूप में चयनित कर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अन्तर्गत 200 आंगनबाड़ी केन्द्रों को ई०सी०सी०ई० के रूप में चयनित किया गया है। यह कार्यक्रम बालिकाओं की नामांकन वृद्धि में काफी सहायक हुआ है, जो बालिकाएं अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के कारण विद्यालय में नामांकित नहीं हो पाती थी या नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ पाती थी। वे अब नामांकित एवं नियमित रूप से विद्यालय में आने लगी हैं। यह कार्यक्रम स्कूल पूर्व तैयारी के लिए है। परियोजना के द्वारा इन केन्द्रों को निम्नानुसार सहायता प्रदान की जाती है-

- केंद्र को टी०एल०एम० - 5.00 हजार. (एक बार)।
- केंद्र को आकस्मिक व्यय - 1.50 हजार (प्रत्येक वर्ष)।
- मानदेय कार्यकर्ती को - 0.25 हजार (प्रतिमाह)।
- मानदेय सहायिका को - 0.125 हजार (प्रतिमाह)।
- कार्यकर्ती का अभिनीकरण प्रशिक्षण - 1.20 हजार (एक बार)।
- कार्यकर्ती का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण - 1.00 हजार (प्रत्येक वर्ष)।

सर्वशिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 2005 के बाद उक्त केन्द्रों को वित्त पोषित किया जायेगा। इस हेतु बाल विकास विभाग (आई०सी०डी०एस०) से समन्वयन स्थापित किया जायेगा।

### ३-मॉडल क्लस्टर डेवलेपमेंट ऐप्रोच (M.C.D.A.)

बालिका एवं वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले में 15 न्याय पंचायतों का चयन मॉडल क्लस्टर डेवलेपमेंट ऐप्रोच के तहत किया जाएगा। इन मॉडल क्लस्टर चयन का आधार विद्यालय में शत-प्रतिशत नामांकन का न होना, बच्चों की अनियमित उपस्थिति, महिला साक्षरता का कम होना इत्यादि है। जिले में चयनित 15 न्याय पंचायतों में मॉडल क्लस्टर डेवलेपमेंट ऐप्रोच के तहत निम्न कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे-

- विद्यालयों में एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 का गठन व प्रशिक्षण।
- महिला प्रेरक समूहों का गठन व प्रशिक्षण
- ग्राम पंचायत की चयनित महिलाओं का प्रशिक्षण/कार्यशालाएं।
- अध्यापकों का लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण।
- कला-जत्था/ मीना कैम्पेन कार्यक्रम।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण।
- अभिभावक शिक्षक संघों की प्रतिमाह बैठकें।
- माँ-बेटी मेलों का आयोजन।
- ग्राम शिक्षा समितियों की कार्यशालाएं।
- ठहराव प्रक्रिया तथा तारांकन अभियान।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण
- स्वयं सेवी संगठनों, शिक्षा विदों से सहयोग।

### ४-सृजन (Srijan)

जनपद में बालिका शिक्षा के विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु विद्यालय न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर बालिकाओं के लिए विशेष शैक्षणिक प्रतियोगिताओं यथा सामान्य ज्ञान, अन्त्याक्षरी एवं कविता पाठ, निबंध एवं कहानी लेखन सुलेख एवं चित्रकला तथा भाषण एवं वादविवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को कार्यक्रम आयोजित कर पुरस्कृत किया जायेगा। विद्यालय स्तर पर ये कार्यक्रम संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, न्याय पंचायत स्तर पर समन्वयक एन0पी0आर0सी0, विकासखण्ड स्तर पर समन्वयक बी0आर0सी0 एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जनपद स्तर पर डायट एवं डी0पी0ओ0 द्वारा आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक विद्यालय से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका एन0पी0आर0सी0 पर एवं एन0पी0आर0सी0 में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं विकासखण्ड पर एवं विकासखण्ड में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं जिला स्तर पर प्रतिभाग करेंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि करना एवं अन्य बालिकाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं प्रेरणा की भावना का विकास करना है। न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। कार्यक्रमों का आयोजन दो वर्गों प्राथमिक व जूनियर में किया जायेगा। इस हेतु जनपद के प्लान में बजट का प्राविधान किया गया है।

## अध्याय- सात

### सामुदायिक सहभागिता (Community Mobilization)

वातावरण सृजन एवं सरकारी कार्यक्रमों में समुदाय की सहभागिता एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जनता प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता को नहीं समझती। प्रायः यह देखा जाता है कि समुदाय विद्यालय के प्रबन्धन में रुचि नहीं रखता है एवं ग्राम स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई जाती है। समुदाय इसको सरकार/शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मानकर स्वयं इससे विमुख रहता है। फलतः अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समुदाय को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे- कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं गोष्ठियों आदि के माध्यम से जनता को जागरूक बनाया जा रहा है/जाएगा। समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से यह बताया जाएगा कि प्रारंभिक शिक्षा का प्रबन्ध समुदाय स्वयं कर सकता है, जिसके आशाशील परिणाम मिल रहे हैं। ग्राम शिक्षा समितियों एवं स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें उनके कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों को बताया जाएगा। समय-समय पर कार्यशालाएं एवं बैठकें आयोजित कर उन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी जिससे समुदाय की अधिकतम सहभागिता कार्यक्रम एवं शिक्षा के साथ सुनिश्चित की जा सके। समुदाय का प्रारंभिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यकर्ताओं तथा अन्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। निरीक्षण अधिकारी विद्यालय निरीक्षण पर सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय में स्कूल प्रबन्धन समिति तथा समुदाय से भी साक्षात्कार करें इस हेतु प्रयास किए जाएंगे।

जनपद में 758 ग्राम शिक्षा समितियां एवं 1563 स्कूल प्रबन्धन समितियां गठित हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक अभिभावक संघ भी गठित है। ये सभी एक स्वयं सेवी समूह हैं। जनपद में बालिकाओं एवं वंचित वर्ग के बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन एवं नामांकित बच्चों के कक्षा में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये वातावरण सृजन एवं बालिका शिक्षा के विकास/प्रचार-प्रसार हेतु जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर गठित सन्दर्भ समूहों के विचार जानने के लिये एवं उनके अनुभवों का लाभ उठाने के लिये कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की जानकारी को जनसमुदाय तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर आडियो एवं विडियो कैसेट का निर्माण एवं न्यूज लेटर निकाले जाएंगे।

जनपद में समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जायेगी—

- सरकारी एवं स्वयं सेवी संगठनों के साथ बैठकें एवं कार्यशालाएं।
- ग्राम शिक्षा समितियों की नियमित मासिक बैठकें।
- स्कूल प्रबन्धन समितियों की नियमित मासिक बैठकें।
- डी0आर0जी0 एवं बी0आर0जी0 का गठन एवं उसकी नियमित बैठकें।
- ग्राम शिक्षा समितियों/विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।
- नुक्कड़ नाटकों एवं कला जत्थों का आयोजन।
- दीवार-लेखन।
- समाचार पत्रों के द्वारा।
- स्कूल चलो अभियान।
- अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क।
- बाल-मेलों का आयोजन।
- वी0ई0सी0 मेलों का आयोजन।
- स्थानीय पर्वों व मेलों में प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण।
- आडियो एवं विडियो कैसेट का निर्माण।
- स्वयं-सेवी संस्थाओं से सहायता।
- न्यूज लेटर का प्रकाशन।

## अध्याय- आठ

### शोध मूल्यांकन एवं अनुश्रवण (R.E.S.M.)

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में शोध, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे इसके अन्तर्गत सन्दर्भ व्यक्तियों के पूल का निर्माण उनके यात्राव्यय एवं मानदेय का भुगतान, जिला एवं ब्लाक स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन, एक्शन रिसर्च आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। साथही सूक्ष्म-नियोजन संबंधी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।

#### १-संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण

जनपद में कार्यरत अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्य को सम्पादित करने के लिए मास्टर ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। अतः जनपद में 9 विकासखण्डों में आयोजित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण हेतु टी0ओ0टी0 का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत 32 सक्रिय अध्यापकों को प्रति वर्ष यह प्रशिक्षण डायट में दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए यह व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जाएगी। प्राथमिक स्तर पर कार्यरत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2005 के बाद व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जाएगी।

#### २-संदर्भदाताओं का मानदेय

शिक्षकों समन्वयकों एवं सहायक वैसिक शिक्षाधिकारियों को बी0आर0सी0/डायट स्तर पर जो 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा उसके लिए जो संदर्भदाता आमंत्रित किये जाएंगे उनके मानदेय भोजन यात्रा-भत्ता हेतु बजट का प्राविधान कार्ययोजना में किया गया है। एक प्रशिक्षण शिविर में अधिकतम 3 संदर्भदाता होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए यह व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जाएगी। प्राथमिक स्तर पर कार्यरत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2005 के बाद व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जाएगी।

#### ३-माइक्रो प्लानिंग डाटा का उत्चीकरण

जनपद में शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकताओं के आंकलन हेतु इस वर्ष सर्वप्रथम सूक्ष्म नियोजन का कार्य किया जायेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत माइक्रोप्लानिंग का कार्य जनपद में किया गया। जिसमें मुख्य फोकस 6 से 11 वयवर्ग के बच्चों को किया गया। वर्तमान में यह योजना उच्च प्राथमिक स्तर पर चलाई जा रही है। अतः तत्कालीन सर्वेक्षण कार्य के अपडेटेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान में बजट का प्राविधान किया जाएगा। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम 'हाउस होल्ड सर्वे' के द्वारा 0 से 18 आयुवर्ग की जनसंख्या उनके विद्यालय जाने न जाने की स्थिति एवं उसके कारणों तथा शैक्षिक सुविधाओं की स्थिति का आंकलन किया जायेगा। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नए विद्यालय खोलने की

योजना बनाई जाएगी। साथ ही इस हेतु जनपद एवं विकास खंड स्तर पर एक दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक वर्ष डाटा का अपडेटेशन किया जाएगा। इसके लिए बजट का प्राविधान सर्व शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा।

#### ४- जिला-संदर्भ समूह एवं ब्लॉक-संदर्भ समूह का प्रशिक्षण एवं बैठकें

जनपद स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा, प्रशिक्षण, बालिका-शिक्षा, सामुदायिक-सहभागिता एवं समेकित-शिक्षा, प्रत्येक के लिए 7 सदस्यीय जिला संदर्भ समूह का गठन किया गया है। इन संदर्भ समूहों में सेवानिवृत्त एवं सेवारत शिक्षक सक्रिय बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयक, स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को लिया गया है। इन संदर्भ समूहों की नियमित त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में शिक्षा से समुदाय को जोड़ने, शैक्षणिक सम्प्राप्ति स्तर बढ़ाने हेतु उनके अनुभव एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए उपाय पर चर्चाएं की जाएंगी। ब्लॉक-स्तर पर भी इन संदर्भ समूहों की नियमित त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। ग्राम शिक्षा समितियों/विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए इन संदर्भ समूहों को डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा।

#### ५-संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण

जनपद में स्कूल प्रबंध समितियों के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक विकासखंड स्तर पर एम०टी० तैयार किए जाएंगे। ए एम०टी० डायट स्तर पर प्रशिक्षित किए जाएंगे। ए संदर्भदाता जनपद में 9 विकासखण्डों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गठित विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करेंगे।

#### ६- जिलास्तरीय कार्यशालाएं

जनपद में विभिन्न हस्तक्षेपों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में एक दो दिवसीय कार्यशाला कराने की कार्य-योजना है, इन कार्यशालाओं में वैकल्पिक शिक्षा, प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा एवं सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं में समुदाय के शिक्षा प्रेमी लोग, स्वयं सेवी संस्थाओं के सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० के समन्वयक, सक्रिय ग्राम शिक्षा समिति एवं विद्यालय प्रबंध समिति के लोग, अध्यापक, ई०सी०सी०ई० के कार्यकर्ता, विद्या केंद्रों के आचार्य आदि द्वारा प्रतिभाग करेंगे।

#### ७- ब्लॉकस्तरीय कार्यशालाएं

जनपद के नौ विकास खंडों में विभिन्न हस्तक्षेपों के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में एक-एक दिवसीय कार्यशाला कराने की कार्य-योजना है, इन कार्यशालाओं में वैकल्पिक शिक्षा, प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा एवं सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं में समुदाय के शिक्षा प्रेमी लोग, स्वयं सेवी संस्थाओं के सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० के समन्वयक, सक्रिय ग्राम शिक्षा समिति एवं विद्यालय प्रबंध समिति के लोग, अध्यापक, ई०सी०सी०ई० के कार्यकर्ता, विद्या केंद्रों के आचार्य आदि द्वारा प्रतिभाग करेंगे।



# अध्याय- नौ

## ई०एम०आई०एस० (E.M.I.S)

जनपद में जिला परियोजना कार्यालय में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ई०एम०आई०एस० सेल की स्थापना की गई है। जनपद के विद्यालयों से एक निर्धारित प्रपत्र पर सूचना भरकर उसका कम्प्यूटराईजेशन किया जाता है। इस प्रकार कम्प्यूटरीकृत सूचनाओं का प्रयोग वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण, शैक्षणिक सूचनाओं के आदान-प्रदान, अनुश्रवण एवं नियोजन, आंकणों एवं सूचनाओं के विश्लेषण तथा आवश्यकताओं की पहचान में किया जाता है। परियोजना की विविध गतिविधियों एवं उनके प्रभावों का अनुश्रवण करने के लिए किया जाएगा। ई०एम०आई०एस० सेल में एक कम्प्यूटर की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है।

### १. कम्प्यूटर एवं उपकरण

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्य की अधिकता को देखते हुए एक और कम्प्यूटर की व्यवस्था ई०एम०आई०एस० सेल में की जाएगी। इस हेतु बजट का प्राविधान किया गया है। साथ ही सेल फर्निशिंग एवं उपकरणों के रख-रखाव, नए साफ्टवेयर क्रय, कम्प्यूटर कंज्यूमेबिल एवं एक्सपोजर विजिट मद में बजट का प्राविधान किया गया है।

### २. प्रशिक्षण एवं सैम्पल चैकिंग

विद्यालयों निर्धारित प्रपत्र पर सही सूचना अंकित हो इसके लिए यह आवश्यक है कि संबंधित ए०बी०एस०ए०, समन्वयक बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० का प्रशिक्षण आयोजित हो, ताकि वे अध्यापकों से निर्धारित प्रपत्र पर सही सूचना अंकित कर सकें। इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई है। ए प्रशिक्षण एक दिवसीय होंगे एवं ब्लाक तथा जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इस हेतु बजट का प्राविधान किया गया है।

विद्यालयों निर्धारित प्रपत्र पर सही सूचना अंकित हो रही हैं या नहीं इसके लिए यह आवश्यक है विद्यालय से भरकर आए प्रपत्रों की सैम्पल चैकिंग की जाय। इस हेतु बजट का प्राविधान किया गया है।

### ३. ई०एम०आई०एस० प्रपत्र

जनपद के विद्यालयों से एक निर्धारित प्रपत्र पर सूचना भरकर उसका कम्प्यूटराईजेशन किया जाता है इन प्रपत्रों की छपाई के लिए बजट का प्राविधान किया जाएगा। प्राप्त सूचनाओं को कम्प्यूटराईज्ड किया जायेगा व इनके विश्लेषण एवं अध्ययन से जिले की भविष्य की कार्ययोजनाओं का निर्माण किया जायेगा

## अध्याय- दस

### निर्माण कार्य (Civil Work)

जनपद में विद्यालयों में कराए जाने वाले सभी निर्माण कार्य समुदाय की सहभागिता से ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराए जाएंगे। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं गति का ध्यान रखा जाएगा। निर्माण कार्यों हेतु ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में धन उपलब्ध कराया जाएगा। जिसका संचालन ग्राम प्रधान (पदेन अध्यक्ष, ग्राम शिक्षा समिति) एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक (पदेन सचिव, ग्राम शिक्षा समिति) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। निर्माण कार्यों में निम्न बातों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा—

- कार्य की उत्तम गुणवत्ता.
- कार्य की गति (समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करना).
- उपलब्ध कराए गए धन का समुचित उपयोग एवं रख-रखाव एवं पारदर्शिता.

#### कार्य की गुणवत्ता

कार्य की उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिले में कार्यरत निर्माण ऐजेंसियों जिनमें आर०ई०एस० या एम०आई० का सहयोग लिया जाएगा। ए ऐजेंसियां निर्माण कार्यों में ग्राम शिक्षा समितियों को आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। भवन के ले-आउट, बुनियाद निर्माण, लिंटल, बीम एवं छत के कार्य अनिवार्यतः तकनीकी अधिकारी की उपस्थिति एवं निर्देशन में कराए जाएंगे। भवनों का निर्माण, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित ऐजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजायन के अनुसार किया जाएगा।

निर्माण कार्यों के प्रारम्भ होने से पूर्व ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को निर्माण कार्य का प्रशिक्षण देने का उद्देश्य उन्हें सिविल कार्य/निर्माण कार्य सम्बन्धी गहन एवं तकनीकी जानकारी से अवगत कराना, तकनीकी पहलुओं की जानकारी देना, विद्यालय भवन निर्माण (नवीन एवं पुर्ननिर्माण) के लिए स्थान का चयन, विवादास्पद स्थानों के निराकरण करना एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना। अतः सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्यों के लिए प्रत्येक विकास खंड एवं जिला स्तर पर इस प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे।

#### धन का समुचित उपयोग एवं रखा-रखाव

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण हेतु उपलब्ध कराए गए धन के आय-व्यय का विवरण एक पंजिका बनाकर सचिव द्वारा उसमें अंकित किया जायेगा। कार्य की दैनिक प्रगति के अंकन हेतु एक साईट रजिस्टर बनवाया जायेगा, जिसमें सचिव द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में प्रत्येक दिन की आख्या अंकित की जायेगी। इस पंजिका में निर्माण कार्य के अनुश्रवण हेतु जाने वाले अधिकारियों द्वारा भी अपनी आख्या निर्माण के संबंध में अंकित की जाएगी। निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व ग्राम शिक्षा समिति से इस बात का

इकरारनामा तैयार करवाया जायेगा जिस में यह स्पष्ट होगा कि निर्माण कार्य .....दिन में उपलब्ध कराए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तम गुणवत्ता से पूर्ण कर लिया जायेगा। साथ ही कार्य पूर्ण होने पर ग्राम शिक्षा समिति से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति अध्यक्ष एवं सचिव के साथ-साथ अवर अभियंता तथा सहायक वैसिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर भी अंकित होंगे, यह प्रमाण-पत्र यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण कार्य उपलब्ध कराए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तम गुणवत्ता का हुआ है और उपलब्ध कराई गई धनराशि का समुचित उपयोग हुआ है।

जनपद में निम्नानुसार निर्माण कार्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किये जाएंगे -

### सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्य

निर्माण का नाम	निर्माण लागत	कुल लक्ष्य	विवरण
प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण	275.00 हजार	40	40 ई0जी0एस0अपग्रेडेशन
प्राथमिक विद्यालय भवन पुर्न निर्माण	275.00 हजार	100	02 भवनहीन एवं 98 जीर्ण-शीर्ण
उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण	400.00 हजार	37	नए विद्यालय
उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन पुर्न निर्माण	400.00 हजार	139	125 भवनहीन एवं 14 जीर्ण-शीर्ण
अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण (उ0प्रा0वि0)	70.00 हजार	14	
शौचालय निर्माण (प्रा0विद्यालय)	15.00 हजार	232	
शौचालय निर्माण (उ0प्रा0विद्यालय)	15.00 हजार	162	
बाउण्ड्रीवाल निर्माण (प्रा0विद्यालय)	40.00 हजार	0	
बाउण्ड्रीवाल निर्माण (उ0प्रा0विद्यालय)	50.00 हजार	37	
पेयजल (प्रा0विद्यालय)	20.00 हजार	32	
पेयजल (उ0प्रा0विद्यालय)	20.00 हजार	37	
सी0आर0सी0 निर्माण	200.00 हजार	22	

## अध्याय- ग्यारह

### परियोजना प्रबन्धन (Project Management)

सर्व शिक्षा अभियान एक समयबद्ध एवं लक्ष्यबद्ध कार्यक्रम है। कार्यक्रम के लक्ष्यों को समयान्तर्गत प्राप्त करने हेतु एक स्वतन्त्र प्रबंधन की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूर्ण व्यवस्था के रूप में 2007 तक संचालित की जाएगी। इस अवधि में 6 से 11 वय वर्ग को वर्ष 2005 तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान से आच्छादित किया जायेगा। जबकि 11 से 14 वय वर्ग को सम्पूर्ण अवधि में सर्वशिक्षा अभियान द्वारा संपादित किया जायेगा।

#### १-प्रबन्धन

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रबंधन जिला परियोजना कार्यालय द्वारा संपादित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की समस्त गतिविधियों का संचालन इसी व्यवस्था के अंतर्गत किया जायेगा।

#### जिला शिक्षा परियोजना समिति (District Education Project Committee)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना समिति (D.E.P.C.) गठित की गई है जिसमें पारित प्रस्तावों के अनुपालन में जिला परियोजना कार्यालय कार्य करता है। विशेषज्ञ वैशिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के पदेन सदस्य सचिव होते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी निम्नानुसार जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना समिति (D.E.P.C.) गठित की जाएगी, जिसमें पारित प्रस्तावों के अनुपालन में जिला परियोजना कार्यालय कार्य करेगा। यह समिति मुख्यतः निम्नांकित कार्यों को करेगी-

- सर्व शिक्षा अभियान की सभी गतिविधियों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण.
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण.
- निर्माण कार्यों के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था.
- जिला शिक्षा सूचना प्रणाली का विकास.
- जनपद में कार्यरत विभिन्न विभागों में समन्वयन की स्थापना.
- डायट एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के मध्य समन्वयन की स्थापना.
- सर्व शिक्षा कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना.

इस समिति का स्वरूप निम्नवत होगा-

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
4	अ0जा0/ज0जा0 का एक प्रमुख/वरिष्ठ/कनिष्ठ (एक वर्ष के लिए)	सदस्य
5	एक महिला प्रमुख/वरिष्ठ/कनिष्ठ(एक वर्ष के लिए)	सदस्य
6	न0नि0/न0पा0/न0म0पा0/न0एरि0 द्वारा नामित एक सदस्य (एक वर्ष के लिए)	सदस्य
7	एक शिक्षाविद् जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य
8	एक शिक्षक प्रतिनिधि (रा0पुरु0 प्राप्0) जिलाधिकारी द्वारा नामित (एक वर्ष के लिए)	सदस्य
9	जिला विद्यालय शिक्षक	सदस्य
10	जिला अर्थ एवं सख्याधिकारी	सदस्य
11	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आर0सी0डी0एस0)	सदस्य
12	प्राचार्य जि0शि0एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
13	लो0नि0विनाग के अधिशासी/अधीक्षण अभियंता	सदस्य
14	राज्य स्तर से नामित नोडल अधिकारी	सदस्य
15	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (पदेन)	सदस्य सचिव

### जिला परियोजना कार्यालय (District Project Office)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत की गई है। इसके तहत निम्न पदों पर नियुक्तियों की गई हैं-

क्र0	पद	पद		स्तर
		रवीकृत	कार्यरत	
1	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	1	1	जिला परियोजना कार्यालय
2	सहायक लेखाधिकारी	1	1	जिला परियोजना कार्यालय
3	जिला समन्वयक	4	4	जिला परियोजना कार्यालय
4	कम्प्यूटर आपरेटर	1	1	जिला परियोजना कार्यालय
5	लेखाकार	1	1	जिला परियोजना कार्यालय
6	आशुलेखक	1	1	जिला परियोजना कार्यालय
7	टंकक	1	1	जिला परियोजना कार्यालय
8	चपरासी	1	1	जिला परियोजना कार्यालय
9	समन्वयक (बी0आर0सी0)	9	9	विकासखण्ड स्तर
10	सहसमन्वयक (बी0आर0सी0)	18	18	विकासखण्ड स्तर
11	समन्वयक (एन0पी0आर0सी0)	76	76	न्यायपंचायत स्तर

जिला परियोजना कार्यालय मुख्यतः डायट, बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० एवं ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से जनपद की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण, परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर नियंत्रण, विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, जिले में योजना के विभिन्न स्तरों पर समन्वयन, परियोजना के क्रियाकलापों हेतु स्वीकृत धन का हस्तागतान्तरण एवं समुचित उपयोग, शैक्षणिक गतिविधियों का अनुश्रवण, वार्षिक कार्ययोजनानुसार कार्यों का समयबद्ध निष्पादन आदि कार्यों का निष्पादन करता है।

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त गतिविधियों का संचालन इसी व्यवस्था के अंतर्गत किया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना अधिकारी होंगे एवं उप-बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप-जिला परियोजना अधिकारी होंगे। इनके अतिरिक्त जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए चार जिला समन्वयक होंगे। इसके अंतर्गत निम्न पदों का व्यय-भार सर्व शिक्षा के द्वारा किया जाएगा-

क्र०स०	पद	संख्या	वेतनमान
1	सहायक लेखाधिकारी	01	6500-10500
2	जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)	01	6500-10500
3	जिला समन्वयक (बैकलिक शिक्षा)	01	6500-10500
4	जिला समन्वयक (वालिका शिक्षा)	01	6500-10500
5	जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता)	01	6500-10500
6	लेखाकार	01	5500-8000
7	कम्प्यूटर आपरेटर	01	8000.00 नियत
8	टंकक	01	3050-4500
9	चपरासी	01	2550-4000

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराए जा रहे विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एवं एन.पी.आर.सी. निर्माण एवं शौचालयों के निर्माण में तकनीकी पर्यवेक्षण एवं जानकारी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं लघु सिंचाई के अभियंताओं द्वारा दी जायेगी।

### **ब्लाक शिक्षा परियोजना समिति** (Block Education Project Committee)

विकासखण्ड स्तर पर क्षेत्र प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक शिक्षा परियोजना समिति गठित की जाएगी। यह समिति विकासखण्ड की प्रारंभिक शिक्षा के उन्नयन हेतु तैयार की गई कार्य योजना के अनुरूप संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों/गतिविधियों का अनुश्रवण करेगी। इस समिति द्वारा ग्राम शिक्षा समिति एवं स्कूल प्रबंधन समिति से प्राप्त आख्या पर विचार-विमर्श करने के साथ ही आख्या में वर्णित समाधान हेतु रणनीति भी तैयार की जाएगी। इस समिति की प्रत्येक तीन माह में बैठक होगी। ब्लाक स्तर पर गठित ब्लाक शिक्षा परियोजना समिति (B.E.P.C.) का सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होगा, यह समिति निम्नानुसार गठित की जाएगी-

1	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	अध्यक्ष
2	क्षेत्र पंचायत का ऐसा सदस्य जो जिलापंचायत का सदस्य हो (क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा नामित)	सदस्य
3	राज्य विधान सभा के सभी सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र या उसका भाग क्षेत्र पंचायत की सीमा में पड़ता हो	सदस्य
4	एक ग्राम प्रधान जो क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो (क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा नामित)	सदस्य
5	क्षेत्र पंचायत समिति का एक अ०जा०/ज०जा०का सदस्य हो (क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा नामित)	सदस्य
6	क्षेत्र पंचायत समिति का एक महिला सदस्य (क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा नामित)	सदस्य
7	खंड विकास अधिकारी	सदस्य
8	एक बरिष्ठ प्रधानाध्यापक उ०प्रा०वि० (स०वे०शि०अधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
9	एक बरिष्ठ प्रधानाध्यापक प्रा०वि० (स०वे०शि०अधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
10	वि०खंड के रा०मा०वि० के एक प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या ( जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित)	सदस्य
11	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी (पदेन)	सदस्य सचिव

### ब्लॉक परियोजना कार्यालय (Block Project Office)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विकासखण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को पदेन खण्ड परियोजना अधिकारी बनाया गया है। उनके निर्देशन में बी०आर०सी० समन्वयक/सहसमन्वयक एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयक कार्य करते हैं। ब्लॉक स्तर पर बनाई जा रही बी०आर०सी० भवन में एक कक्ष सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए बनाया गया है। बी०आर०सी० पर नियुक्त दो सहसमन्वयकों में से एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायकता के लिए नियुक्त है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी यह व्यवस्था यथा वक्त रहेगी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को ब्लॉक परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करने एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए यात्रा-भत्ता दिया जायेगा।

## ग्राम शिक्षा समिति (Village Education Committee)

संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में व्यापक संशोधन किए गए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा- 11 में ग्राम शिक्षा समिति और उसके कृत्यों का उल्लेख है।

इसके अनुसार :-

प्रत्येक गांव या गांव समूह जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्रामपंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जाएगी जो गांव शिक्षा समिति कहलाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;
- बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;
- ग्रामपंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य-सचिव होगा;

### ग्राम शिक्षा समिति के कार्य

1. शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करना, शिक्षा में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. पंचायत क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक/ वैकल्पिक शिक्षा एवं साक्षरता से संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
3. शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ पर प्रशासकीय नियंत्रण-

(क) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे विहित की जाए लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना, जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(ग) शिक्षा मित्र एवं आचर्यजी के चयन का अधिकार।

(घ) बच्चों की उपस्थिति एवं शिक्षकों के शिक्षण कार्य का लगातार अनुश्रवण करना।

4. शैक्षिक उत्तरदायित्व वहन करना-

(क) ग्राम शिक्षा समिति की प्रतिमाह बैठक करना।

(ख) आवश्यकतानुसार नये बेसिक स्कूल/वै0शि0 केन्द्र का चयन, स्थल चयन आदि कार्यवाही।

(ग) नये विद्यालय का निर्माण 3 माह में सुनिश्चित करना एवं विद्यालय को आकर्षक बनाना।

(घ) विद्यालय सम्पत्ति का रखरखाव।

(ङ) विद्यालय हेतु वित्तीय संसाधन जुटाना।

(च) स्थानीय उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर समुदाय के सहयोग से शिक्षण सामग्री तैयार करवाना।

(छ) सेवित क्षेत्र में 6-14 वय वर्ग के समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन करनवाना, जुलाई से सितम्बर तक स्कूल चलो अभियान चलाना।



- (ज) स्कूल में बच्चों का धारण में स्थायित्व। बालिकाओं तथा वंचित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देना।
- (झ) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की मुख्यधारा में लाना।
- (ञ) शिक्षक-मातृ संघ एवं अभिभावक-शिक्षक संघों का गठन व उनकी नियमित बैठकें करवाना।
- (ट) स्कूल के बाहर के बच्चों विशेषतः बालिकाओं एवं बाल मजदूरों की शिक्षा की व्यवस्था वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों के माध्यम से करना।
- (ठ) सूक्ष्म-नियोजन वक कार्य एवं प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राम शिक्षा योजना का प्रतिवर्ष निर्माण कराना।
- (ड) समुदाय को विद्यालय की सहायता हेतु प्रेरित करना।
- (ढ) वन विभाग के सहयोग से विद्यालय में वृक्षारोपण करना।
- (ण) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण सुनिश्चित करवाना।
- (त) ई0सी0सी0ई0 केंद्रों पर बच्चों का नामांकन, संचालन में सहयोग देना एवं अनुश्रवण करना।
- (थ) स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विद्यालय में बच्चों का हेल्थ चेकअप करवाना तथा बच्चों को प्रतिरक्षीकरण टीका लगवाना।
- (द) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को विभिन्न कार्यों का वितरण करना।
- (ध) विद्यालय को शैक्षणिक सहयोग।

### स्कूल प्रबंध समिति (School Management Committee)


जगपद की भौगोलिक स्थिति के कारण प्रत्येक विद्यालय के लिए एक स्कूल प्रबंध समिति का गठन किया जायेगा। इसकी प्रत्येक माह में एक बार बैठक आयोजित की जायेगी। बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्बर्धन हेतु विद्यालय एवं ग्राम स्तर पर किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जायेगा। समिति द्वारा 6 से 14 वयवर्ग के सभी बच्चों के नामांकन एवं ठहराव हेतु प्रयास किये जाएंगे, साथ ही विद्यालय प्रबंधन एवं गुणवत्ता संबंधन में समिति द्वारा अध्यापक को सहयोग प्रदान किया जायेगा। समिति विद्यालय में भौतिक संसाधनों के विकास हेतु भी कार्य करेगी। समिति का गठन निम्नवत होगा-

1	सेवित विद्यालय के ग्राम पंचायत का सदस्य (ग्रामप्रधान द्वारा नामित)	अध्यक्ष
2	विद्यालय का प्रधानाध्यापक	सदस्य-सचिव
3	प्रत्येक कक्षा में पढने वाले छात्र/छात्रा की माता (कम से कम 2 विद्यालय में पढने वाले अ0जा0/ज0जा0/पि0जा0 के छात्रों की माताएं उपलब्ध होने पर चयनित की जाएंगी )	सदस्य
4	ग्राम के तीन प्रबुद्ध व्यक्ति (अवकाश प्राप्त अध्यापक, भू0पू0 सैनिक, स्वैच्छिक संगठन के सदस्य आदि ग्रामप्रधान की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
5	दो पुरुष अभिभावक (प्रधानाध्यापक की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य

## २-वित्तीय प्रबंधन

परियोजना की प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण किया जाता है। वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदनोपरान्त धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जाती है। जिसका उपभोग निर्धारित प्रोक्चोरमेन्ट के अनुसार वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। परियोजना के आय-व्यय का अंकेक्षण सी०ए० एवं ए०जी० द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। साथही प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय को आय-व्यय का विवरण प्रेषित किया जाता है। वित्तीय प्रबंधन की यही प्रक्रिया सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी अपनाई जाएगी। सर्वशिक्षा अभियान के आय-व्यय का अंकेक्षण/संप्रेषण सी०ए० के माध्यम से किया जायेगा। चार्टर्ड एकाउटेन्ट का चयन व Terms of Reference for Audit का निर्धारण उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् द्वारा किया जायेगा। साथ ही महालेखाकार द्वारा भी जनपद के लेखों का संप्रेषण किया जायेगा। साथ ही राज्य परियोजना कार्यालय भी समय-समय पर आंतरिक संप्रेषण किया जाएगा।

वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन के उपरान्त धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जायेगी। जिसका उपभोग निर्धारित प्रोक्चोरमेन्ट के अनुसार वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। धनराशि की अवमुक्ति निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट है-



जिला स्तर पर परियोजना के आय-व्यय का अभिलेखीकरण निम्नानुसार पंजिकाएं बनाकर उन पर किया जाएगा-

1. कैश-बुक
2. लेजर
3. बैंक समाधान पंजिका
4. चैक निर्गमन पंजिका
5. चैक प्राप्ति पंजिका
6. अग्रिम पंजिका
7. निर्माण कार्य पंजिका
8. बिल रजिस्टर
9. गार्ड फाइल.

## अन्य विभागों से कन्वर्जेंस (Convergence With Other Dept.)

सामान्यतः विभिन्न विभागों के मध्य सामंजस्य नहीं हो पाता है। जनपद में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के सुचारू व सफल संचालन हेतु अन्य विभागों से सामंजस्य होना अति आवश्यक है। इस हेतु समय-समय पर इन विभागों से सम्पर्क एवं बैठकें आयोजित की जाएंगी व इनका सहयोग लेने का प्रयास किया जाएगा।

### १. समन्वित बाल विकास परियोजना (I.C.D.S.)

जनपद के 5 विकास खंडों आखणोधार, जीनपुर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, चम्बा में समन्वित बाल विकास परियोजना संचालित है। विकास खंड भिलंगना के कुछ भाग में भी परियोजना संचालित है, वर्तमान में इस योजनान्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या 306 है। जिनमें से डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत 200 आंगनवाड़ी केन्द्रों की ई०सी०सी०ई० केन्द्र के रूप में चयनित किया गया है।

### २. समाज कल्याण विभाग

जनपद के सभी विद्यालयों में सभी आ०जा०, अ०जा०जा० व पि०जा० के सभी छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह रु 25.00 की दर से एक वर्ष की छात्रवृत्ति 300.00रु0 मिलती है। कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह रु 40.00 की दर से एक वर्ष की छात्रवृत्ति 480.00रु0 मिलती है।

### ३. महिला समाख्या

जनपद टिहरी में महिला समाख्या के द्वारा महिलाओं के उत्थान के हेतु विविध कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं जो कि मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर आधारित है। जनपद में बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु संस्था से सहयोग लिया जाता है।

### ४. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.)

इसके तहत जे०आर०वाई०, एस०आर०वाई०, पी०एम०आर०वाई० से भी विद्यालयों के निर्माण एवं नव निर्माण तथा अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। जनपद में डी०पी०ई०पी० योजना अन्तर्गत स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण/पुनर्निमाण हेतु 60 प्रतिशत अंशदान प्राप्त करने हेतु विभाग से सहायता ली जाती है।

## ५. स्वास्थ्य विभाग (H.Dept.)

वर्तमान में जनपद में डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जनपद में गत वर्ष 58154 छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जिसमें से 19901 में छात्रों को विद्यालय में ही उपचार दिया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान किया गया सहयोग प्रशंसनीय रहा है। आगामी वर्षों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण, विकलांगता शिविर आयोजन में स्वास्थ्य विभाग का सक्रिय सहयोग लेने का प्रयास किया जायेगा।

## ६. ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (R.E.S.)

जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पारित विभिन्न निर्माण कार्यों में तकनीकी सलाह एवं प्रयवेक्षण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के द्वारा प्रदान किया जाता है। डी०पी०ई०पी० परियोजनान्तर्गत संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों का तकनीकी प्रयवेक्षण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अभियन्ताओं द्वारा किया जाता है। ए०एस०ए० के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्यों में भी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अभियन्ताओं का सहयोग लिया जाएगा। उक्त के साथ-साथ लघु सिंचाई के अभियन्ताओं का सहयोग भी लिया जाएगा।

## ७. जल निगम सी० एण्ड डी०

जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं का विकास रख-रखाव जल निगम द्वारा किया जाता है। जनपद के विद्यालयों में पेयजल सुविधा की उपलब्धता हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर सहयोग दिया जाता है। जल निगम की सी० एण्ड डी० शाखा द्वारा जनपद की बी०आर०सी० का निर्माण भी किया जा रहा है।

## ८. पी०एल०सी० (P.L.C.)

जनपद में वर्तमान में टी०एल०सी० अभियान भागिस्त्री ज्योति की सफलता के बाद उत्तर साक्षरता कार्यक्रम संचालित हो रहा है जिसके द्वारा साक्षरता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

## ९. यूनिसेफ (सी०ई०पी०) (UNCEF)

जनपद में यूनिसेफ के द्वारा चाइल्ड इम्प्रायमेंट प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत विद्यालयों में जल एवं स्वच्छता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके द्वारा विद्यालयों में रेनवाटर हार्वैस्टिंग टैंक निर्माण, शौचालय निर्माण एवं बच्चों की स्वच्छता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। साथ ही साथ विद्यालयों को फस्ट-एड-बाक्स एवं स्वच्छता किट भी दिए जा रहे हैं। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु ए०एन०एम० का प्रशिक्षण भी इसके अन्तर्गत किया जा रहा है।

## १०. स्वयं-सेवी संस्थाएं (N.G.O.)

जनपद में प्रारंभिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं विकास में स्वयं-सेवी संस्थाएं यथा, नेहरू युवा केंद्र (N.Y.K.) महिला मंगल दल (M.M.D.), नव युवक मंगल दल (N.Y.M.D.), स्वयं सहायता समूह(S.H.G.) आदि का सहयोग वातावरण-सृजन, नामांकन आदि में लेने के प्रयास किए जाएंगे।

## १०. ग्राम शिक्षा समितियां (V.E.C.)

जनपद में प्रारंभिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं विकास में ग्राम शिक्षा समितियां (V.E.C.), स्कूल प्रबंधन समितियां (S.M.C.), मातृ शिक्षक संघ (M.T.A.), अभिभावक शिक्षक संघ (P.T.A.) आदि का सहयोग वातावरण-सृजन, नामांकन, टहराव, गुणवत्ता संवर्धन एवं विद्यालयों में संसाधनों के विकास आदि में लेने के प्रयास किए जाएंगे।

### ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपे जाने वाले कार्य

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण.
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन पुर्न-निर्माण.
- अतिरिक्त कक्षा-कक्षा निर्माण.
- एन०पी०आर०सी० / सी०आर०सी० निर्माण.
- शौचालय निर्माण.
- पेय-जल संयोजन.
- विद्यालय मरम्मत.
- विद्यालयों की साज-सज्जा.
- विद्यालय विकास अनुदान.
- आचार्य जी / अनुदेशक चयन.
- आचार्य जी / अनुदेशक मानदेय.
- विद्या-केंद्रों / वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों के लिए साज-सज्जा.
- शिक्षा-मित्र चयन.
- शिक्षा-मित्र मानदेय.
- निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण.
- ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की साज-सज्जा.
- ई०सी०सी०ई० कार्यकर्तियों का मानदेय.
- सूक्ष्म नियोजन.
- ग्राम शिक्षा योजना निर्माण।

**अध्याय- तेरह**  
**वार्षिक कार्य योजना एवं बजट**  
**(Annual Work Plan & Budget)**  
**S.S.A. Perspective Plan (2001-2007) In A View**  
**Distt.-Tehri Garhwal**

Rs. in Thousand

Activities/Particulars	Year wise Plan 2001 To 2010													
	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
	Total Fin.	%	Total Fin.	%	Total Fin.	%	Total Fin.	%	Total Fin.	%	Total Fin.	%	Total Fin.	%
ACCESS	0.00	0.00	0.00	0.00	15048.00	25.29	23828.25	33.84	41884.80	28.85	36419.70	27.26	117180.75	25.70
RETENTION	2483.00	68.35	15796.09	59.49	23753.31	39.91	27508.41	39.07	55495.94	38.22	47372.45	35.46	172409.21	39.28
QUA. IMPROVEMENT	1000.00	27.53	9652.22	36.35	13728.30	23.07	11423.60	15.22	22053.29	15.19	23568.77	17.64	81426.38	18.55
CAPA. BUILDING	150.00	4.13	1104.85	4.16	6980.90	11.73	7649.80	10.86	25751.30	17.74	26235.60	19.64	67872.45	15.46
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3633.00</b>		<b>26553.16</b>		<b>59510.51</b>		<b>70410.26</b>		<b>145185.33</b>		<b>133596.53</b>		<b>438888.79</b>	<b>100.00</b>

**PERSPECTIVE PLAN SARVA SHIKSHA ABHIYAN**

2001-2070

**S.S.A. TEHRI GARHWAL**

Code	Activities/Particulars	J. Cost	Year Wise Physical Target (2001 To 2010)						TOTAL PHY.
			2001-2	2002-3	2003-4	2004-5	2005-6	2006-07	
			Ph.	Ph.	Ph.	Ph.	Ph.	Ph.	
	<b>ACCESS</b>								
A1	<b>New School</b>								
A1a	<b>Opening New Primary School</b>								
	1. Construction	275.00							
	2. Add. Salary of H. Teacher	0.80				122	122	244	
	3. Salary of Para Teacher	2.75				244	244	488	
A1b	<b>Opening New Upper Primary School</b>								
	1. Construction	400.00			20	17			37
	2. Salary of Teacher A.T.	12.00			60	111	111	111	393
	3. Furniture/ Fixture & Equipment in UPS	50.00			20	17			37
A2	<b>Education Guarantee Scheme</b>								
A2.a	<b>EGS, AS, RVally etc. Primary Level</b>								
	1. Honorarium - Worker	1.00				240	240	480	
	3. Text Books/TLM	1.50				240	240	480	
	4. Conteng.	0.47				240	240	480	
	5. Trg. Recuring Worker	1.00				240	240	480	
A2b	<b>Up Gradation of E.G.S. IN P.S.</b>								
	1. Construction	275.00				30	0	30	
	2. Salary of A. Teacher of School	9.00				30	30	60	
	2. Salary of P. Teacher of School	2.75				30	30	60	
	4. TLE	10.00				30	0	30	
R	<b>RETENTION</b>								
R1.a	1. Additional class rooms in PS	70.00					0	0	0
	2. Additional class rooms in UPS	70.00	14	0	0				14
R1.b	1. Additional ParaTeachers in PS	2.75					67	67	134
	2. Additional Teachers in UPS	12.00		48	48	48	48	48	240
R2	1. Toilets in PS	15.00					100	132	232
	2. Toilets in UPS	15.00	10	10	24	47	44	27	162
	3. Drinking water in PS	20.00					0	32	32
	4. Drinking water in UPS	20.00			0	20	17	0	37
R3	1. Reconstruction of old PS	275.00					58	40	98
	2. Reconstruction of old UPS	400.00			5	5	4		14
	3. Construction of Buildingless PS	275.00					2		2
	4. Construction of Buildingless UPS	400.00		21	23	27	27	27	125
R5	1. Maintenance of PSchool	5.00					425	200	625
	2. Maintenance of UPSchool	5.00		143	100	83	0		326
R6	1. Boundary walls in PS	40.00					0	0	0
	2. Boundary walls in UPSchools	50.00			0	20	17	0	37
	1. School Improvement Grant PS	2.00					1307	1337	2644
	2. School Improvement Grant UPS	2.00	489	489	488	508	516	516	3006
8	<b>Innovative Prog. for promo.G. Edu. Upto 50 Lac</b>								
8.1	<b>1. Computer Education</b>								
	a-Computer		3	5	5	5	5	5	28
	b-Cell Furnishing	50.00		5	5	5	5	5	25
	c-Computer System Trg. of Teacher			5	5	5	5	5	25
	d-Contingency/ A. Maintenance	10.00			8	13	18	23	62
8.2	<b>Opening of New ECCE Centers</b>								
	4. TLM	5.00					0	0	0
	5. Add. Honorarium (Worker & Helper)	0.375					200	200	400
	6. Contingency Grant	1.50					200	200	400
	7. Trg Worker-Induction	1.20					0	0	0
	7. Trg Worker- Recuring	1.00					200	200	







SUMMARY OF S.S.A Perspective Plan, TEHRI GARHWAL

Rs. In Thousand

Code	Activities/Particulars	U.Cost	YEAR WISE BUDGET (2001 To 2010)										TOTAL			
			2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06				2006-07	
			Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.
A	ACCESS	-		0.00		0.00		15048.00		23828.25		41884.80		36419.70		117180.75
R	RETENTION		2483.00		15796.09		23753.31		27508.41		55495.94		47372.46		172409.21	
Q	QUALITY IMPROVEMENT		1000.00		9652.22		13728.30		11423.80		22053.29		23568.77		81426.38	
C	CAPACITY BUILDING	-	150.00		1104.85		6980.90		7649.80		25751.30		26235.60		7872.45	
	GRAND TOTAL		3633.00		26553.16		59510.51		70410.26		145185.33		133596.53		438888.79	

**SARVA SHIKSHA ABHIYAN (S.S.A.)**  
**(Duration Dec 2001 to Mar 2007)**

District - Tehri Garhwal

Rs. in Thousand

Code	Activities/Particulars		YEAR WISE BUDGET (2001 To 2007)												TOTAL	
			2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Ph.	Fin.
			Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.				
	<b>ACCESS</b>															
<b>A1</b>	<b>New School</b>															
<b>A1a</b>	<b>Opening New Primary School</b>															
	1. Construction	275.00														
	2 Add. Salary of H Teacher	0.80								122	1171.20	122	1171.20	244	2342.40	
	3 Salary of Para Teacher	2.75								244	7381.00	244	7381.00	488	14762.00	
	4 Furniture/ Fixture & Equipment in PS	10.00														
	<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8552.20	8552.20	8552.20	8552.20		17104.40	
<b>A1b</b>	<b>Opening New Upper Primary School</b>															
	1 Construction	400.00				20	8000.00	17	6800.00						37	14800.00
	2 Salary of Teacher A.T.	12.00				60	6048.00	111	16178.25	111	18514.80	111	19447.20	393	60188.25	
	3 Furniture/ Fixture & Equipment in UPS	50.00				20	1000.00	17	850.00					37	1850.00	
	<b>Total</b>			0.00	0.00	15048.00	23828.25	18514.80	19447.20						76838.25	
<b>A2</b>	<b>Education Guarantee Scheme</b>															
<b>A2.a</b>	<b>EGS, AS, RVally etc. Primary Level</b>															
	1. Honorarium															
	(a) Worker	1.00								240	2640.00	240	2640.00	480	5280.00	
	(b) Supervisor															
	2 Educational materials	1.10														
	3 Text Books/TLM	1.50								24	360.00	24	360.00	48	720.00	
	4 Conteng	0.47								24	112.80	24	112.80	48	225.60	
	5 Training- Worker/Supervisor															
	(a) Induction	1.84														
	(b) Recurring	1.00								24	240.00	24	240.00	48	480.00	
	<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3352.80	3352.80	3352.80	3352.80		6705.60	
<b>A2b</b>	<b>UP Gradation of E.G.S. IN PS</b>															
	1 Construction	275.00								30	825.00	30	825.00	60	1650.00	
	2 Salary of A. Teacher 1 Teac. each School	9.00								30	2520.00	30	3960.00	60	6480.00	
	3 Salary of Para Teacher	2.75								30	495.00	30	907.50	60	1402.50	
	4 TLE	10.00								20	200.00	20	200.00	40	400.00	
	<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11465.00	11465.00	11465.00	11465.00		16532.50	
<b>A2c</b>	<b>2 Intervention for out of school Children</b>															
	<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>A2d</b>	<b>A.I. &amp; EGS UPrimary Level</b>															
	1. Honorarium															
	(a) Worker	1.00														
	(b) Supervisor															
	2 Educational materials	1.20														
	3 Text Books/TLM	2.50														
	4 Conteng	0.50														
	5 Training- Worker/Supervisor															
	(a) Induction	2.00														
	(b) Recuring	0.75														
	<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
<b>A3</b>	<b>1 Back to school campaign</b>															
	<b>2 Inovation in EGS</b>															
<b>A4</b>	<b>Bridge/Remedial courses</b>															
	<b>SUB TOTAL-A</b>			0.00	0.00	15048.00	23828.25	41881.80	36419.70						117180.75	

Code	Activities/Particulars	U.Cost	V.P.A.C. P.H.S. (2001-02 to 2006-07)												TOTAL	
			2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07			
			Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.		
<b>R</b>	<b>RETENTION</b>															
R1.a	1. Additional class rooms in PS	70.00									0.00		0.00	0	0.00	
	2. Additional class rooms in UPS	70.00	14	980.00										14	980.00	
R1.h	1. Additional ParaTeachers in PS	2.75								67	2026.75	67	2026.75	134	4053.50	
	2. Additional Teachers in UPS	12.00			48	3878.40	48	7257.60	48	7632.00	48	8006.40	48	8409.60	240	35184.00
R2	1. Toilets in PS	15.00								190	1500.00	132	1980.00	232	3480.00	
	2. Toilets in UPS	15.00	10	150.00	19	150.00	24	360.00	47	705.00	44	660.00	27	405.00	162	2430.00
	3. Drinking water in PS	20.00									0.00	32	640.00	32	640.00	
	4. Drinking water in UPS	20.00					0.00	20	400.00		17	340.00		37	740.00	
R3	1. Reconstruction of old PS	275.00								58	15950.00	40	11000.00	98	26950.00	
	2. Reconstruction of old UPS	400.00					5	2000.00	5	2000.00	4	1600.00		0.00	14	5600.00
	3. Construction of Buildingless PS	275.00								2	550.00		0.00	2	550.00	
	4. Construction of Buildingless UPS	400.00			21	8400.00	23	9200.00	27	10800.00	27	10800.00	27	10800.00	125	50000.00
R4	1. Repairs in PS													0	0.00	
	a-Major													0	0.00	
	b-Minor													0	0.00	
	2. Repairs in UPS													0	0.00	
	a-Major													0	0.00	
	b-Minor													0	0.00	
R5	1. Maintenance of PSchool	5.00								425	2125.00	200	1000.00	625	3125.00	
	2. Maintenance of UPSchool	5.00			143	715.00	100	500.00	83	415.00				326	1630.00	
R6	1. Boundary walls in PS	40.00									0.00		0.00	0	0.00	
	2. Boundary walls in UPSchools	50.00					0.00	20	1000.00	17	850.00		0.00	37	1850.00	
R7	1. School Improvement Grant PS	2.00								1307	2614.00	1337	2674.00	2644	5288.00	
	2. School Improvement Grant UPS	2.00	489	978.00	489	978.00	488	976.00	538	1076.00	516	1032.00	516	1032.00	3009	6012.00
	<b>Total (R1 to R7)</b>			<b>2108.00</b>		<b>14121.40</b>		<b>29293.60</b>		<b>23968.00</b>		<b>48054.15</b>		<b>39967.35</b>		<b>148512.50</b>
R8	<b>Innovative Prog. for promo. G. Edu. Upto 50 Lac</b>															
R8.1	<b>1. Computer Education</b>															
	a-Computer		3	375.00	5	625.00	5	1000.00	5	1000.00	5	1000.00	5	1000.00	28	5000.00
	b-Cell Furnishing	50.00			5	250.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	25	1250.00
	c-Computer System Trng. of Teacher	4.90			5	24.50	5	24.50	5	24.50	5	24.50	5	24.50	25	118.50
	d-Contingency & Maintenance	10.00			5	50.00	5	50.00	15	150.00	18	180.00	23	230.00	62	620.00
	<b>Total</b>			<b>375.00</b>		<b>895.50</b>		<b>1354.50</b>		<b>1404.50</b>		<b>1454.50</b>		<b>1504.50</b>		<b>6988.50</b>
R8.2	<b>Opening of New ECCE Centers</b>															
	1. Strengthening ICDS Centers													0	0.00	
	2. Devt. and Distrib. of ECCE Materials													0	0.00	
	3. Civil Works-One Additional Room													0	0.00	
	4. TLM	5.00									0.00		0.00	0	0.00	
	5. Add Honorarium(Worker & Helper)	0.375								200	900.00	200	900.00	400	1800.00	
	6. Contingency Grant	1.50								200	300.00	200	300.00	400	600.00	
	7. Training of ECCE Worker													0	0.00	
	a-Induction	1.20									0.00		0.00	0	0.00	
	b-Recurring	1.00								200	200.00	200	200.00	400	400.00	
	<b>Total</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1400.00</b>		<b>1400.00</b>		<b>2800.00</b>
R8.3	<b>Community Mobilization</b>															
	1. Awareness Building (Enrolment & Retention)	5.00			9	45.00	10	50.00	10	50.00	10	50.00	10	50.00	49	245.00
	2. Two Day workshop On Co. Mobilization(Dist. Level)	18.00			1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	5	82.00
	3. One Day Workshop On Co.mo. (Block Level)	7.00			9	63.00	9	63.00	9	63.00	9	63.00	9	63.00	45	315.00
	4. Bal Mela at N.P.R.C. Level	2.00					98	496.00	98	196.00	98	196.00	98	196.00	392	784.00
	5. Production of Audio Cassette							25.00		25.00				0	50.00	
	c. Production of Video Cassette							25.00		25.00				0	50.00	
	7. Assistance to N.P.R.C.s to Community Mobilization													0	0.00	
	8. School Challo Aahyan	3.00					10	30.00	10	30.00	10	30.00	10	30.00	40	120.00
	<b>Total</b>			<b>0.00</b>		<b>118.00</b>		<b>407.00</b>		<b>407.00</b>		<b>357.00</b>		<b>357.00</b>		<b>1646.00</b>



Code	Activities/Particulars	U.Cost	YEAR WISE BUDGET (2001 To 2010)												TOTAL	
			2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07			
			Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.
<b>R12</b>	<b>Integrated Education</b>															
	1. Distt. level workshop	18.00				2	36.00	2	36.00	2	36.00	2	36.00	8	144.00	
	2. Block level resource support Workshop	7.00				18	126.00	18	126.00	18	126.00	18	126.00	72	504.00	
	3. Survey through VEC	5.00				9	45.00	9	45.00	9	45.00	9	45.00	36	180.00	
	4. Training of BRG & DRG													0	0.00	
	5. Orientation cum Workshop of Teachers	5.80				9	52.2	9	52.2	18	104.4	18	104.4	54	313.20	
	1.Provision of Trg & Aids for disables children	1.20				703	583.49	703	583.49	703	583.49	703	583.49	2812	2333.96	
	2.Assistance to NGOs for Intergeted Edu.													0	0.00	
	<b>Total R-12</b>			6.00	0.00		842.69		842.69		894.89		894.89		3475.16	
	<b>SUB TOTAL-R</b>			2483.00	15796.09		23753.31		27508.41		55495.94		47372.46		172409.21	
<b>Q</b>	<b>QUALITY IMPROVEMENT</b>															
<b>Q1</b>	<b>Training Programmes</b>															
	1.Indu. Trg. for Shiksha Mitra (30days)	1.84								30	55.20		0.00	30	55.20	
	2.Indu. Trg. for Asstt. Teacher PS													0	0.00	
	3.Indu. Trg. for Asstt. Teacher UPS													0	0.00	
	4.Indu. Trg. for H. Teacher PS													0	0.00	
	5.Indu. Trg. for H. Teacher UPS													0	0.00	
	6.Indu. Trg. for EGS/AIE Worker (30days)	1.84												0	0.00	
	7.Indu. Trg. for EGS/AIE Worker (30days)	1.84												0	0.00	
	8.In service Trg. of Shiksha Mitra (15days)	1.00								426	426.00	456	456.00	882	882.00	
	9.Ref.Trg. of EGS/AIE Worker (15days)	1.00												0	0.00	
	10.In service Trg of Teachers (10days)PS	0.70								2803	1962.10	2835	1983.10	5638	3945.20	
	11.In service Trg of Teachers (10days)UPS	0.70		1647	1152.90	1734	1213.80	1794	1255.80	1845	1291.50	1845	1291.50	8865	6295.50	
	12.Trg. of BRC/NPRC Coordinator (10days)	0.70				125	87.50	125	87.50	125	87.50	125	87.50	500	350.00	
	13.Ref. Trg for BRC Coordinator (5days)													0	0.00	
	14.Ref. Trg for NPRC Coordinator (5days)													0	0.00	
	15.Staff Devt. Trg for DIETs (7days)													0	0.00	
	16.ABSA/SDI Trg (10days)	0.70				30	21.00	30	21.00	30	21.00	30	21.00	120	84.00	
	17.Civil Work Trg of VEC	5.25				10	52.50	10	52.50	10	52.50	10	52.50	40	210.00	
	18.Computer trg. for UPS & DIET Faculty(20 days)													0	0.00	
	19.Orient. of V.E.C/ S.M.Committee(2days)	0.48								833	399.84	834	400.32	1667	800.16	
	20.Training of RCI/IED													0	0.00	
	21. Teachers orient.in IED(5days) PS													0	0.00	
	22 Teachers orient. in IED(5days)UPS													0	0.00	
	<b>Total</b>			0.00	1152.90		1374.80		1416.80		4295.64		4291.92		12532.06	
<b>Q-2</b>	<b>TLE, TLM &amp; F.T. Books</b>															
	1.T.L.Materials/Equipments UPS	50.00	20	1000.00	85	4250.00	155	7750.00	100	5000.00		0.00		300	18000.00	
	3.Teacher Grant PS	0.50									3289	1644.50	3289	1644.50	6578	3289.00
	4.Teacher Grant UPS	0.50			1689	844.50	1734	867.00	1794	897.00	1845	922.50	1845	922.50	8907	4453.50
	5.F.T.Books to SC/ST children & GirlsPS	0.15									71131	10669.65	78244	11736.6	149375	22406.25
	6.F.T.Books to SC/ST children & GirlsUPS	0.15			22699	3404.82	24910	3736.5	27409	4110.00	30140	4521.00	33155	4973.25	138304	20745.57
	<b>Total</b>			1000.00	8499.32		12353.50		10007.00		17757.65		19276.85		68894.32	
	<b>SUB TOTAL -Q</b>			1000.00	9652.22		13728.30		11423.80		22053.29		23568.77		81426.38	

C		2002-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		TOTAL		
		Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	
C	CAPACITY BUILDING															
C1	DIET															
	1.Furniture															
	2.Equipments															
	3.Computer															
	4.Hiring of Vehicle															
	5.POL							20.00	20.00		50.00		50.00	0	140.00	
	6.Maintenance of Vehicle							10.00	10.00		25.00		25.00	0	70.00	
	7.Exposure Visits										50.00		50.00	0	100.00	
	8.Contingency							20.00	20.00		40.00		40.00	0	120.00	
	9.Consumable/Computer stationar							15.00	15.00		30.00		30.00	0	90.00	
	10.Telephone / Fax							10.00	10.00		20.00		20.00	0	60.00	
	11. Wages of Driver										60.00		60.00	0	120.00	
	12.T.A							30.00	30.00		60.00		60.00	0	180.00	
	13.Books For Library										10.00		10.00	0	10.00	
	14.Printing							20.00	20.00		40.00		40.00	0	120.00	
	<b>Total</b>				0.00		0.00	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>		<b>385.00</b>		<b>375.00</b>		<b>1010.00</b>	
C2	BRC															
	1. Construction													0	0.00	
	2.Salary of Co-ordinator	12.00									9	1501.20	9	1576.80	18	3078.00
	3.Salary of Co Co-ordinator	9.00									18	2268.00	18	2376.00	36	4644.00
	4.Wagege of Choukidar	7.50									9	810.00	9	810.00	18	1620.00
	5.Equipment &Furniture	100.00												0	0.00	
	6.Meetings/T.A. a-BRC	6.00			9	54.00	9	54.00	9	54.00	9	54.00	9	54.00	45	270.00
	b- ABSA	6.00									9	54.00	9	54.00	18	108.00
	7.Maintinace of Equipment	5.00									9	45.00	9	45.00	18	90.00
	8.Contingency	12.50			9	90.00	9	112.50	9	112.50	9	112.50	9	112.50	45	540.00
	9.TLM Grant	5.00			9	45.00	9	45.00	9	45.00	9	45.00	9	45.00	45	225.00
	10.Books For Library	10.00												0	0.00	
	11.Maintinace of Building	5.00									9	45.00	9	45.00	18	90.00
	<b>Total</b>				0.00	<b>189.00</b>		<b>211.50</b>	<b>211.50</b>		<b>4934.70</b>		<b>5118.30</b>		<b>10665.00</b>	
C3	NPRC															
	1. Construction	200.00					11	2200.00	11	2200.00				22	4400.00	
	2.Salary of Co-ordinator	12.00					22	2772.00	22	3498.00	98	16346.40	98	17169.60	240	39786.00
	3.Equipment & Furniture	10.00					11	110.00	11	110.00				22	220.00	
	4. Books For Library	10.00									22	220.00		22	220.00	
	5.Meetings/ T.A. NPRC	2.40			76	182.40	98	235.20	98	235.20	98	235.20	98	235.20	468	1123.20
	6.Contingency	2.50			76	190.00	98	245.00	98	245.00	98	245.00	98	245.00	468	1170.00
	7.TLM Grant	1.00			76	76.00	98	98.00	98	98.00	98	98.00	98	98.00	468	468.00
	8.Maintinace of Building	1.00									76	76.00	98	98.00	174	174.00
	<b>Total</b>				0.00	<b>448.40</b>		<b>5660.20</b>	<b>6386.20</b>		<b>17220.60</b>		<b>17845.80</b>		<b>47561.20</b>	

Code	Activities/Particulars	U.Cost	YEAR WISE BUDGET (2001 To 2010)												TOTAL	
			2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Ph.	Fin.
			Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.				
<b>C4</b>	<b>DPO</b>															
	1. Salary of Staff	98.50														
	A Expert B.S.A.														0	0.00
	B Distt Co-ordinator	56.00									4	792.00	4	816.00	8	1608.00
	C A.A.O.	14.00									1	198.00	1	204.00	2	402.00
	D Steno														0	0.00
	E Accountant	10.00									1	138.00	1	144.00	2	282.00
	F Typist	6.00									1	84.00	1	90.00	2	174.00
	G Computer Operator	8.00									1	114.00	1	120.00	2	234.00
	H Peon	4.50									1	66.00	1	72.00	2	138.00
	1.2 Consultants						20.00		20.00				20.00		0	80.00
	1.3 Honorarium														0	0.00
	a-A.E.				16.00		24.00		24.00				24.00		0	112.00
	b-J.E. @ 2% of Total Civil Work				42.00		435.20		478.10				810.00		0	2261.80
	2.T.A.				75.00		50.00		50.00				100.00		0	375.00
	3.Furniture														0	0.00
	4.Equipments														0	0.00
	5. Books For Library														0	0.00
	6.Maintenance of Equipment				20.00		20.00		20.00				40.00		0	140.00
	7.Telephone / Fax				20.00		20.00		20.00				40.00		0	140.00
	8.Contingency & M Meetings				50.00		20.00		20.00				75.00		0	260.00
	9 Consumable				20.00		20.00		20.00				50.00		0	160.00
	10. Motor cycle	50.00					2	100.00							2	100.00
	10.POL & Vehicle Maintenance				50.00		40.00		40.00				80.00		0	280.00
	11.POL for Motor cycle				20.00		40.00		40.00				60.00		0	220.00
	12 Hiring of Vehicle												30.00		0	60.00
	13 AWP&B				50.00		20.00		25.00				40.00		0	200.00
	14 Seminar & Workshop												40.00		0	80.00
	15 Distt Level Exhibition & Fair												40.00		0	80.00
	16 Study Tours & Exposer Visit												50.00		0	250.00
	17 Inprovement Fund						20.00		20.00				40.00		0	120.00
	<b>Total</b>				<b>100.00</b>		<b>293.00</b>		<b>834.20</b>				<b>2931.00</b>			<b>7581.80</b>
<b>C5</b>	<b>MIS</b>															
	1.MIS Cell furnishing				25.00										0	25.00
	2.Computer				50.00		100.00								0	150.00
	3.MIS Equipment						20.00		20.00				40.00		0	120.00
	4.Maintenance of Equipment						20.00		20.00				40.00		0	90.00
	5.Computer Consumables				25.00		25.00		25.00				50.00		0	175.00
	6.Printing of EMIS Formats				24.45		15.00		15.00				50.00		0	154.45
	7.Sample Study				20.00				20.00				50.00		0	140.00
	8. E.M.I.S. Trg.						50.00		50.00				50.00		0	200.00
	<b>Total</b>				<b>50.00</b>		<b>174.45</b>		<b>150.00</b>				<b>280.00</b>			<b>1054.45</b>
	<b>SUB TOTAL -C</b>				<b>150.00</b>		<b>1104.85</b>		<b>6980.90</b>				<b>25751.30</b>			<b>67872.45</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>				<b>3633.00</b>		<b>26553.16</b>		<b>59510.51</b>				<b>145185.33</b>			<b>438888.79</b>



**Detail Of Civil Work**  
**S.S.A. Tehri Garhwal 2001-2007**

**District - Tehri Garhwal**

Rs. in Thousand

SN	Name Of Construction	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
		Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.
1	Construction New JH					20	8000.00	17	6800.00					37	14800.00
2	Re-Construction old JH					5	2000.00	5	2300.00	4	1600.00	0	0.00	14	5600.00
3	Construction of B.Less JH			21	8400.00	23	9200.00	27	10800.00	27	10800.00	27	10800.00	125	50000.00
4	Toilets in UPS	10	150.00	10	150.00	24	360.00	47	705.00	44	660.00	27	405.00	162	2430.00
5	D.Water in UPS					0	0.00	20	400.00	17	340.00	0	0.00	37	740.00
6	B.Wall in UPS					0	0.00	20	1000.00	17	850.00	0	0.00	37	1850.00
7	A.C.Room UPS	14	980.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	980.00
8	A.C.Room PS									0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	NPRC Construction	0	0.00	0	0.00	11	2200.00	11	2200.00	0	0.00	0	0.00	22	4400.00
10	Constr. New PS or Upgrading									30	8250.00	0	0.00	30	8250.00
11	Re-Construction old PS									38	15950.00	40	11000.00	98	26950.00
12	Construction of B.Less PS									2	550.00	0	0.00	2	550.00
13	Toilets in PS									100	1500.00	132	1980.00	232	3480.00
14	D.Water in PS									0	0.00	32	640.00	32	640.00
15	B.Wall in PS									0	0.00	0	0.00	0	0.00
	<b>TOTAL</b>		<b>1130.00</b>		<b>8550.00</b>		<b>21760.00</b>		<b>23905.00</b>		<b>40500.00</b>		<b>24825.00</b>		<b>120670.00</b>
	<b>Total Plan</b>		<b>3633.00</b>		<b>26553.16</b>		<b>59510.51</b>		<b>70410.26</b>		<b>145185.33</b>		<b>133596.53</b>		<b>438888.79</b>
	<b>As% Of Total Plan</b>		<b>31.10</b>		<b>32.20</b>		<b>36.56</b>		<b>33.95</b>		<b>27.90</b>		<b>18.58</b>		<b>27.49</b>

**Detail Of Management Cost**

SN	Particulars	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
		Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.	Ph.	Fin.
1	DPO		100.00		293.00		834.20		777.10		2931.00		2646.50		7581.80
2	MIS		50.00		174.45		150.00		150.00		280.00		250.00		1054.45
	<b>TOTAL</b>		<b>150.00</b>		<b>467.45</b>		<b>984.20</b>		<b>927.10</b>		<b>3211.00</b>		<b>2896.50</b>		<b>8636.25</b>
	<b>As% Of Total Plan</b>		<b>4.13</b>		<b>1.76</b>		<b>1.65</b>		<b>1.32</b>		<b>2.21</b>		<b>2.17</b>		<b>1.97</b>

**District Tehri Garhwal , SARVA SHIKSHA ABHIYAN  
Implementation Schedule 2001 To 2007**

Name of Activity	Unit	Time Schedule	YEAR					
			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
<i>B</i>	<i>C</i>	<i>H</i>						
1. Construction of New PS Building	0							
4. Furniture/ Fixture & Equipment in PS	0.00							
1. Construction of New JH Building	37	Apr.2003 To March 2005			■	■		
3. Furniture/ Fixture & Equipment in UPS	37	Apr.2003 To March 2005			■	■		
2. Educational materials in EGS & AS PS	0							
3. Text Books/TLM	480	Apr.2005 To March 2007					■	■
Up Gradation of E.G.S. IN P.S.								
1. Construction of Building	30	Apr.2005 To March 2006					■	■
4. TLE	30	Apr.2005 To March 2006					■	■
2. Educational materials in EGS&AS UPS								
3. Text Books/TLM								
4. Conteng.								
1. Additional class rooms in PS	0	Apr.2005 To March 2007						
2. Additional class rooms in UPS	14		■					
1. Toilets in PS	232	Apr.2005 To March 2007					■	■
2. Toilets in UPS	162		■	■	■	■	■	■
3. Drinking water in PS	32	Apr.2005 To March 2007					■	■
4. Drinking water in UPS	37	Apr.2004 To March 2006				■	■	■
1. Reconstruction of old PS	98	Apr.2005 To March 2007					■	■
2. Reconstruction of old UPS	14	Apr.2003 To March 2006			■	■	■	■
3. Construction of Buildingless PS	2	Apr.2005 To March 2007					■	■
4. Construction of Buildingless UPS	125	Apr.2002 To March 2007		■	■	■	■	■
1. Maintenance of PSchool	625	Apr.2005 To March 2007					■	■
2. Maintenance of UPSchool	326	Apr.2002 To March 2005		■	■	■	■	■
1. Boundary walls in PS								
2. Boundary walls in UPSchools	37	Apr.2004 To March 2006				■	■	■
1. School Improvement Grant PS	2644	Apr.2005 To March 2007					■	■
2. School Improvement Grant UPS	3006	Apr.2001 To March 2007	■	■	■	■	■	■
1. Computer Education								
a-Computer	28	Apr.2001 To March 2007	■	■	■	■	■	■
b-Cell Furnishing	25	Apr.2001 To March 2007	■	■	■	■	■	■



## DISTRICT - TEHRI GARHWAL

### Procurement Plan

S.N.	Type of Procurement	Unit	Unit	Total	Procurement	Procurement	Time Schedule
			Cost	Cost	Procedure	Agency	
A	B	C	D	E	F	G	H
A1a	1. Construction of New PS Building	0	2.75	0.00	Comm. Participation	V.E.C	
	4. Furniture/ Fixture & Equipment in PS	0	10.00	0.00	National Shopping	V.E.C	
A1b	1. Construction of New JH Building	37	400.00	14800.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2003 To March 2005
	3. Furniture/ Fixture & Equipment in UPS	37	50.00	1850.00	National Shopping	V.E.C	Apr.2003 To March 2005
A2.a	2. Educational materials in EGS & AS PS	0		0.00	National Shopping	V.E.C	Apr.2005 To March 2007
	3. Text Books/TLM	480	1.50	720.00	National Shopping	V.E.C	Apr.2005 To March 2007
A2b	Up Gradation of E.G.S. IN P.S.						
	1. Construction of Building	30	2.75	82.50	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2005 To March 2006
	4. TLE	30	10.00	300.00	National Shopping	V.E.C	Apr.2005 To March 2006
A2d	2. Educational materials in EGS&AS UPS						
	3. Text Books/TLM			0.00	National Shopping	V.E.C	
	4. Conteng.			0.00	National Shopping	V.E.C	
R1.a	1. Additional class rooms in PS	0	70.00	0.00			
	2. Additional class rooms in UPS	14	70.00	980.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2001 To March 2003
R2	1. Toilets in PS	232	15.00	3480.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2005 To March 2007
	2. Toilets in UPS	162	15.00	2430.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2001 To March 2007
	3. Drinking water in PS	32	20.00	640.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2005 To March 2007
	4. Drinking water in UPS	37	20.00	740.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2004 To March 2006
R3	1. Reconstruction of old PS	98	2.75	269.50	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2005 To March 2007
	2. Reconstruction of old UPS	14	400.00	5600.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2003 To March 2006
	3. Construction of Buildingless PS	2	2.75	5.50	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2005 To March 2007
	4. Construction of Buildingless UPS	125	400.00	50000.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2002 To March 2007
R5	1. Maintenance of PSchool	625	5.00	3125.00	Comm. Participation	V.E.C/S.M.C.	Apr.2005 To March 2007
	2. Maintenance of UPSchool	326	5.00	1630.00	Comm. Participation	V.E.C/S.M.C.	Apr.2002 To March 2005
R6	1. Boundary walls in PS	0	40.00	0.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2005 To March 2007
	2. Boundary walls in UPSchools	37	50.00	1850.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2004 To March 2006
R7	1. School Improvement Grant PS	2644	2.00	5288.00	National Shopping	V.E.C/S.M.C.	Apr.2005 To March 2007
	2. School Improvement Grant UPS	3006	2.00	6012.00	National Shopping	V.E.C/S.M.C.	Apr.2001 To March 2007
R8.1	1. Computer Education						
	a-Computer	28		0.00	National Shopping	DPO/SPO	Apr.2001 To March 2007
	b-Cell Furnishing	25		0.00	Comm. Participation	V.E.C/S.M.C.	Apr.2001 To March 2007
R8.2	4. TLM of ECCE Center	0	5.00	0.00	National Shopping	V.E.C/S.M.C.	Apr.2005 To March 2007

S.N.	Type of Procurement	Unit	Unit	Total	Procurement	Procurement	Time Schedule
			Cost	Cost	Procedure	Agency	
A	B	C	D	E	F	G	H
Q-2	1.T.L.Materials/Equipments UPS	360	50.00	18000.00	National Shopping	V.E.C/S.M.C.	Apr.2001 To March 2007
	3.Teacher Grant PS	6578	0.50	3289.00	National Shopping	School Teacher	Apr.2005 To March 2007
	4.Teacher Grant UPS	8907	0.50	4453.50	National Shopping	School Teacher	Apr.2001 To March 2007
	5.F.T.Books to SC/ST children & GirlsPS	149375	0.15	22406.25		DPO	Apr.2005 To March 2007
	6.F.T.Books to SC/ST children & GirlsUPS	138304	0.15	20745.60		DPO	Apr.2001 To March 2007
C1	DIET						
	1.Furniture			0.00	National Shopping	DIETs	
	2.Equipments			0.00	National Shopping	DIETs	
	3.Computer			0.00	National Shopping	DIETs	
C2	BRC						
	1.Construction	0	600.00	0.00		DPO.SPO	
	5.Equipment &Furniture	0	100.00	0.00	National Shopping	DPO	
C3	NPRC						
	1. Construction	22	200.00	4400.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2003 To March 2005
	3.Equipment & Furniture	22	10.00	220.00	National Shopping	DPO	Apr.2003 To March 2005
C4	DPO			0.00			
	3.Furniture			0.00	National Shopping	DPO	
	4.Equipments			0.00	National Shopping	DPO	
	5. Books For Library			0.00		DPO	
	10. Motor cycle	2	50.00	100.00	National Shopping	DPO	Apr.2003 To March 2004
C5	MIS						
	1.MIS Cell furnishing	0	75.00	0.00	National Shopping	DPO	
	2.Computer	0	150.00	0.00	National Shopping	DPO	
	3.MIS Equipment			0.00	National Shopping	DPO	

### 1.1-पैरा टीचर्स/आचार्य अभिनवीकरण प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 30 दिन। प्रशिक्षण स्थल- डायट

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	1500.00
2	आवासीय व्यवस्था (जलविद्युत एवं अन्य)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	50.00
3	लेखन सामग्री	रु० 125.00 प्रति प्रतिभागी(एकबार)	125.00
4	प्रशिक्षण साहित्य	रु० 125.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	125.00
5	आकस्मिक व्यय	रु० 40.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	40.00
कुल इकाई लागत एक पैरा टीचर्स/आचार्य के एक माह के प्रशिक्षण हेतु			1840.00

### 1.2-पैरा टीचर्स/आचार्य पुनर्बोध्मात्मक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 15 दिन। प्रशिक्षण स्थल- डायट

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	750.00
2	आवासीय व्यवस्था (जल विद्युत एवं अन्य)	रु० 25.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	25.00
3	लेखन सामग्री	रु० 100.00 प्रति प्रतिभागी(एकबार)	100.00
4	प्रशिक्षण साहित्य	रु० 100.00 प्रति प्रतिभागी(एकबार)	100.00
5	आकस्मिक व्यय	रु० 25.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	25.00
कुल इकाई लागत एक पैरा टीचर्स/आचार्य के एक माह के प्रशिक्षण हेतु			1000.00

### 2.1-आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का अभिनवीकरण प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 7 दिन (आवारीय)। प्रशिक्षण स्थल- डायट

प्रतिभागीयों की संख्या- 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	14700.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 150.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	5250.00
3	प्रशिक्षकों का मानदेय	रु० 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	2100.00
4	प्रशिक्षण सामग्री (किट)	रु० 375.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	13125.00
5	आकस्मिक व्यय	रु० 75.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	2625.00
कुल लागत 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक कार्यकर्त्री के प्रशिक्षण हेतु - 1200.00)			37800.00

### 2.2-आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का पुनर्बोध्मात्मक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 7 दिन (आवारीय)। प्रशिक्षण स्थल- डायट

प्रतिभागीयों की संख्या- 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	14700.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 150.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	5250.00
3	प्रशिक्षकों का मानदेय	रु० 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	2100.00
4	प्रशिक्षण सामग्री (किट)	रु० 210.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	7350.00
5	आकस्मिक व्यय	रु० 75.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	2625.00
कुल लागत 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण हेतु			32025.00

### 3-सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों (टी०ओ०टी०) का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (आवारीय)। प्रशिक्षण स्थल- डायट  
प्रतिभागियों की संख्या- 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र०सं०	भद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	₹60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	21000.00
2	प्रशिक्षण सामाग्री (लेखन सामाग्री)	₹50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1750.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	₹200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	7000.00
4	प्रशिक्षकों का मानदेय	₹100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	3000.00
5	आकस्मिक व्यय		2450.00
कुल लागत एक बैच टी०ओ०टी० प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक टी०ओ०टी० के प्रशिक्षण हेतु - 1100.00)			35200.00

### 4-सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (पर आवारीय)। प्रशिक्षण स्थल- बी०आर०सी०,  
प्रतिभागियों की संख्या- 32

क्र०सं०	भद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	₹40.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	12800.00
2	प्रशिक्षण सामाग्री (लेखन सामाग्री)	₹50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1600.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	₹200.00 प्रति प्रतिभागी(एकबार)	6400.00
4	आकस्मिक व्यय	₹50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1600.00
कुल लागत एक बैच सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक अध्यापक के 10 दिन के प्रशिक्षण हेतु - 700.00)			22400.00

### 5-सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों (टी०ओ०टी०) पर व्यय

प्रशिक्षण अवधि - 10 दिन (आवारीय)। प्रशिक्षण स्थल- बी०आर०सी०,  
संदर्भदाताओं की संख्या- 3 प्रशिक्षक एक बैच के प्रशिक्षण हेतु

क्र०सं०	भद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	₹40.00प्रतिसंदर्भदाताप्रतिदिन	1200.00
2	प्रशिक्षण सामाग्री (लेखन सामाग्री)	₹50.00प्रतिसंदर्भदाता(एकबार)	150.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	₹200.00प्रतिसंदर्भदाता(एकबार)	600.00
4	प्रशिक्षकों का मानदेय	₹100.00प्रतिसंदर्भदाताप्रतिदिन	3000.00
5	आकस्मिक व्यय	₹50.00प्रतिसंदर्भदाता(एकबार)	150.00
कुल लागत एक बैच के प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक संदर्भदाता हेतु - 1700.00)			5100.00

### 6-डी०आर०जी की बैठक

(डी०आर०जी० वै०शिक्षा, प्रशिक्षण, सामु०सह०, बालि०शिक्षा)  
अवधि - 1 दिन। बैठक स्थल- डी०पी०ओ०/डायट  
प्रतिभागियों की संख्या- 35

क्र०सं०	भद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय	"	700.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)		7000.00
3	आकस्मिक व्यय		700.00
कुल लागत एक डी०आर०जी० की बैठक हेतु			8400.00

## DISTRICT - TEHRI GARHWAL

### Procurement Plan

S.N.	Type of Procurement	Unit	Unit	Total	Procurement	Procurement	Time Schedule
			Cost	Cost	Procedure	Agency	
A	B	C	D	E	F	G	H
A1a	1. Construction of New PS Building	0	2.75	0.00	Comm. Participation	V.E.C	
	4. Furniture/ Fixture & Equipment in PS	0	10.00	0.00	National Shopping	V.E.C	
A1b	1. Construction of New JH Building	37	400.00	14800.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2003 To March 2005
	3. Furniture/ Fixture & Equipment in UPS	37	50.00	1850.00	National Shopping	V.E.C	Apr.2003 To March 2005
A2.a	2. Educational materials in EGS & AS PS	0		0.00	National Shopping	V.E.C	Apr.2005 To March 2007
	3. Text Books/TLM	480	1.50	720.00	National Shopping	V.E.C	Apr.2005 To March 2007
A2b	Up Gradation of E.G.S. IN P.S.						
	1. Construction of Building	30	2.75	82.50	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2005 To March 2006
	4. TLE	30	10.00	300.00	National Shopping	V.E.C	Apr.2005 To March 2006
A2d	2. Educational materials in EGS & AS UPS						
	3. Text Books/TLM			0.00	National Shopping	V.E.C	
	4. Conteng.			0.00	National Shopping	V.E.C	
R1.a	1. Additional class rooms in PS	0	70.00	0.00			
	2. Additional class rooms in UPS	14	70.00	980.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2001 To March 2003
R2	1. Toilets in PS	232	15.00	3480.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2005 To March 2007
	2. Toilets in UPS	162	15.00	2430.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2001 To March 2007
	3. Drinking water in PS	32	20.00	640.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2005 To March 2007
	4. Drinking water in UPS	37	20.00	740.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2004 To March 2006
R3	1. Reconstruction of old PS	98	2.75	269.50	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2005 To March 2007
	2. Reconstruction of old UPS	14	400.00	5600.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2003 To March 2006
	3. Construction of Buildingless PS	2	2.75	5.50	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2005 To March 2007
	4. Construction of Buildingless UPS	125	400.00	50000.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2002 To March 2007
R5	1. Maintenance of PSchool	625	5.00	3125.00	Comm. Participation	V.E.C/ S.M.C.	Apr.2005 To March 2007
	2. Maintenance of UPSchool	326	5.00	1630.00	Comm. Participation	V.E.C/ S.M.C.	Apr.2002 To March 2005
R6	1. Boundary walls in PS	0	40.00	0.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2005 To March 2007
	2. Boundary walls in UPSchools	37	50.00	1850.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2004 To March 2006
R7	1. School Improvement Grant PS	2644	2.00	5288.00	National Shopping	V.E.C/ S.M.C.	Apr.2005 To March 2007
	2. School Improvement Grant UPS	3006	2.00	6012.00	National Shopping	V.E.C/ S.M.C.	Apr.2001 To March 2007
R8.1	1. Computer Education						
	a-Computer	28		0.00	National Shopping	DPO/ SPO	Apr.2001 To March 2007
	b-Cell Furnishing	25		0.00	Comm. Participation	V.E.C/ S.M.C.	Apr.2001 To March 2007
R8.2	4. TLM of ECCE Center	0	5.00	0.00	National Shopping	V.E.C/ S.M.C.	Apr.2005 To March 2007



S.N.	Type of Procurement	Unit	Unit	Total	Procurement	Procurement	Time Schedule
			Cost	Cost	Procedure	Agency	
A	B	C	D	E	F	G	H
Q-2	1.T.L.Materials/Equipments UPS	360	50.00	18000.00	National Shopping	V.E.C/S.M.C.	Apr.2001 To March 2007
	3.Teacher Grant PS	6578	0.50	3289.00	National Shopping	School Teacher	Apr.2005 To March 2007
	4.Teacher Grant UPS	8907	0.50	4453.50	National Shopping	School Teacher	Apr.2001 To March 2007
	5.F.T.Books to SC/ST children & GirlsPS	149375	0.15	22406.25		DPO	Apr.2005 To March 2007
	6.F.T.Books to SC/ST children & GirlsUPS	138304	0.15	20745.60		DPO	Apr.2001 To March 2007
C1	DIET						
	1.Furniture			0.00	National Shopping	DIETs	
	2.Equipments			0.00	National Shopping	DIETs	
	3.Computer			0.00	National Shopping	DIETs	
C2	BRC						
	1.Construction	0	600.00	0.00		DPO/SPO	
	5.Equipment &Furniture	0	100.00	0.00	National Shopping	DPO	
C3	NPRC						
	1. Construction	22	200.00	4400.00	Comm. Participation	V.E.C	Apr.2003 To March 2005
	3.Equipment & Furniture	22	10.00	220.00	National Shopping	DPO	Apr.2003 To March 2005
C4	DPO			0.00			
	3.Furniture			0.00	National Shopping	DPO	
	4.Equipments			0.00	National Shopping	DPO	
	5. Books For Library			0.00		DPO	
	10. Motor cycle	2	50.00	100.00	National Shopping	DPO	Apr.2003 To March 2004
C5	MIS'						
	1.MIS Cell furnishing	0	75.00	0.00	National Shopping	DPO	
	2.Computer	0	150.00	0.00	National Shopping	DPO	
	3.MIS Equipment			0.00	National Shopping	DPO	

### 7-बी0आर0जी की बैठक

अवधि - 1 दिन। बैठक स्थल- बी0आर0सी0  
प्रतिभागियों की संख्या- 30

क्र0सं0	मद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय		600.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)		3000.00
3	आकस्मिक व्यय		450.00
कुल लागत एक बी0आर0जी0 की बैठक हेतु			4050.00

### 8-निर्माण कार्यशाला

अवधि - 1 दिन। कार्यशाला स्थल- बी0आर0सी0।  
प्रतिभागियों की संख्या- 50

क्र0सं0	मद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय	रु0 20.00 प्रति प्रतिभागी	1000.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु0 60.00 प्रति प्रशिक्षक	3000.00
3	आकस्मिक व्यय	रु0 25.00 प्रति प्रतिभागी	1250.00
कुल लागत एक निर्माण कार्यशाला हेतु			5250.00

### 9-एम0टी0ए0 / पी0टी0ए0 / एस0एम0सी0 के प्रशिक्षण हेतु टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि - 2 दिन (आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल- डायट

प्रतिभागियों की संख्या- 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र0सं0	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु0 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	4200.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु0 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	7000.00
3	प्रशिक्षकों का मानदेय	रु0 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	600.00
4	आकस्मिक व्यय		1000.00
कुल लागत एक बैच टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण हेतु			12800.00

### 10-मां-बेटी मेला

ग्राम सभा स्तर

क्र0सं0	मद	दर	कुल व्यय
1	प्रदर्शन एवं साज सज्जा		1000.00
2	वाहन पर व्यय		500.00
3	पुरस्कार आदि		1000.00
4	जलपान पर व्यय		1000.00
5	आकस्मिक व्यय (बैनर/पोस्टर)		500.00
कुल लागत एक मां-बेटी मेला हेतु			4000.00

11-ग्राम शिक्षा समितियों / न्याय पंचायत चयनित महिलाओं को न्याय पंचायत स्तरीय कार्यशाला (बालिका शिक्षा)

कार्यशाला अवधि- एक दिवसीय।  
कार्यशाला स्थल- एन0पी0आर0सी0

क्र0सं0	मद	दर	कुल व्यय
1	टेन्ट आदि की व्यवस्था		1000.00
2	पुरस्कार आदि		1000.00
3	जलपान पर व्यय		600.00
4	आकस्मिक व्यय		600.00
5	माइक व्यवस्था		300.00
6	वाहन पर व्यय		500.00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			4000.00

12-समेकित-शिक्षा के अन्तर्गत रोवारत अध्यापकों की कार्यशाला

प्रशिक्षण अवधि - 2 दिन (गैर आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल- एन0पी0आर0सी0 / वी0आर0सी0

प्रतिभागियों की संख्या- 35 ( 3 प्रशिक्षकों सहित)।

क्र0सं0	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	₹0 40.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	2800.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	₹0 40.00 प्रति प्रतिभागी औसत	1400.00
3	प्रशिक्षकों का मानदेय	₹0 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	600.00
4	आकस्मिक व्यय		1000.00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु (समेकित शिक्षा)			5800.00

13-बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0 समन्वयक, ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0, डायट एवं परियोजना अभिकर्मकगियों की पुर्नभिमुखीकरण कार्यशाला

अवधि - 2 दिन (आवासीय)।

कार्यशाला स्थल- डायट

प्रतिभागियों की संख्या- 33 ( 3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र0सं0	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	₹0 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	4560.0
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	₹0 25.00प्रति प्रतिभागी (एक बार)	950.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	₹0 200.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	7600.00
4	प्रशिक्षकों का मानदेय	₹0 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	600.00
5	आकस्मिक व्यय		1000.00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			14710.00

14-बाल-मेला

न्याय पंचायत स्तर

क्र0सं0	मद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय		500-00
2	आकस्मिक व्यय (बैनर/पोस्टर एवं पुरस्कार)		1500-00
कुल लागत एक बाल-मेला हेतु			2000.00

**15-कम्प्यूटर प्रशिक्षण  
(बालिका शिक्षा के अन्तर्गत नवाचार)**

प्रशिक्षण अवधि - 20 दिन (आवारीय)। प्रतिभागीयों की संख्या- 5 + 2

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	840
2	प्रशिक्षण सामाग्री (लेखन सामाग्री)	रु० 100.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	70
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	140
4	दो संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय	रु० 300.00 प्रतिसंदर्भदाता प्रतिदिन	1200
5	आकस्मिक व्यय		200
<b>कुल लागत एक बैच प्रशिक्षण हेतु</b>			<b>2450</b>

**16- जिला स्तरीय कार्यशालाएं**

कार्यशाला अवधि - 1 दिन (गैर आवासीय)। प्रतिभागीयों की संख्या- 30

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 40.00 प्रति प्रतिभागी	1200.00
2	प्रशिक्षण सामाग्री (लेखन सामाग्री)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी	1500.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी	6000.00
4	आकस्मिक व्यय		1300.00
<b>कुल लागत एक कार्यशाला हेतु</b>			<b>10000.00</b>

**17- ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाएं**

कार्यशाला अवधि - 1 दिन (गैर आवासीय)। प्रतिभागीयों की संख्या- 30

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 40.00 प्रति प्रतिभागी	1200.00
2	प्रशिक्षण सामाग्री (लेखन सामाग्री)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी	1500.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 100.00 प्रति प्रतिभागी	3000.00
4	आकस्मिक व्यय		1300.00
<b>कुल लागत एक कार्यशाला हेतु</b>			<b>7000.00</b>

**18- जिला स्तरीय कार्यशाला**

**(वै०शिक्षा, बा०शिक्षा, प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा एवं सामुदायिक सहभागिता)**

अवधि - 2 दिन (आवासीय)। कार्यशाला स्थल- डायट/डी०पी०ओ०

प्रतिभागियों की संख्या- 40 ( 3 संदर्भ व्यक्ति सहित)

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	480
2	प्रशिक्षण सामाग्री (लेखन सामाग्री)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	200
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	800
4	संदर्भ व्यक्ति का मानदेय	रु० 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	60
5	आकस्मिक व्यय/रात्री-विश्राम		260
<b>कुल लागत एक कार्यशाला हेतु</b>			<b>1800</b>

**19-स्कूल चलो अभियान**  
बी०आर०सी एवं डी०पी०ओ० स्तर

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	बैनर/पोस्टर	1000.00X10X01	10000-00
2	दीवार लेखन	1000.00X10X01	10000-00
3	आकस्मिक व्यय	1000.00X10X01	10000-00
कुल लागत 09 ब्लाक + 01डी०पी०ओ०-10			30000.00

**20-क -टी०एल०एम० मेला**  
वी०आर०सी स्तर

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	जल-पान	20.00X50	1000-00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 100.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	5000-00
3	पुरुष्कार	100.00X5X3	1500-00
कुल लागत			7500.00

**20-ख-टी०एल०एम० मेला**  
डायट स्तर

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	जल-पान	20.00X50	1000-00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	10000-00
3	पुरुष्कार	200.00X5X3	3000-00
4	आकस्मिक व्यय		1000-00
कुल लागत			15000.00

**21 क-"सृजन" प्रतियोगिता**  
जिला स्तर

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	जल-पान	20.00X50	1000-00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	10000-00
3	पुरुष्कार	200.00X5	1000-00
4	आकस्मिक व्यय		1000-00
कुल लागत			13000.00

**21 ख -"सृजन" प्रतियोगिता**  
ब्लाक स्तर

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	जल-पान	20.00X50	1000-00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 100.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	5000-00
3	पुरुष्कार	150.00X5	750-00
4	आकस्मिक व्यय		250-00
कुल लागत			7000.00

**21 ख -"सृजन" प्रतियोगिता**  
न्याय-पंचायत स्तर

क्र०सं०	मद	दर	कुल व्यय
1	जल-पान		500-00
2	आकस्मिक व्यय(पुरुष्कार आदि)		500-00
कुल लागत			1000.00

## S.S.A. Tehri Garhwal

## List of Single &amp; Two Room School For Additional Class Room

GSN	SN	Block	Sch Name	Enrolment 9/2001			CI Rooms
				Boys	Girls	Total	
1	1	CHAMBA	JH OBREE (G)	16	42	58	2
2	1	J.DHAR	JH RATOLI (G)	18	20	38	2
3	2	J.DHAR	JH MALYAKOT (KM)	11	28	39	2
4	1	JAUNPUR	JH RANOGEE	6	4	10	2

Source-EMIS-2001-02 &amp; B.S.A.T.Gwl.

## S.S.A. Tehri Garhwal

## List Of JH SCHOOL More Then 105 ENROLMENT &amp; 3 C.Room For Additional Class Room

GSN	SN	Block	Sch Name	Enrolment 9/2001			CI Rooms
				Boys	Girls	Total	
1	1	BHILANGANA	JH BHATWADA	48	58	106	3
2	2	BHILANGANA	JH HOLTA NAILCHAMI	63	58	121	3
3	3	BHILANGANA	JH JASPUR AARGARH	75	32	107	3
4	4	BHILANGANA	JH KHIRBEL	76	91	167	3
5	5	BHILANGANA	JH MAGROUN	65	44	109	3
6	1	CHAMBA	JH BADSHAHITHOUL	49	59	108	3
7	1	J.DHAR	JH MANDAR	67	43	110	3
8	1	JAUNPUR	JH JOGIYADA	67	60	127	3
9	1	P.Nagar	JH BHELUNTA (OAN)	84	86	170	3
10	1	THAULDHAR	JH MANJKOT	67	60	127	3

Source-EMIS-2001-02 &amp; B.S.A.T.Gwl.

## Building less J.H.Schools

Distt. - Tehri Garhwal

Sl.No.	S.N	Block	Sch Name	Enrolment 9/2001			Cl Rooms	Sanction Year
				Boys	Girls	Total		
1	1	BHILANGANA	JH BAJIYALGAON	35	47	82	0	1997
2	2	BHILANGANA	JH DALLA (G)	0	28	28	0	
3	3	BHILANGANA	JH DEVLING	14	10	24	0	1997
4	4	BHILANGANA	JH GAWANA TALLA (KM)	5	10	15	0	
5	5	BHILANGANA	JH JAKH	19	22	41	0	1997
6	6	BHILANGANA	JH KOTHIYADA	29	28	57	0	1997
7	7	BHILANGANA	JH KURANGAON	20	19	39	0	1997
8	8	BHILANGANA	JH KONTI (K)	12	12	24	0	
9	9	BHILANGANA	JH KOTI FAIGUL (KM)	47	43	90	0	
10	10	BHILANGANA	JH MARWADI	26	3	29	0	1997
11	11	BHILANGANA	JH PANGRIYANA	42	52	94	0	1997
12	12	BHILANGANA	JH POUNADA	36	22	58	0	1997
13	13	BHILANGANA	JH ROUNSAL (KM)	26	31	57	0	
14	14	BHILANGANA	JH SAMANGAON	38	11	49	0	1997
15	15	BHILANGANA	JH SARKANDA (KM)	9	21	30	0	
16	16	BHILANGANA	JH TITRANA (G)	37	34	5	0	1997
17	17	BHILANGANA	JH RAGDEE (G)	39	15	54	0	1997
18	18	BHILANGANA	JH PINSWAD	14	0	14	0	1997
19	19	BHILANGANA	JH NISWALI BHATGAON	5	15	20	0	1997
20	1	CHAMBA	JH AARAKOT (G)	12	16	28	0	1997
21	2	CHAMBA	JH BHANDARGAON (G)	15	7	22	0	1997
22	3	CHAMBA	JH BHONABAGI	16	23	39	0	1997
23	4	CHAMBA	JH CHOPDIYALI (G)	14	15	29	0	1997
24	5	CHAMBA	JH GAJNA PALI(G)	9	17	26	0	1997
25	6	CHAMBA	JH KANTHARGAON	24	29	53	0	1997
26	7	CHAMBA	JH MANDA	11	11	22	0	1997
27	8	CHAMBA	JH SABALI (KM)	9	22	31	0	
28	9	CHAMBA	JH SURSINGHDHAR (G)	19	26	45	0	
29	10	CHAMBA	JH TINGREE	24	18	42	0	1997
30	11	CHAMBA	JH MOTANADHAR	6	13	19	0	1997
31	1	DEOPRAYAG	JH BAGEE BANGARH	14	37	51	0	
32	2	DEOPRAYAG	JH BHADEEKHAL	11	23	34	0	1997
33	3	DEOPRAYAG	JH BIDAKOT (G)	12	24	36	0	1997
34	4	DEOPRAYAG	JH DANSADA	21	22	43	0	1997
35	5	DEOPRAYAG	JH DUROGEE	33	31	64	0	
36	6	DEOPRAYAG	JH DOBH CHANDRABADNEE (G)	10	8	18	0	1997
37	7	DEOPRAYAG	JH HARDAKHAL	15	19	34	0	1997
38	8	DEOPRAYAG	JH JAROLA	14	15	29	0	1997
39	9	DEOPRAYAG	JH KHARSADI	21	23	44	0	1997
40	10	DEOPRAYAG	JH QWEEI	7	11	18	0	1997
41	11	DEOPRAYAG	JH RIKHWANI	26	37	63	0	
42	12	DEOPRAYAG	JH SILETEE	6	15	21	0	
43	13	DEOPRAYAG	JH SIMLASU (KM)	2	8	10	0	
44	14	DEOPRAYAG	JH TOL GAGWADI	14	13	27	0	
45	15	DEOPRAYAG	JH TYUNA	29	41	70	0	1997
46	1	J. DHAR	JH CHONRIYADHAR	25	20	45	0	1997
47	2	J. DHAR	JH DHUNG	42	70	112	0	
48	3	J. DHAR	JH GADOLIYA (G)	0	133	133	0	
49	4	J. DHAR	JH KAFLOG	27	28	55	0	
50	5	J. DHAR	JH KATHULI	35	32	67	0	1997
51	6	J. DHAR	JH KHAND	36	28	64	0	
52	7	J. DHAR	JH MAIRAF (TALLA)	21	3	24	0	1997
53	8	J. DHAR	JH MYUNDA	17	26	43	0	1997
54	9	J. DHAR	JH NANDGAON	41	53	94	0	
55	10	J. DHAR	JH PAJIYADA	21	31	52	0	1997
56	11	J. DHAR	JH PATUDI (KM)	22	18	40	0	
57	12	J. DHAR	JH PIPOLA	23	31	54	0	1997
58	13	J. DHAR	JH SARPULA	10	8	18	0	
59	14	J. DHAR	JH THALKADHAR	14	11	25	0	1997
60	15	J. DHAR	JH TUNIYAR (G)	13	34	47	0	1997

61	1	JAUNPUR	JH BAITH	13	17	30	0	1997
62	2	JAUNPUR	JH BHAL KEE MANDE	17	4	21	0	
63	3	JAUNPUR	JH BHATOLEE (G)	18	34	52	0	1997
64	4	JAUNPUR	JH BHUTGAON	13	7	20	0	
65	5	JAUNPUR	JH BIROD (G)	3	17	20	0	1997
66	6	JAUNPUR	JH DHANOLTI	32	10	42	0	1997
67	7	JAUNPUR	JH DHOULAGIRI	24	16	40	0	1997
68	8	JAUNPUR	JH HATWALGAON	31	19	50	0	1997
69	9	JAUNPUR	JH KHARSON	16	11	27	0	1997
70	10	JAUNPUR	JH MOGEE	19	11	30	0	1997
71	11	JAUNPUR	JH BICHOO (G)	14	4	18	0	1997
72	12	JAUNPUR	JH NAIGYANA	19	19	38	0	1997
73	13	JAUNPUR	JH SELWANI	28	29	57	0	
74	14	JAUNPUR	JH SAINDUL	19	3	22	0	1997
75	1	K.NAGAR	JH CHOUKI	23	29	52	0	1997
76	2	K.NAGAR	JH JANDOLI	25	30	55	0	1997
77	3	K.NAGAR	JH KHONGCHA	6	12	18	0	1997
78	4	K.NAGAR	JH KOTI DHUNG	1	16	33	0	
79	5	K.NAGAR	JH MAHARGAON	11	18	29	0	1997
80	6	K.NAGAR	JH MANJULI	14	35	49	0	
81	7	K.NAGAR	JH SUNDRIYADA	7	13	20	0	1997
82	8	K.NAGAR	JH THATI BADIYAR (KM)	0	18	18	0	
83	9	K.NAGAR	JH DHAULANGEE (KM)	22	25	47	0	
84	10	K.NAGAR	JH KANOLI	24	33	57	0	
85	1	N.NAGAR	JH ADWANI	8	16	24	0	1997
86	2	N.NAGAR	JH BADEER	21	15	36	0	
87	3	N.NAGAR	JH BAHEDA (G)	15	12	27	0	1997
88	4	N.NAGAR	JH BANSKATAL (KM)	44	28	72	0	
89	5	N.NAGAR	JH BAMANGAON (KM)	27	21	48	0	
90	6	N.NAGAR	JH FADIKYOUN	10	23	33	0	1997
91	7	N.NAGAR	JH FALSARI (G)	15	22	37	0	1997
92	8	N.NAGAR	JH KUKHAI	14	9	23	0	1997
93	9	N.NAGAR	JH KYARA (DOGI)	35	17	52	0	1997
94	10	N.NAGAR	JH BERNI	23	22	45	0	
95	11	N.NAGAR	JH LOYAL	56	29	87	0	
96	12	N.NAGAR	JH MANJIYADI	5	6	11	0	
97	13	N.NAGAR	JH MAOUN (G)	29	45	74	0	1997
98	14	N.NAGAR	JH NASOGI (G)	14	13	27	0	1997
99	15	N.NAGAR	JH NEER	24	24	48	0	1997
100	16	N.NAGAR	JH ODARKHET (G)	34	30	64	0	1997
101	17	N.NAGAR	JH NIGER	24	23	47	0	1997
102	18	N.NAGAR	JH PENDARSH	14	17	31	0	
103	19	N.NAGAR	JH TIMLI	28	18	46	0	1997
104	1	P. NAGAR	JH BAILDOGI	24	19	43	0	1997
105	2	P. NAGAR	JH BIJPUR	10	14	24	0	
106	3	P. NAGAR	JH DODAG THAPLA	33	31	64	0	1997
107	4	P. NAGAR	JH GHOLDANI (OAN)	13	9	22	0	1997
108	5	P. NAGAR	JH JHINWALI	24	27	51	0	1997
109	6	P. NAGAR	JH KANGSHALI (RAIKA)	27	29	56	0	1997
110	7	P. NAGAR	JH KOTHAGA	19	34	53	0	1997
111	8	P. NAGAR	JH ONALGAON	21	21	42	0	1997
112	9	P. NAGAR	JH POKHARI RAMOLI	37	30	67	0	1997
113	10	P. NAGAR	JH SOUNDEE (KM)	34	8	42	0	
114	1	THAULDHAR	JH ALEROO	12	23	35	0	1997
115	2	THAULDHAR	JH BIKOL (NAGUN)	32	20	52	0	1997
116	3	THAULDHAR	JH DABRI (KM)	8	2	10	0	
117	4	THAULDHAR	JH DHAROGI (G)	7	15	22	0	1997
118	5	THAULDHAR	JH HUNKHAL	10	19	29	0	1997
119	6	THAULDHAR	JH KIRGANI (G)	21	16	37	0	1997
120	7	THAULDHAR	JH KOTI (JUWA)	25	19	44	0	
121	8	THAULDHAR	JH MAHEDA	15	10	25	0	
122	9	THAULDHAR	JH SELOOR (KM)	16	22	38	0	
123	10	THAULDHAR	JH IDIYAN	37	40	77	0	1997
124	11	THAULDHAR	JH TIKHON	28	25	53	0	
125	12	THAULDHAR	JH SUNARGAON (G) BORGAON	0	20	20	0	

Source-EMIS 2001-02 & B.S.A. T.Gwal.



**DAMAGE BUILDING J.H.SCHOOL  
TEHRI GARHWAL**

GSN	SN	Block	Sch Name	Enrolment 9/2001			Cl Rooms
				Boys	Girls	Total	
1	1	BHILANGANA	JH TALEBAN	45	3	75	2
2	1	CHAMBA	JH KHAND	31	30	61	4
3	1	DEOPRAYAG	JH LAXMAULI (K)	25	19	44	2
4	1	J. DHAR	JH SAURDHAR DANGI	17	20	37	3
5	2	J. DHAR	JH PIPOLA (KM)	31	35	66	2
6	1	K.NAGAR	JH GHILDIALGAON (G)	0	27	27	3
7	1	N.NAGAR	JH KOT	48	35	83	3
8	2	N.NAGAR	JH PURWALA	53	51	104	3
9	3	N.NAGAR	JH SAUNDI	31	34	65	4
10	4	N.NAGAR	JH KHANANA	23	32	55	3
11	5	N.NAGAR	JH MUNIKIRETI (G)	0	37	37	3
12	1	P. NAGAR	JH KORDI	54	5	59	0
13	2	P. NAGAR	JH BHAINGA	28	25	48	3
14	1	THAULDHAR	JH RATNOU	23	15	38	0

Source-B.S.A T.Gwal.

## J.H.Schools under Construction (Pacs-Fad)

Distt. - Tehri Garhwal

1	1	BHILANGANA	JH BHAATGAON BHILANG	35	42	77	0	
2	2	BHILANGANA	JH PAKH	43	45	88	0	
3	3	BHILANGANA	JH GANGEE	10	1	11	0	
4	1	CHAMBA	JH NAIL (G)	19	20	39	0	
5	1	DEOPRAYAG	JH DADUWA	20	10	30	0	
6	1	J. DHAR	JH PATNIYA DEVI	4	29	33	0	
7	1	K.NAGAR	JH BADON	23	14	37	0	
8	2	K.NAGAR	JH BAINJWADI	35	37	72	0	
9	3	K.NAGAR	JH DHARKOT (G)	5	28	33	0	
10	4	K.NAGAR	JH KAPROLI	31	29	60	0	
11	5	K.NAGAR	JH MAIKHANDI	23	28	51	0	
12	1	N.NAGAR	JH BAIRAIGAON	31	22	53	0	
13	1	PRATAP NAGAR	JH PRATAP NAGAR	35	34	69	0	
14	2	PRATAP NAGAR	JH SAIM (RAIKA)	11	22	33	0	

Source- B.S.A. T.Gwal.

## DPEP-III, TEHRI GARHWAL

जीर्ण-शीर्ण , ध्वस्त एवं भवनहीन प्रा०वि० की सूची

GSN	SI.No.	BRC	SCHOOL	Enrolment 9/2001			C Rooms	C.Year
				Girls	Boys	Total		
1	1	BHILANGANA	PS BHETI (11Gaon)	19	18	37	2	1985
2	2	BHILANGANA	PS DWARI	19	13	32	2	1985
3	3	BHILANGANA	PS GANGWADI	50	39	89	2	
4	4	BHILANGANA	PS KAILBAGI	21	21	42	2	1985
5	5	BHILANGANA	PS KATHUR	73	63	136	2	
6	6	BHILANGANA	PS KOTHAR	22	15	37	2	1991
7	7	BHILANGANA	PS KUNDEE	38	45	83	2	1992
8	8	BHILANGANA	PS MALGAON	54	34	88	2	
9	9	BHILANGANA	PS TITRANANAILCHAMI	43	18	61	2	
10	1	CHAMBA	PS BUDOGEE	44	29	73	2	1961
11	2	CHAMBA	PS BOURADI	49	30	79	2	1966
12	3	CHAMBA	PS GHURSALGAON	13	24	37	2	1984
13	4	CHAMBA	PS GWAD	7	20	27	2	
14	5	CHAMBA	PS JASPUR	34	23	57	2	1978
15	6	CHAMBA	PS KANDIKHAL	14	12	26	2	1990
16	7	CHAMBA	PS KATHOOR	23	16	39	2	1981
17	8	CHAMBA	PS NAKOT	21	12	33	3	1977
18	9	CHAMBA	PS NAWAGAR	44	22	66	2	1987
19	10	CHAMBA	PS PALAS	54	54	108	2	1960
20	11	CHAMBA	PS PATA	33	27	60	2	
21	12	CHAMBA	PS RANICHORI	43	34	77	2	1945
22	13	CHAMBA	PS SATYADEVI SOUR	33	22	55	3	1952
23	14	CHAMBA	PS THAN BEMAR	14	7	21	2	1994
24	1	DEOPRAYAG	PS AALI	15	15	30	4	1976
25	2	DEOPRAYAG	PS AMILDA	9	11	20	2	1990
26	3	DEOPRAYAG	PS AROTA	26	29	55	2	1965
27	4	DEOPRAYAG	PS BHYUNTH SILETHI	34	16	50	2	1989
28	5	DEOPRAYAG	PS BUDKOT	23	20	43	2	1965
29	6	DEOPRAYAG	PS DEVIDHAR	23	22	45	2	1990
30	7	DEOPRAYAG	PS DUROGEE	51	32	83	2	1965
31	8	DEOPRAYAG	PS GOSIL	32	15	47	2	1966
32	9	DEOPRAYAG	PS GUJETHA	16	15	31	2	1982
33	10	DEOPRAYAG	PS KAFALD	12	14	26	2	1988
34	11	DEOPRAYAG	PS KANDA LANGOOR	9	13	22	2	1997
35	12	DEOPRAYAG	PS KANDEE GUSAIN	69	38	107	2	1984
36	13	DEOPRAYAG	PS LACHMOLI	16	24	40	2	1982
37	14	DEOPRAYAG	PS SIMLASU	11	13	24	2	1985
38	15	DEOPRAYAG	PS UNANA	68	67	135	2	1964
39	1	J.DHAR	PS BHATKANDA	10	12	22	2	1975
40	2	J.DHAR	PS CHADIYARA	32	17	49	2	1994
41	3	J.DHAR	PS CHAH GADOLIYA	58	51	109	2	1978
42	4	J.DHAR	PS CHANDRABHAGA	15	8	23	2	1981
43	5	J.DHAR	PS CHURENDA	11	15	26	2	1964
44	6	J.DHAR	PS GANOLI	30	26	56	2	1987
45	7	J.DHAR	PS JAKHNIDHAR	74	54	128	2	1970
46	8	J.DHAR	PS KAINTHOLI	20	16	36	2	1974
47	9	J.DHAR	PS KASTAL	54	50	104	2	1988
48	10	J.DHAR	PS NANDGAON	50	45	95	2	1977
49	11	J.DHAR	PS TIPREE	8	8	16	4	1975
50	12	J.DHAR	PS VIRENDRAKOT	44	24	68	2	1987
51	13	J.DHAR	PS DIULEE, DHUNG				0	B.Less

52	1	JAUNPUR	PS BAITH	44	38	82	2	1970
53	2	JAUNPUR	PS BANGSEEL	56	29	95	2	1972
54	3	JAUNPUR	PS BISHTOUNSHEE	31	51	82	2	1977
55	4	JAUNPUR	PS DADAK	15	17	32	2	1978
56	5	JAUNPUR	PS DIGON	51	52	103	1	1950
57	6	JAUNPUR	PS DWARGARH	44	21	65	3	1975
58	7	JAUNPUR	PS KANDAJAKH	28	23	51	2	1979
59	8	JAUNPUR	PS MANJGAON	31	28	59	2	1955
60	9	JAUNPUR	PS NAKURCHEE	39	45	84	2	1954
61	10	JAUNPUR	PS SATAGAD	7	6	13	2	1959
62	11	JAUNPUR	PS SRIKOT	67	55	122	3	1978
63	1	K.NAGAR	PS BAINJWADI	68	59	127	3	1954
64	2	K.NAGAR	PS BANDASA	13	13	26	2	1924
65	3	K.NAGAR	PS DEVGADI	42	32	74	2	1974
66	4	K.NAGAR	PS DHARI DHUNDSIR	33	28	61	2	1950
67	5	K.NAGAR	PS FETKANDA	16	18	34	2	1983
68	6	K.NAGAR	PS GWAD DAGAR	15	19	34	3	1962
69	7	K.NAGAR	PS JIWALAKHAL	17	18	35	2	1945
70	8	K.NAGAR	PS KANCLI				3	1956
71	9	K.NAGAR	PS KOTI DAGAR	50	28	78	2	1972
72	10	K.NAGAR	PS KHARK (KADAKOT)	32	23	55	2	1992
73	11	K.NAGAR	PS MAHIDHAR	45	34	79	2	1977
74	12	K.NAGAR	PS RINGOLGAON	31	24	55	1	1988
75	13	K.NAGAR	PS THAPLI	30	16	48	2	1952
76	14	K.NAGAR	PS THATI DAGAR	42	41	83	2	1956
77	1	N.NAGAR	PS HOUD	2	4	6	2	
78	2	N.NAGAR	PS KOTAR (DGGI)	32	46	78	2	1986
79	3	N.NAGAR	PS KYARKEE	33	30	63	2	1958
80	4	N.NAGAR	PS SOUNDEE	49	49	98	2	1980
81	5	N.NAGAR	PS TAMIYAR	44	35	79	2	1966
82	6	N.NAGAR	PS TIMLI	59	58	117	2	1981
83	7	N.NAGAR	PS KUMARKHERA				0	B.Less
84	1	P.NAGAR	PS BIJPUR	29	26	55	2	1978
85	2	P.NAGAR	PS KOTHAGA	30	10	40	2	
86	3	P.NAGAR	PS LAMBGAON	25	16	41	3	1987
87	4	P.NAGAR	PS PATHIYANA	25	15	40	2	1979
88	5	P.NAGAR	PS RAMOLGAON	50	48	98	2	1979
89	6	P.NAGAR	PS SILODA	14	19	33	2	1986
90	1	THAULDHAR	PS BARNOLI	13	7	20	2	
91	2	THAULDHAR	PS DABRI	11	11	22	2	
92	3	THAULDHAR	PS DANG JUWA	19	10	29	3	
93	4	THAULDHAR	PS GOJMER	30	26	56	3	
94	5	THAULDHAR	PS JHAKOGI	29	64	93	3	
95	6	THAULDHAR	PS KHAMOLI	59	47	106	2	
96	7	THAULDHAR	PS KOTI (ATHUR)	13	8	21	2	1946
97	8	THAULDHAR	PS KHAND	35	38	73	2	1979
98	9	THAULDHAR	PS MAHEDA-I	13	13	26	2	1965
99	10	THAULDHAR	PS NAWAGAON	32	14	46	2	1988
100	11	THAULDHAR	PS SYANSOO	54	52	106	1	

Source- B.S.A. T.Gwal.